राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का ९वां दिवस [संख्या ७

मंगलवार, दिनांक २७ अगस्त, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २ बज कर ३२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत्, आयुर्वेद, वन, गृह, श्रम, विधि व सिंचाई-विभाग]

प्रश्न संख्या १९८

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री अमरसिंह।

जयपुर-सांभर रूट पर प्राइवेट बस मालिकों को परमिट

१९९. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या प्राइवेट बस मालिकों ने अजमेर रोड पर जयपुर से वाया सावरदा, नरायणा, फुलेरा, सांभर रूट पर जाने की आज्ञा मांगी है ?

(२) यदि हां, तो इस रूट पर से उन्हें इजाजत देने में सरकार को क्या दिक्कतें हैं ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) जी हां।

(२) मामला आर०टी०ए० के विचाराधीन है।

श्री अमरसिंह : नं० २ प्रश्न में फैसला कब तक हो जायेगा ?

श्री भीमसिंह : आर०टी०ए० ने इसको गजट पब्लिकेशन के लिए भेजा है। उसके बाद आर०टी०ए० की नैक्स्ट मीटिंग होगी उसमें पुट-अप होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

राजगढ़–सांखू (जिला चूरू) सड़क की मरम्मत

२००. **श्री रावतराम** (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ (जिला चूरू) से सांखू तक अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत सड़क बनवाई गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है और इससे आवागमन में बड़ी कठिनाई पैदा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ?

(३) क्या उक्त सड़क को मरम्मत का कार्य चालू साल में ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया निश्चित उत्तर देने की कृष्ट करें ।

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) यह सड़क इस विभाग की सूची मेंटीनेन्स में नहीं है । अतएव मरम्मत का उत्तरदायित्व इस विभाग पर नहीं है ।

(३) यह सड़क किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अकाल के समय यह सड़क बनाई गई थी । इस पर सरकार पी०डब्ल्यू०डी० को सौंपने का निणय लेगी तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : आवाज साफ सुनाई नहीं दी ।

श्री रावतराम : सरकार ने पहले भी पैसा लगाया है और बाद में फिर लगायेगी ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जितनी सड़कें हैं उन सबको लेना कठिन है ।

श्री रावतराम : थोड़ा थोड़ा करके ले लिया जाये । एक साल में नहीं तो दो–तीन साल में करवा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

राजस्थान में विद्युत् की आवश्यकता

२०१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि वर्तमान पॉवर योजना को देखते हुए सन् १९६४–६५ तक पॉवर की इतनी मांग बढ़ जावेगी कि मांग के अनुसार बिलकुल पॉवर की सप्लाई नहीं की जा सकेगी तथा राज्य में पॉवर अकाल की सी स्थिति आ जायेगी ?

(२) यदि हां, तो उस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदे-

Page No 3

(श्री परसराम मदेरणा)

रणा): (१) अनुमानित आवश्यकता से उपलब्धि १९६४–६५ में ३३.९६ मेगावाट और १९६५–६६ ने ००.८६ मेगावाट होगी।

(२) इस स्थिति का सामना करने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पेकेज प्लान्ट्स की सप्लाई के लिए प्रार्थना कर दी है। इसके अतिरिक्त राणा प्रताप सागर तथा सतपुड़ा प्रोजेक्ट को शीघ्र चालू करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ये दोनों प्लान्ट कब तक शुरू कर दिये जायेंगे और पलाना का जो थर्मल पॉवर प्लान्ट है उसको भी जारी करने का प्लान है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : पलाना तो अण्डर कन्सीडरेशन है और जहां तक सतपुड़ा का प्रश्न है १९६३-६४ में २१ हजार कि०वा० के आसपास बिजली उपलब्ध होने की हम आशा करते हैं जब तक कि कोई अनएवोइडेबल बॉटलनैक खड़ी न हो जाये।

प्रश्न संख्या २०२

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०३

वैद श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०४

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान।

निरीक्षक कार्यालयों का आयुर्वेद संचालक द्वारा निरीक्षण

२०५. श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) विभागीय संचालक ने निरीक्षक कार्यालय, कोटा और जयपुर का विगत दो वर्षों में कब कब निरीक्षण किया है ? प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत की जावे।

(२) इन कार्यालयों में दस हजार रुपये से ऊपर की कितनी कितनी रकमें कितने महीनों तक अनडिस्टर्ब्ड रही ! उनको नियम के विरुद्ध रोके रखने का क्या उद्देश्य है ?

(३) ये रकमें व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आई हों, इसका क्या प्रमाण है ?

(४) वर्तमान में किस निरीक्षणालय में क्या बैलेंस है ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) विभागीय संचालक ने कोटा व जयपुर का विगत दो वर्ष में निम्न तारीखों में उक्त दोनों निरीक्षणालयों का निरीक्षण किया है। कोटा में २३–१–६३ और जयपुर में ४–६-६२; सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) दस हजार रुपये से ऊपर की रकमें इन स्थानों में नियम विरुद्ध अवतरित नहीं रही ।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(४) जयपुर निरीक्षणालय में १३-८-६३ को बैलेंस ८,१४६.६१ नया पैसा और कोटा का २३–८–६३ को बैलेंस १८२३.३२ नया पैसा है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान : क्या निरीक्षण करने की कोई प्रणाली है कि साल में कितनी बार करना चाहिए ?

श्री दौलतराम सारण : डाइरेक्टर जो हैं वे यथावत्, साल में जितना सम्भव होता है निरीक्षणालयों को देखते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

सांगोद तहसील में सोइल कन्जर्वेशन कार्य

२०६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Forest Minister be pleased to state :—

I. Is the Governmen aware that 'Gullies' and 'Ravines' have extended into a number of villages and cultivated fields along the banks of rivers PARWAN, KALI SIND and UJJAR in Tehsil Sangod (Distt. Kota) on account of the unchecked cultivation on marginal lands on the rivers ?

2. Is it a fact that the soil Conservation Officer (Forest Department) has examined a part of this area and made his report to the Government ?

3. Does the Government propose to take up demonstration projects in selected places for soil conservation works as suggested by him ?

4. What other steps the Government contemplate to take to deal with the mounting problem of soil erosion in the Panchayat Samiti Sangod area in future ?

उप-मन्त्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (1) Yes, Sir.

2. Yes, Sir,

3. The Soil Conservation Officer, Forest has sent a copy of his report to soil conservation officer Agriculture. It is for that department now to take further action.

4. Surveys of the Ravines in Rajasthan has been taken up as a centrally sponsored scheme. A comprehensive plan will be prepared after getting the basic data required for planning.

श्री जुझारसिंह : क्या सरकार की ऐसी योजना है कि जो ये एरियाज़ हैं उनमें अफोरेस्टेशन की स्कीम चालू की जायेगी ?

Page No 5

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न तो इससे सन्नहित नहीं है।

श्री जुझारसिंह : सवाल यह है कि जमीन को चैक करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा है। आपकी अफोरेस्टेशन के बारे में कोई योजना है जमीन को चैक करने के लिए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह इससे सन्नहित नहीं है कि कन्ट्रोल करने की कोई योजना कार्यान्वित हो सकती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

राजस्थान के कारागारों में निर्मित वस्तुओं की बिक्री

२०७. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के कारागारों में क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं व बने हुए माल की बिक्री की क्या व्यवस्थायें हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कारागारों में निर्मित वस्तुओं की बिक्री न तो टेन्डर द्वारा की जाती है और न कोई एम्पोरियम ही इसके लिए खोला गया है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यवस्था के अभाव में काफी अच्छी दरियां व कालीन कारागार अधिकारी अपनी इच्छानुसार कम रेट में अपने मिलने-जुलने वालों को बेच देते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि कारागार में वस्तुएं बनाने वाले कैदी को कोई मजदूरी नहीं दी जाती ? यदि दी जाती है, तो कितनी ? अगर नहीं, तो नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) राजस्थान के कारागृहों में निम्नलिखित वस्तुएं बनाई जाती हैं :—

कपड़ा बुनाई :

(क) बैड शीट्स (चादर रंगीन व सफेद), लट्ठा, दुसूती, तौलिये, पोचा, डस्टर कर्टेन क्लोथ, गॉज, बेन्डेज क्लोथ, ड्रिल (टुइल), पगड़ी क्लोथ, कम्बल, गर्म कपड़ा इत्यादि।

ऊनी गलीचे:

(ख) ये छः किस्म के बनाये जाते हैं।

दरी :

(ग) ये पांच किस्म की बनाई जाती हैं। इसके अलावा मुतफरिक इन्डस्ट्रीज़ निम्नलिखित हैं :—

टेलरिंग, स्मिथी, ब्रास, टेप, निवाड़, केन वर्क्स, निटिंग, डाइंग ब्लीचिंग, कार्पेन्ट्री, ऑइल प्रेस, एरीटेड वाटर फैक्टरी, बटन मेकिंग, लेदर फैक्टरी, गार्डनिंग इत्यादि।

ये सब चीजें बेचने की व्यवस्था हर जेल पर 'प्रदर्शनी गृह' में निर्धारित की हुई कीमत पर आम तौर पर हरेक को जो लेना चाहता है उन्हें दी जाती है।

राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में जेल से

Page No 6

(श्री भीमसिंह)

बना हुआ माल बिक्री के वास्ते ठेले में बाजार के लिए भेजा जाता है ।

राजस्थान के बड़े–बड़े गेस्ट हाउस और इन्डस्ट्रीज़ विभाग के सेल एम्पोरियम द्वारा भी बेचने की व्यवस्था है। इसके अलावा और बिक्री में वृद्धि करने के लिए बाजार में एक एम्पोरियम बनाने के वास्ते पी० डब्ल्यू. डी० द्वारा नक्शा तैयार करके इसकी कार्यवाही की जा रही है। यह एम्पोरियम तैयार नहीं होता है तब तक के लिए कमला नेहरू मार्केट में दो दूकान अलॉट करने के वास्ते, जिलाधीश जयपुर को इस कार्यालय के पत्र सं० इन्डस। ४६ बी। ४४५२०–२१ दिनांक ३०–३–६३ के द्वारा लिख चुके हैं और आशा है वह जल्दी ही अलॉट किया जावेगा।

जेल में बन्दियों द्वारा बनाई हुई चीजों की बिक्री के लिये जो जो प्रयत्न किये गये उनके फलस्वरुप पिछले ५ साल की बिक्री सूचनार्थ निम्न प्रकार है, जिससे प्रकट होता है कि जेल की बनी हुई वस्तुओं की बिक्री में प्रतिवर्ष उन्नति होती जा रही है :–

वर्ष	रकम
१९५७–५८	४,५१,८६१
१९५८–५९	४,९८,९५५
१९५९–६०	५,८६,१५४
१९६०–६१	५,८३,५३५
१९६१–६२	७,३३,१५०

(२) क्योंकि जेल के बने हुए माल को जोब सिस्टम के मुताबिक निर्धारित किये हुए कीमत पर बेचा जाता है, इसलिए टेन्डर द्वारा बिक्री का को प्रश्न नहीं उठता है और एम्पोरियम के बारे में प्रथम प्रश्नोत्तर में जवाब दे चुके हैं।

(३) यह सही नहीं है कि कारागार अधिकारी अपनी इच्छानुसार कम रेट में अच्छी दरियां व कालीन अपने मिलने वालों को बेच देते हैं क्योंकि हर चीज जेल में जोब सिस्टम के माफिक बनाई जाती है और उनकी कीमत निर्धारित की हुई है और इस रेट से कम व बेशी किसी को भी बेचना नामुमकिन है। जेल मैन्युफेक्चरिंग अकॉउन्ट्स, ए० जी० की कॉमर्शियल विंग ऑडिट करता है और हर साल बैलेन्स शीट भी तैयार किया जाता है और आज तक ऐसी कोई हरकत पैदा नहीं हुई है।

(४) बन्दियों को पैसा देने के वास्ते वेज-अर्निंग स्कीम राजस्थान के जेलों पर चालू है जिसके अनुसार प्रत्येक बन्दी को उसे दिये गये निर्धारित कार्य के अलावा कार्य करने पर राजस्थान जेल मैन्युअल के पैरा ३१ पेज २२४–२२५ पर अंकित मजदूरी दी जाती है और अजमेर जेल में स्टार क्लास प्रिज़नर्स रहते हैं और उस जगह पूरी मशक्कत करने वाले हर बन्दियों को ४ आना प्रत्येक दिन दिया जाता है और उसके अलावा जो बन्दी दुर्गापुरा, सांगानेर और अनूपगढ़ नहर कैम्प में जो बन्दियों की पूरी कमाई होती है उसमें से जो कोई भी चीज सरकार की ओर से उनको दी जाती है उसकी कीमत काट कर बाकी सब उनकी मजदूरी की रकम उनको दी जा रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह बिक्री

Page No 7

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

की रेट कौन निर्धारित करता है ? आपने जैसा बतलाया कि रेट निर्धारित की हुई है, तो आखिर रेट कब निर्धारित की गई थी ?

श्री भीमसिंह : जब उनका जॉब एलॉट होता है तो जो मैन्युफेक्चरिंग इन्चार्ज होता है वह कुल कीमत फिक्स करके जब काम तैयार हो जाता है तो उनका सारा केलकुलेशन करके, रेट फिक्स करके प्राइस मार्क कर दी जाती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अगर यह मार्केट में बेचा जाता तो जो कीमत वसूल की गई है उससे कई गुना कीमत वसूल की जा सकती थी।

श्री भीमसिंह : यह सही नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कैदियों के काम करने का कितना समय निर्धारित है ; जैसा कि आपने कहा कि ओवर टाइम के चार आने के पैसे देते हैं ?

श्री भीमसिंह : ओवरटाइम काम नहीं किया जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने अभी फरमाया कि जितना काम किया था उससे विशेष मशक्कत करने पर चार आना दिया जाता है। विशेष मशक्कत क्या होती है और निर्धारित समय क्या होता है ?

श्री भीमसिंह : जैसे एक आदमी को पांच सेर निवार बनाना है और उसने ७ सेर बना दी तो दो सेर अलावा हुई।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इनकी दूकानें मार्केट में हैं या जेल में ही बिक्री की जाती है ?

श्री अध्यक्ष : मार्केट में तो अब खोल रहे हैं।

श्री भीमसिंह : मैंने जब तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया था एम्पोरियम और दूसरी जगहों के बारे में, वह शायद सुना नहीं आपने।

अजमेर में राजमहल वाटर सप्लाई योजना

२०८. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर) : Will the Minister for P. W. D. state:—

1. Is the Government aware about the shortage of water supply in Ajmer City ?

2. If yes, what the Government is doing to speed up the work of Raj-Mahal Scheme ?

3. How much amount has been spent over this scheme so far ?

4. When will this scheme be finalised and what work has been done so far to implement the scheme ?

उप-मंत्री, निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(श्री भंवानीशंकर नन्दवाना)

(३) ७२,२५,५५८) रु० का खर्च किया जा चुका है।

(४) कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त हो जाने की संभावना है।

निम्नलिखित कार्य अब तक किया जा चुका है:—

(१) पम्पिंग स्टेशन तथा सर्विस स्टेशन करीब करीब बन चुके हैं।

(२) ४० मील में २१" सी० आई० पाइप लाइन डालने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(३) पम्पिंग सैट्स के ऑर्डर्स दिये जा चुके हैं।

(४) बनास नदी पर १४ कुओं का ट्रायल बोरिंग आरम्भ कर दिया गया है।

(५) आवश्यकतानुसार सी० आई० पाइप करीब करीब आ चुका है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या अजमेर के आस-पास गांव हैं वहां के पानी को लेकर अजमेर को सप्लाई किया जा रहा है; तो क्या वहां पर सर्वे कराया गया है कि कुओं में वहां पर नीचे चले जाने से खेती के काम में नुकसान होता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है, इस समय इसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

निम्बाहेड़ा व चित्तौड़गढ़ तहसीलों के ग्रामों को चम्बल विद्युत्

२०६. **श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा):** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निम्बाहेड़ा के बिनोता, कनेरा, अरनोदा, मांगरोल व सत्तखण्डा गांवों में चम्बल की बिजली कब तक पहुंचाई जावेगी ?

(२) तहसील चित्तौड़गढ़ के ग्राम सावा, गिलूण्ड और घटमावली में बिजली कब चालू की जावेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) समय निश्चित् नहीं किया गया है।

(२) समय निश्चित नहीं किया गया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि ऐसे कोई नियम बनाये हैं कि छोटे गांवों में बिजली लगाने के लिए कृषि के लिए इस आधार पर बिजली दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : यह जनरल क्वेश्चन है।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, अभी तक....

श्री अध्यक्ष : Order please ! Not relevant here.

(विराम)

Shri Teja Ram.

बसों के मॉडल

२१०. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि स्टेट ट्रान्स-पोर्ट ऑथोरिटी ने राज्य में 'ए', 'बी' व 'सी' क्लास के मार्गों पर बसों की मॉडल कन्डीशन्स लगाई हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त आज्ञा की वजह से जिन मार्गों पर उक्त कन्डीशन्स को पूरा करने वाली गाड़ियां नहीं थीं उनका नवीनीकरण कन्डीशनल किया गया व उक्त शर्त को नियमित अवधि में पूर्ण न करने पर नवीनीकरण स्वत: ही समाप्त समझा जाने वाला था ?

(३) क्या यह भी सच है कि बावजूद इस शर्त के अभी तक राज्य के 'ए' क्लास मार्गों पर उक्त शर्त की पालना नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सच है कि एपीलेट ऑथोरिटी ने भी एक अपील के उक्त नियमों के अनुसार अपना निर्णय दे दिया है ? यदि हां, तो उक्त नियम का पालन कब तक कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, इस प्रकार से चलने वाली गाड़ियां ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ऑथोरिटी, राजस्थान और राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर के अन्तर्गत चल रही हैं।

(४) जी हाँ, इस प्रकार के अपीलेट ऑथोरिटी के निर्णय को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा स्टे कर दिये जाने की वजह से उक्त नियमों का पालन नहीं किया जा सकता।

श्री तेजाराम गहलोत : हाई कोर्ट ने एक पर्टीक्यूलर मार्ग का स्टे दिया है या सारे राजस्थान का स्टे दिया है ?

श्री भीमसिंह : हाई कोर्ट ने, अपीलेट ऑथोरिटी ने जो फैसला दिया उस अपीलेट ऑथोरिटी के फैसले पर स्टे ऑर्डर दिया है।

श्री तेजाराम गहलोत : वह एक पर्टीक्यूलर बस ऑपरेटर पर था या जनरल राजस्थान पर कन्डीशन्स लगाने का था ?

श्री अध्यक्ष : वह तो उसी केस में हो सकता है। जनरल स्टे थोड़े ही होता है।

श्री तेजाराम गहलोत : राजस्थान के दूसरे मार्गों पर स्टे की वजह से नियमों का पालन नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : सब पर आइडेन्टिकल असर होगा।

श्री तेजाराम गहलोत : एक पर्टीक्यूलर बस ऑपरेटर हाई कोर्ट में गया तो उस पर्टीक्यूलर रूट के लिए हाई कोर्ट ने स्टे दिया होगा।

श्री भीमसिंह : मैं निवेदन कर दूं कि हाई कोर्ट ने एक कॉम्पीटेन्ट स्टे ऑर्डर

(श्री भीमसिंह)

५-५-६३ को दिया। Under the writ of 1963 obtained stay order and then under the stay order of the High Court, operators who were granted permits......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक पर्टीक्यूलर रूट के लिए स्टे ऑर्डर होगा कि जिस रूट पर बस ऑपरेटर प्लाई कर रहे थे तो उन कन्डीशन्स को जनरली सब पर कैसे एप्लाई कर दिया !

श्री तेजाराम गहलोत : इस वजह से आपने सारे राजस्थान के ऊपर इसको क्यों लागू किया है ?

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं हरएक व्यक्ति को बाध्य नहीं होना पड़े वहां जाकर स्टे लेने को, तो एक केस जैसा तय होगा वही सब पर लागू कर दिया जायगा।

(विराम)

श्री रविशंकर याज्ञनिक।

रेवदर तहसील में दहेज से आमदनी

२११. श्री **रविशंकर याज्ञनिक** (पिण्डवारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) रेवदर तहसील (जिला सिरोही) में दहेज से सन् १९५०-५१ से सन् १९६२-६३ तक हर साल कितनी आमदनी हुई ?

(२) रेवदर तहसील में जागीरी प्रथा खत्म होने के बाद खालसा हल्का तिगुना बढ़ने के बावजूद भी दहेज की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी ?

(३) क्या वन विभाग ने इसके कारणों की जांच की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इस मद में आमदनी की चोरी हुई है ? यदि हां, तो इस मद में हुई आमदनी की चोरी के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) रेवदर तहसील, सिरोही रेंज में सन् १९५४-५५ से १९६२-६३ तक दहेज में हुई आमदनी का मान-चित्र सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया है ?

(२) आमदनी बढ़ी है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रविशंकर याज्ञनिक : आपने फर्माया कि आमदनी बढ़ी है, लेकिन आप नक्शा देखें तो सन् ५७ में जो खालसा का नम्बर है उसके अन्दर ५४ से लगातार आमदनी कम होने का क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आमदनी बढ़ने से मेरा मतलब यह है कि अल्टीमेटली आमदनी बढ़ी है। ५७ में पानी नहीं बरसा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

था तो रेवारी नहीं आये। फिर पंचायत समितियों ने इन्कार कर दिया और उसके बाद में कलेक्टर ने अपने हाथ में लिया तो सब जमीन पर लगातार आमदनी बढ़ी है। किसी-किसी अर्से में ऐसा हुआ है, लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट राइज़ का है।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : आमदनी बढ़ी है वह जागीर लैण्ड बढ़ी है खालसा में इस वजह से बढ़ी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : खालसा ने हाथ में लिया तो वह जागीरदार को जो हिस्सा देते थे वह बन्द हो गया और वह रख लिया।

श्री रघुनाथ बिशनोई (सांचोर) : यह दहेज की आमदनी है या दहेज ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप प्रश्न को भी नहीं समझे और उत्तर को भी नहीं समझे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : दहेज का अर्थ समझना चाहिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : That means grazing fees.

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक तरह का टैक्स है उसको भी दहेज कहते हैं। पहले भी दहेज को गांव समझा, लेकिन बाद में दहेज का मतलब समझा और विश्लेषण किया तो टैक्स मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा हुआ कि गांव मिल गया।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : आपने बताया कि आमदनी घटी वह इसलिए घटी है कि दुष्काल पड़ गया था, लेकिन दूसरे सालों में क्यों घटी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको आप कर लें, सारा चित्र दिया है। अल्टीमेट राइज़ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि जितनी जमीन बढ़ी है उसके अनुपात से आमदनी बढ़ी है या घटी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनुपात का अन्दाज मैंने नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पूछा है कि जमीन तीन गुना बढ़ गई है, लेकिन आमदनी तीन गुना नहीं बढ़ी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रश्न का उनको सन्तोष करा दूंगा कि जमीन के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ा है।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : आप इस टैक्स को खत्म क्यों नहीं कर देते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : ऐसे काश्तकारों के खातों में पशु चरते हैं, फिर कब तक प्रश्न आयेगा कि इसको बिल्कुल खत्म कर

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका उत्तर नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष : फिर कभी देंगे ।

राजस्थान शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, १६५८ के तहत छूट

२१२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने उन दूकानदारों को जो किसी कर्मचारी को अपनी दूकान पर मुलाजिम नहीं रखते, उन्हें राजस्थान शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, १६५८ की कुछ धाराओं से मुक्त कर दिया गया है; विशेषत: उन धाराओं से जो साप्ताहिक छुट्टी रखने और दूकान खोलने व बन्द करने का समय निर्धारित करने सम्बन्धी है ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इसके कारण कानून की अवहेलना करने की भा ई गुंजाइश पैदा हो गई है और दूकानदार कर्मचारियों को अपना रिश्तेदार या घर का आदमी बता कर समय से अधिक काम लेते हैं ?

(३) क्या सरकार इस प्रकार की एग्ज़ेम्पशन को वापिस लेने पर विचार करेगी ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब तक सरकार इस पर विचार करके फैसला कर लेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जल्दी ही करेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 'जल्दी से जल्दी' तो मुहावरा हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : मुहावरे का मतलब भी बदलता रहता है ।

(विराम)

श्री जयनारायण ।

ग्राम सीदड़ा में आयुर्वेद औषधालय

२१३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति निवाई के खिलाय गांव से औषधालय इसी तहसील के किसी अन्य गांव में बदला जा रहा है ? यदि हां, तो बदलने का क्या आधार है ?

(२) क्या यह भी सच है कि ग्राम जनता सीदड़ा के प्रर्थना-पत्र पर विचार कर पंचायत समिति निवाई ने अपनी बैठक दिनांक ६-६-६१ को प्रस्ताव संख्या ६ के द्वारा दवाखाना ग्राम सीदड़ा में खोलने की सर्व सम्मति से सिफारिश की थी ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) क्या यह भी सच है कि ग्राम सीदड़ा की जनता ने दवाखाना के मकान के लिये एक हजार रुपया नकद जमा करा दिया है व अन्य सब मदद देने के लिये तैयार है ?

(४) क्या यह भी सच है कि जिला परिषद् टोंक ने उक्त मामले पर विचार के बजाय बिना किसी मांग-पत्र के ही इस दवाखाने को ग्राम बहड़ में बदलने का अपनी बैठक दिनांक २३-१०-६२ से निर्णय किया है ?

(५) क्या यह भी सच है कि दिनांक २३-१०-६२ तक पंचायत समिति निवाई व जिला परिषद् टोंक में बहड़ ग्राम से दवाखाने की मांग के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं था ?

(६) क्या यह भी सच है कि पंचायत समिति निवाई ने फिर दिनांक ६-१२-६२ को ग्राम सीदड़ा में ही दवाखाना खोले जाने का सर्व-सम्मति से निर्णय किया ?

(७) क्या यह भी सच है कि पंचायत समिति क्षेत्र में सरकार की ओर से किये जाने वाले सारे कार्य पंचायत समिति की सिफारिश से ही किये जाते हैं ? यदि हां, तो इस कार्य के लिये सरकार क्या सोचती है ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह विचाराधीन है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) सरकार के पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

(५) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

(६) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

(७) पंचायत समिति के उपयुक्त सुझाव पर सरकार गौर करती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने फरमाया कि पंचायत समिति के उपयुक्त सुझाव पर सरकार गौर करती है तो निवाई पंचायत समिति ने दो बार रिज़ोल्यूशन्स पास किये और ग्राम बहड़ में बदलने को कहा फिर भी उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि एक बार प्रस्ताव पास करने की सूचना हमें मिली है, दो बार की नहीं। मामला विचाराधीन है।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक बार की कब की सूचना आपको मिली ?

श्री दौलतराम सारण : पहली सूचना हमको मिली है ।६-६-६१ के प्रस्ताव नं.६ की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री अध्यक्ष : ६-६-६१ !

श्री जयनारायण सालोदिया : इस पर भी अब तक विचार नहीं कर सके हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या

(श्री श्रवणलाल)

मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि भाग (३) और (४) में पूछी गई सूचना कब तक बताई जायगी ?

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार की तरफ से इसका उत्तर आना चाहिये, माननीय अध्यक्ष ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो आया, लेकिन संतोष नहीं हुआ ।

सिविल डिफेन्स

२१४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान राज्य में सिविल डिफेन्स के सम्बन्ध में क्या तैयारियां की गई हैं ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : राजस्थान में सिविल डिफेन्स के सम्बन्ध में अब तक लगभग ४२,००० स्वयं सेवक शिक्षित हो चुके हैं जिनमें से लगभग ८००० स्वयं सेवक इन्डियन रेड क्रॉस के द्वारा शिक्षित हुये हैं। इनके अतिरिक्त ग्राम स्वयं सेवक दल के ३००० मुख्य अधिकारी एवं ३३,३०७ स्वयं सेवक शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। १७६ राइफल केन्द्रों के द्वारा राज्य भर में प्रशिक्षण दिया गया है। इस तरह से अब तक काफी संख्या में शिक्षण दिया जा चुका है और वह अब भी निरंतर जारी है। स्काउट्स के कैम्पों, भारत सेवक समाज के शिविरों आदि में भी सिविल डिफेन्स के अफसरों ने भाग लेकर शिक्षण दिये हैं और इन शिक्षित वर्गों में सभी प्रकार के लोग हैं; जैसे विश्व विद्यालय के प्राध्यापक, डॉक्टर्स, भारत सेवक समाज के अधिकारी, स्काउट्स एवं अन्य विभागों के कर्मचारी आदि ।

नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में जो सामग्री भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होने वाली है उसके इन्डेन्ट भेजे गये हैं और बाकी सामान यहां से इकट्ठा किया जा रहा है ।

पिछले वर्ष १९६२-६३ में ११ आग बुझाने के दमकल तैयर किये जाकर तकसीम कर दिये गये हैं और ५ तैयार हो रहे हैं, जो शीघ्र ही वितरित कर दिये जायेंगे । इनकी लागत में अब तक लगभग ४,००,००० रुपयों का अनुदान भारत सरकार ने दिया है। आवश्यकतानुसार और भी दमकल इस वर्ष में तैयार किये जावेंगे ।

हवाई आक्रमण के समय से पूर्व उसके होते समय और उसके बाद क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इस सम्बन्ध में यत्र-तत्र शिक्षण प्रदर्शन (डिमॉन्स्ट्रेशन्स) तथा समुचित साहित्य द्वारा प्रचार किया जा रहा है। अब तक ४००७ होम गार्ड्स प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जो सिविल डिफेन्स का एक महत्वपूर्ण अंग है ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बीकानेर जैसे शहर में भी आग बुझाने का यन्त्र अब तक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष

Page No 15

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

महदोय, इस पर सप्लीमेन्ट्री अभी बाकी है। क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र से स्वयं सेवक तैयार करने की मांग की गई थी, किन्तु सरकार का प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण पंचायत क्षेत्रों में स्वयं सेवक तैयार नहीं किये जा सके और जो आंकड़े सदन में दिये जा रहे हैं, सूचना में बताया गया कि ग्राम स्वयं सेवक दल के ३००० दलपति तैयार किये गये और उन दलपतियों को और जगह शिक्षण देने भेजा गया और कई हजार स्वयं सेवक तैयार किये हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ठीक तरह से कार्य नहीं चल रहा है प्रत्येक पंचायत को आपने दलपति दिया है। उसने सिवाय लेफ्ट–राइट कराने के और कुछ नहीं किया है और बंदूक लिये बैठा है। क्या यह जानकारी सरकार को है ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : दलपतियों को ट्रेनिंग जो एक महीने के लिये दी जाती है उसके लिये जो कार्यक्रम मुकर्रर किया है वह डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है और पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां तक उसके वर्किंग का सम्बन्ध है ग्राम में जाकर स्वयं सेवकों को इकट्टा करना दलपतियों का काम है। अभी जो आंकड़े दिये हैं वे विकास विभाग, कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट और पंचायत राज्य के आधार पर दिये हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या आपने दलपतियों को राइफलें दी हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : दलपतियों को राइफल दी जाती हैं, लेकिन वे जो दल तैयार करेंगे वह लाठी की ट्रेनिंग देकर करेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या सरकार को संतोष है कि प्रत्येक दलपति जाकर स्वयं सेवक तैयार कर सकेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : जितना भी किया है उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि दलपति जाकर अच्छी तरह से ट्रेनिंग दें। हम समझते थे कि एक्स मिलिट्री वाले काफी संख्या में आयेंगे, लेकिन बहुत कम आये हैं। जितने वोलेन्टियर्स आने चाहिये थे वे अच्छे नहीं आये हैं। हमने पंचायत राज विभाग को लिख दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अभी आपने बताया कि ४००७ होम गार्ड्स तैयार किये हैं, उनमें स्त्रियों की संख्या कितनी है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि होम गार्ड्स में स्त्रियों की संख्या एक भी नहीं है। खास तौर से उम्मीद की जाती है। अब स्त्रियों की एक कंपनी ब्यावर में तुरन्त शुरू हो जायगी और उसके बाद एक अजमेर में, एक जयपुर में और एक जोधपुर में खड़ी हो जायगी। ४ कम्पनियां खड़ी करने के लिये सबका सहयोग चाहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या किसी मन्त्री की स्त्री ने आकर शुरूआत नहीं की है !

श्री मथुरादास माथुर : किसी मन्त्री और एम० एल० ए० की स्त्री ने आकर शुरूआत नहीं की है, क्योंकि मंत्रियों की

(श्री मथुरादास माथुर)

स्त्रियों के ६–६ टावर हैं; इसलिये कैसे करें ?

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मोहनराज (बाली) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविल डिफेन्स के अंतर्गत राइफल क्लब या राइफल सेन्टर खोलने का प्रावधान है और यदि है तो कितने खोले गये ?

श्री मथुरादास माथुर : १७६ सेन्टर्स खोले गये हैं और जिस समय एमर्जेन्सी थी, चीन आगे बढ़ रहा था तब बहुत लोग राइफल ट्रेनिंग के लिये आते थे। हल्के हल्के लोगों का उत्साह कम हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) ; क्या यह सही है कि जितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था वह पूरा हो गया ?

श्री मथुरादास माथुर : सिविल डिफेन्स का जितना लक्ष्य था उतना पूरा हो गया, लेकिन राइफल ट्रेनिंग का लक्ष्य नहीं था। कोशिश यह थी कि जितने लोग ट्रेनिंग ले सकें उनको राइफल ट्रेनिंग दी जाय। इसलिये १७६ राइफल ट्रेनिंग सैन्टर्स खोले गये जो चल रहे हैं, लेकिन लोगों में जो उत्साह एमर्जेन्सी के समय था वह अब नहीं है।

श्री जोधसिंह (गिरवा): आपने फरमाया था कि जब एमर्जेन्सी थी तब लोगों में उत्साह ज्यादा था, तो क्या एमर्जेन्सी आज नहीं मानते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : एमर्जेन्सी बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन जनता पर उस वक्त जो असर था वह आज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरकार ने इस टेम्पो को बनाने के लिये उच्च-स्तरीय समिति का निर्माण किया था ? यदि हां, तो उसने अब तक क्या किया ?

३ म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : कोई हाई पॉवर कमेटी टेम्पो को बढ़ाने के लिए नहीं रखी गई।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह जो विलेज वॉलन्टियर फोर्स बनाई जा रही है, यह पुलिस बन गई है–क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस को छोड़ कर आधी पुलिस भी नहीं बनी है।

श्री अब्दुलजब्बार : गांवों में मार-पीट की घटना होना शुरू हो गई है, और आपके दलपति गांव की शांति नष्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : Order please !

ऐसे वेग एलीगेशन्स न लगायें। अगर कोई निश्चित एलीगेशन हो तो उसकी जानकारी मंत्री महोदय को करायें, वे उसकी जांच कर लें, उसके बाद कुछ कहें।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं दरोल का रेफरेन्स दे रहा हूं।

Page No 17

श्री अध्यक्ष : आप रेफरेन्स दे दीजिये। मंत्री महोदय इस पर जांच कर लेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं स्पेसिफिक रेफरेन्स दे रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : Order please! कई दफा माननीय सदस्यों के नोटिस में यह बात आ चुकी है कि वे कोई भी अनवेरीफाइड फेक्ट न रखें। आपको किसी केस की इत्तला है तो इस सदन में पेश करने से पहले मंत्री महोदय के नोटिस में ले आयें। आज आपने कोई बात कह दी तो उस पर एक दम न मंत्री महोदय कोई जांच कर सकते हैं और न उसका निराकरण कर सकते हैं।

(विराम)

श्री श्रवणलाल।

सरहद पर डकैतियां

२१५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान-पाकिस्तान सरहद पर गत वर्ष कितनी, कहां कहां और कब कब डकैतियां हुई जिनमें डाका डालने के बाद डाकू पाकिस्तान की ओर चले गये ?

(२) इन डकैतियों में किस किस डकैती में कितने कितने ग्रामीण मारे गये, किन किन व्यक्तियों को डाकू उठा कर ले गये और इनमें कौन कौन किस प्रकार वापिस आये ?

(३) इन डकैतियों में कितना माल डाकुओं द्वारा लूटा गया, कितना माल वापिस बरामद हुआ, कितने डाकू पकड़े गये अथवा मारे गये ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार अथवा भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान सरकार को लिखा गया है ? यदि हां, तो कब कब और उसका क्या परिणाम रहा ?

(५) राजस्थान में डाका डालने वाले कौन कौन पाकिस्तानी डाकू हैं तथा कौन कौन राजस्थान के डाकू हैं जो पाकिस्तान में पनाह पाते हैं ? कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) सन् १९६२ में ऐसी कुल १५ डकैतियां राजस्थान पाकिस्तान बोर्डर पर निम्न स्थान तथा तारीखों में हुई:—

बीकानेर जिला :

२३–१–६२ बिसनाहयान का बेरा।

१७–३–६२ खिलारिया, मोटोलाई, बेरावाला, कानोलाई, लालावाली।

२८–८–६२ मोडायत।

७–११–६२ गिरासर।

जिला बाड़मेर :

२३–८–६२ गोगादियों की ढानी।

२५–१०–६२ सोखरू दूदबेरी।

२७–१०–६२ जैसार रानासर कुडानी।

२०–१२–६२ नंद।

२६–१२–६२ भीमड़ा।

जिला जोधपुर :

२६–११–६२ रानेरी कानासर।

Page No 18

(श्री भीमसिंह)

जिला जैसलमेर :

१८-१२-६२ बेरावाला मिसरी की गोल, मेववालों की गोल, भीलों की गोल, शेखड़-मान का गोल ।

जिला गंगानगर :

६-३-६२ वाह्र

७-४-६२ टोवा काला केरी

२-८-६२ ग्राम ५५ एफ.

१५।१६-११-६२ श्याम की टानी

(२) सूचना संलग्न सूची में है ।

(३) सूचना संलग्न सूची में है ।

(४) प्रत्येक सीमावर्ती घटना की सूचना भारत सरकार को दी जाती है और ये जिसमें उचित समझते हैं पाकिस्तान सरकार को समुचित शृंखला द्वारा विरोध-पत्र भेजते हैं ।

(५) सूचना संलग्न सूची में है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय गृह मन्त्रीजी के स्टेटमेंट्स से समझते थे कि डाकुओं का सफाया हो गया है । फिर बार-बार डाकुओं का जिक्र क्यों आता है ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह तो उसके पहले की है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क निर्माण

२१६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में किस किस जिले में कितनी कितनी लम्बी सड़कें (ग्रेवल, मैटल और पक्का डामर रोड) राजस्थान सरकार ने किन वर्षों में बनाई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) सड़कों के हिसाब से किस जिले को सबसे ज्यादा रुपया पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया ? तमाम जिलों के हिसाब से खर्च के रूप में परसेन्टेज बताया जावे । कौन सा जिला सड़कों के हिसाब से पिछले दस वर्षों में सबसे पीछे रहा और उसके क्या कारण है ? सड़कों का परसेन्टेज कच्ची व पक्की सड़कों के हिसाब से बताया जावे ।

(३) क्या अब सरकार भविष्य में जो सबसे पिछड़ा जिला सड़कों के विकास में रहा है उसमें सड़क-निर्माण-कार्य शीघ्र ही करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(४) क्या यह सच है कि जिला जालोर में रानीवाड़ा—सांचोर सड़क का निर्माण जनता व सरकार के हित में सबसे प्रथम करना जरूरी है ? अगर हां, तो इस सड़क का निर्माण पक्का डामर के रूप में कब तक कर दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आ सका है, इसलिए आगे इसका उत्तर दिया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दिये एक साल चार महीने हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न ही ऐसा है। आपने सारी योजनायें पूछ ली हैं; कितनी सड़कें बनी हैं, क्या हुआ है।

प्रश्न संख्या २१७

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २१८

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २१९

श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२०

श्री विट्ठल।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव का पृथक्करण

२२१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव का सेपरेशन कितने और किन-किन जिलों में किया गया है? इन जिलों को छांटने के आधार क्या-क्या हैं?

(२) अन्य जिलों में यह सेपरेशन कब तक मुकम्मिल हो जाने का अनुमान है?

उप-मन्त्री, विधि (श्री परसराम मदरेणा) : (१) नौ जिलों में कम्प्लीट एक्सटेंट पर सेपरेशन हो गया है जुडिशियरी का। जिलों के नाम इस प्रकार हैं :

(१) अजमेर, (२) बांसवाड़ा, (३) बीकानेर, (४) भरतपुर, (५) डूंगरपुर, (६) जालौर, (७) झालावाड़, (८) नागौर, (९) सिरोही,

(१०) जैसलमेर	सिवाय पोकरन सब-डिवीज़न के,
(११) सीकर	सिवाय फतहपुर सब-डिवीज़न के,
(१२) बाड़मेर	सिवाय बालोतरा सब-डिवीज़न के,
(१३) चित्तौड़गढ़	सिवाय बेंगू सब-डिवीज़न के,
(१४) चूरू	सिवाय चूरू व राजगढ़ सब-डिवीज़न के,

Page No 20

(श्री परसराम मदेरणा)

(१५)	गंगानगर	सिवाय करनपुर व रायसिंह नगर सब–डिवीज़न के,
(१६)	जयपुर	सिवाय सांभर व कोटपुतली सब–डिवीज़न के,
(१७)	झुंझुनू	सिवाय खेतड़ी व नवलगढ़ सब-डिवीज़न के,
(१८)	जोधपुर	सिवाय फलौदी सब–डिवीज़न के,
(१९)	कोटा	सिवाय बारां, रामगंज मन्डी व छाबड़ा सब–डिवीज़न के,
(२०)	पाली	सिवाय देसूरी तहसील के,
(२१)	सवाईमाधोपुर	सिवाय सवाईमाधोपुर सब डिविज़न के,
(२२)	टोंक	सिवाय टोंक सब डिविज़न के,
(२३)	उदयपुर	सिवाय फलासिया सब-डिवीज़न के,
(२४)	भीलवाड़ा	सिवाय गुलाबपुरा, मांडलगढ़ सब–डिवीजन तथा जहाजपुर तहसील के

उपरोक्त जिलों को पृथक्करण योजना के लिए चुने जाने का यही कारण है कि जहां कम से कम खर्च पर यह योजना लागू की जा सकती थी वहीं लागू की गई।

(२) वर्तमान संकटकालीन स्थिति के समाप्त होने के उपरान्त ही इस योजना को बाकी जिलों में लागू किये जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : विभिन्न जिलों में जहां पर पूरे जिले में लागू की गई है, किन्हीं जिलों में कुछ डिवीज़न्स को छोड़ कर लागू की गई है- यह आधार कि कहां पर खर्चा ज्यादा होगा, कहां पर खर्च कम होगा, क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जिन अदालतों में काम अधिक है और जिन सब डिवीज़न्स और डिस्ट्रिक्ट में नई अदालत कायम करनी पड़ेगी, वहां के वर्क के असेसमेंट को देख कर उस असेसमेंट के आधार पर लागू किया गया है। इन २६ जिलों में से सिर्फ दो ही ऐसे जिले हैं जहां समस्त जिले में इसे लागू नहीं किया गया है और वे हैं बूंदी और अलवर।

श्री **अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : जहां सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी की स्कीम लागू कर दी है वहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की कमी है। वे जाते नहीं, इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कुछ ही कोर्ट्स में नहीं हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कहीं नहीं गये हैं तो वे मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की कमी की वजह से नहीं जा सके हैं। अब आर. जे. एस. के पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में लोग बैठे हैं और दो-चार रोज में पब्लिक सर्विस कमीशन का रिज़ल्ट आउट होने वाला है। उससे करीब २७ आर. जे. एस. रिक्रूट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ रिज़र्व लिस्ट में थे, उनको भी लेने का विचार चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : कम्प्लीट सेपरेशन ऑफ जुडीशियरी का किस डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने बताया कि नौ डिस्ट्रिक्ट्स है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "कम्प्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी" कम्प्लीट सेपरेशन से मतलब है कि एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट न हों और केवल जुडीशियल मजिस्ट्रेट हों। इन नौ जिलों में से कौन से जिले हैं जहां टोटली जुडीशियल मजिस्ट्रेट के हाथ में कोर्ट है और जहां कम्प्लीट सेपरेशन किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : हमारे यहां जो आई. पी. सी. और रेल्वे एक्ट के मुकदमात हैं, इन एक्ट्स के अन्तर्गत आने वाले मुकदमात के अधिकार उनको दिये हैं। सी आर. पी. सी. के १४७ और ११० के मुकदमे क्योंकि अन्डर मुन्सिफ नहीं रखे हैं इसलिए सी आर. पी. सी. के इनके अन्डर रखे नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि माइनर एक्ट के अधिकार एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को दिये हैं और जुडीशियल मजिस्ट्रेट को नहीं दिये गये हैं इसलिए एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार कम नहीं हुए हैं; बढ़े हैं।

गृह-मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का एक ही उत्तर हो जायगा। हमने सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव के अन्दर पूरे सेपरेशन की स्कीम लागू नहीं की है। सबसे बड़ा क्रिमिनल वर्क होता है वह इन्डियन पीनल कोड के मातहत होता है, वह कर दिया है, रेल्वे एक्ट का कर दिया है। माइनर एक्ट के मुकदमे एस. डी. एम. और एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो सी आर. पी. सी. के प्रिवेन्टिव मेजर जितने लिये जाते हैं वे क्रिमिनल लॉ से एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करेंगे और अभी तक हिन्दुस्तान में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां प्रिवेन्टिव मेज़र्स के लिए भी लागू हों और ये मुकदमे जुडीशियल मजिस्ट्रेट को दे दिये गये हों। हमारे यहां बाफना कमेटी का निर्माण हमने किया था। उसकी रिपोर्ट में भी यही बात है कि प्रिवेन्टिव मेजर, १४८ के प्रोमलगेशन वगैरह वगैरह हैं वे एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about offences under other Acts ?

श्री मथुरादास माथुर : You mean other minor Acts...?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑफेन्सेज़ एक्साइज़ के हैं, म्युनीसिपैलिटी के हैं; बहुत सारे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमने अभी ऑफेन्सेज़ इन्डियन पीनल कोड के दिये हैं और रेल्वे एक्ट के दिये हैं, दूसरे एक्ट के ऑफेन्सेज़ नहीं दिये हैं; इसलिए नहीं कि राज्य सरकार की इच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं दे पाये हैं कि अगर ज्यादा केस लोड बढ़ जाता है तो एडीशनल पोस्ट्स क्रियेट करनी पड़ेंगी और यह करना एमर्जेन्सी

(श्री मथुरादास माथुर)

के वक्त में मुनासिब नहीं है। जब एडीशनल फंड प्रोवाइड करने की गुंजाइश होगी तो यह कर दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सी. आर. पी. सी. के केसेज़ को तब भी एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अन्दर में रखना पड़ेगा?

श्री मथुरादास माथुर : यह बाफना कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी यही है और हिन्दुस्तान में जहां सेपरेशन हो गया है वहां पर भी है। वे उसके बाद भी रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि जब माइनर एक्ट का काम जुडीशियल मजिस्ट्रेट पहले करते थे और बाद में यह काम उनसे ट्रान्सफर हुआ है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जब पहले ऑलरेडी यह काम उनके जरिये से होता था तो फिर उनसे ट्रान्सफर क्यों किया गया?

श्री मथुरादास माथुर : पहले दस-बारह जिलों में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थे; लेकिन अब हर जिले में माइनर एक्ट्स का काम एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास रखा गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या राज्य सरकार जिस प्रकार बम्बई आदि में एग्ज़ीक्यूटिव और जुडीशियरी के लिये अलग एक्ट है, उसी तरह यहां पर भी अलग एक्ट बनाना चाहती है?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गुड़गांव कैनाल

२२२. **श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में गुड़गांव कैनाल बनाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है?

(२) क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी उक्त कैनाल के निर्माण का प्रावधान था? यदि हां, तो किन कारणों से इस कैनाल का निर्माण नहीं हो पाया है?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। आवश्यक योजना तैयार की जा रही है एवं यमुना के बचे हुए जल को पंजाब, राजस्थान व उत्तरप्रदेश राज्यों में विभाजित करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी हां, पंजाब राज्य के अन्दर बनने वाले कार्यों के तखमीने फाइनल नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हो जावेगा?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : यह बात ठीक ढंग से नहीं कही जा सकती कि यह पूरा हो जावेगा। यह इन्टर स्टेट योजना है और तीन राज्यों के बीच में है; राजस्थान, यू. पी. और पंजाब। सबसे पहले आगरा कैनाल से पानी लेना है। दूसरी बात शेअरिंग ऑफ कोस्ट और बेनीफिट का प्रश्न

(श्री भीखाभाई)

है। जब तक ये बातें तय नहीं हो जाए हम नहीं कह सकते कि इसको फाइनेलाइज़ किया जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह : यह पानी देने की बात कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भीखाभाई : इसके बारे में चीफ इंजीनियरों के आपस में मीटिंग दिल्ली में हुआ करती है....

श्री नत्थीसिंह : कब से हो रही है ?

श्री रामकिशन (वैर) : चीफ इंजीनियरों की मीटिंग तो होती रहेगी, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पानी से नुकसान हो रहा है वह कब तक रुक जावेगा ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न राजस्थान का प्रश्न नहीं है। इसके लिए यू. पी. और पंजाब व राजस्थान तीनों का कॉमन वर्क है। जब तक तीनों में जो बातें मैंने ऊपर बताई हैं तय नहीं हो इन्टर स्टेट योजना को नहीं लिया जा सकता।

श्री रामकिशन : जिस प्रकार की प्रगति चल रही है उससे मालूम होता है कि यह मामला १० साल में भी नहीं होगा।

श्रम विभाग के कर्मचारियों के वार्षिक बढ़ोत्तरी तथा वेतन बकाया के मामले

२२३. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्रम विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके तनख्वाह, वार्षिक बढ़ोतरी (increment) और वेतन सम्बन्धी बकाया के मामले तीन-चार साल से विचाराधीन हैं ?

(२) इन मामलों को इतने लम्बे समय तक विचाराधीन रखने के क्या कारण हैं ?

(३) सरकार इन मामलों पर कब तक निर्णय लेकर सम्बन्धित व्यक्तियों को बकाया का भुगतान कर देगी ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) ऐसे कुल १५ कर्मचारी हैं जिनके इन्क्रीमेन्ट व फिक्सेशन के मामले पेंडिंग है।

अनेक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है साहब।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) ऐसे कुल १५ कर्मचारी हैं जिनके इन्क्रीमेंट व फिक्सेशन के मामले पेन्डिग हैं।

(२) इन कर्मचारियों में से अधिकांश का सर्विस रेकॉर्ड्स व सम्बन्धित कागजात व फिक्सेशन स्टेटमेन्ट दूसरे विभागों से जहां से उनका श्रम विभाग में स्थानान्तरण हुआ है काफी प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है। दो मामलों में बिल बन चुके हैं और ट्रेज़री में भेजे जाने वाले हैं।

(३) इनका शीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया . आपने १५ कर्मचारियों के बारे में कहा कि इनके इन्क्रीमेंट व फिक्सेशन के मामले पड़े हुए है, इनमें से चपरासी कितने है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ५ के करीब चपरासी हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरियो : माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चपरासी ५ नहीं बल्कि ९ हैं जिनको सन् ५८ से आज तक एरियर नहीं मिला है।

(विराम)

अगर माननीय मंत्री का टी. ए. बिल एक दिन के लिये भी रुक जावे तो कितनी दौड़–धूप की जाती है ?

इसके अलावा आपने यह जो १५ की लिस्ट बताई है यह भी बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। मैं उन लोगों के नाम आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिनकी लिस्ट मेरे पास है और जिनके नाम इन १५ में नहीं है अभी वहां पर कुल दो सौ कर्मचारी हैं जिसमें से १०० कर्मचारी ऐसे हैं जिनके केसेज़ पेन्डिंग हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारा यह लेबर डिपार्टमेंट है। इन आदमियों के नाम इन १५ में नहीं है :

श्री गोविन्दसिंह

श्री छुट्टनलाल गुप्ता

श्री रघुवीरप्रसाद

श्री महर्षि कुमार

श्री डी. डी. जोशी

आदि के नाम इन १५ की लिस्ट में नहीं हैं। मैं यह कहूंगा कि सन् १९५८ से लेकर आज तक इन लोगों की तनख्वाह तक बकाया है। समझ में नहीं आता आपका लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ? जब वह अपने ही डिपार्टमेंट को नहीं संभाल सकता तो फिर दूसरों को तो क्या संभाल सकता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लेबर डिपार्टमेंट राजस्थान के लेबर को संभालता है, अपने डिपार्टमेंट को भी संभालता है और आपको भी संभालता है। दूसरे डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी स्थानान्तरित होकर आये हैं उनके फिक्सेशन स्टेटमेंट दूसरे विभागों से नहीं आये है; फिर भी हम जल्दी प्रयत्न कर रहें है उनको प्राप्त करने के । सरकार यह चाहती है कि न्याय हो लेकिन जो आवश्यक व्यवस्था है वह तो होनी चाहिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने कहा कि हम जल्दी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको १९५८ से नहीं मिला है। चपरासी जैसों का रेकॉर्ड तो दफ्तर में ही रहता है उनको भी आज ५८ से ६३ हो गया नहीं मिलता है। आप कृपया डेफिनिट टाइम बता सकते हैं कि अब कब तक उनको मिल जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने जो अभी नाम बताये है वे हमारे डिपार्टमेंट में कर्मचारी नहीं हैं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय मंत्री पहले इस संबन्ध में पूरी जानकारी करके जबाव दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं कि वे उनके डिपार्टमेंट में नौकर नहीं हैं, यह तो बहुत ही ऐसी बात हो गई। मैं बता सकता हूं कि किन किन जगह पर वे काम कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : यों तो बहस का एन्ड नहीं होगा। आप व्यक्तियों के नाम मंत्री महोदय को दे दें। वे इसकी जांच कर लेंगे और जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और दो-तीन दिन के बाद इसका फिर से उत्तर दे दें।

(विराम)

नेक्स्ट ।

चिकित्सा भत्ते के झूठे बिल

२२४. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् १९६० से आज तक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने राज्य-अधिकारियों के चिकित्सा भत्ते के झूठे बिलों के कितने मामले पकड़े हैं तथा कितने मामलों का अदालत में चालान पेश हो चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : सन् १९६० से आज तक चिकित्सा भत्ते के झूठे १६ मामले पकड़े गये, जिनमें से एक का चालान हुआ है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अनेक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : फिर से सुन लीजिये।

श्री भीमसिंह : सन् १९६० से आज तक चिकित्सा भत्ते के झूठे १६ मामले पकड़े गये, जिनमें से एक का चालान हुआ है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें गजटेड ऑफिसर्स कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप सूची देख लें।

श्रीमती सुमित्रादेवी (झुंझुनू) : अन्य मामलों में क्या हुआ ? इसमें राजपत्रित अधिकारी कितने हैं ?

श्री भीमसिंह : सुनाई नहीं दिया।

श्रीमती सुमित्रा देवी : अन्य मामलों में क्या हुआ और इनमें से गजटेड अधिकारी कितने हैं ?

श्री भीमसिंह : Out of 16 cases, four are under investigation......

श्रीमती सुमित्रा देवी : मैंने पूछा है कि इन १६ में से गजटेड ऑफिसर्स कितने हैं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : करीब चार-एक हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि प्रोसीक्यूशन के लिये प्रोसीक्यूशन करने से पहले पेरेन्ट डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट को उसकी राय के लिये भेजता है ?

श्री मथुरादास माथुर : एन्टीकरप्शन से लॉ डिपार्टमेंट का ताल्लुक नहीं है। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट प्रिलीमीनरी इन्क्वायरी करके भेज देता है कि इनके खिलाफ प्राइमा-फेसी केस बनता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी करके डिपार्टमेंट को भेज देता है और डिपार्टमेंट तहकीक करके प्रोसीक्यूशन कराता है ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आना चाहिये। हम तो प्राइमरी इन्क्वायरी करके डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और डिपार्टमेंट हमको कहे कि इसका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये और उसके बाद enquiry will do justice..

श्री भैरोंसिंह : कितने डिपार्टमेंटों ने जांच करके आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन कर दिया जावे और कितनों का प्रोसिक्यूशन किया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका जवाब आपको दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : चार केसेज़ का चालान हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : चालान एक केस का हुआ है, बाकी का क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : Only 16 cases have been detected by the Anti Corruption Police. Out of them five cases have been registered and four are under investigation...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक केस में आपने फरमाया है कि केस के रजिस्ट्रेशन के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की पर्मिशन मांगी गई है; तो यह किस कानून के आधार पर पर्मिशन मांगी है ? केस तो कोई डी वाई. एस. पी. रजिस्टर कर सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के तहत जो रिपोर्ट किसी डिपार्टमेंट के नीचे जाती है, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट जांच करता है, प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी करने के बाद कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट के पास भेज देता है कि प्राइमाफेसी केस बनता है, हमको इजाजत दीजिये कि हम केस रजिस्टर करके एन्वेस्टिगेशन करें। उनकी इजाजत के बाद केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन प्रारम्भ की जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक केस में पर्मिशन मांगी है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, उसी तरह ५ केसेज़ में भी मांगी है। एक केस का चालान कर दिया और बाकी ५ केसेज़ में पर्मिशन दे दी गई तब इन्वेस्टिगेशन किया गया, फिर उनका चालान क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५ का तो इन्वेस्टिगेशन कर ही चुके हैं, जिसमें से एक का चालान कर दिया है, यह आपने अभी कहा न ?

श्री मथुरादास माथुर : Five cases have been registered. One case has been challaned in the court of law and the remaining four are under investigation. इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : जिन व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर होकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनको मोअत्तिल किया है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : उनको मोअत्तिल करने का अधिकार हमको नहीं है। उन डिपार्टमेंट्स को लिख देते हैं कि केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया गया है। रूल यह है कि केस रजिस्टर करने की परमिशन देते ही मोअत्तिल कर दें। मोअत्तिल करना हमारा काम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपका काम नहीं है, पर केस रजिस्टर होते ही दूसरे डिपार्टमेंट में उसका सस्पेन्शन होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि यह हमारे डिपार्टमेंट से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चिकित्सा सम्बन्धी गलत बिल बनायें, तो इसमें तो फौरन चालान किया जाना चाहिये, इसमें ज्यादा एविडेन्स की आवश्यकता नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फाइनली तय करना पड़ता है। कोई ऐसा केस हो कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीक्यूशन कर सकें तो हमेशा यह रिकमन्ड करता है कि चालान होना चाहिये और अगर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीक्यूशन नहीं किया जा सकता हो तो फिर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करके पनिशमेंट देना मुनासिब समझते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह के केसेज़ में डॉक्यूमेंटरी एविडेन्स होती है। बिल बना कर पेश किये जाते हैं और पैसा लिया जाता है। बीमार नहीं होने की हालत में भी गलत तरीके से बिल बना कर सरकार की ट्रेज़री से पैसा ड्रॉ कर लेते हैं तो प्रश्न क्या रहता है कि कोर्ट में स्टेन्ड कर सकेगा या स्टेन्ड नहीं कर सकेगा। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट करनी चाहिये। मन्त्री महोदय का जवाब ठीक नहीं है, सिर्फ यह कह देना कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जानता है, यह प्रश्न का मुकम्मिल उत्तर नहीं है। प्रश्न सरकार से पूछा जाता है....

श्री अध्यक्ष : सरकार से नहीं, विशेष मंत्री से पूछा जाता है विशेष डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट सम्बन्धित हैं। उनके मंत्री महोदय के मार्फत सब जानकारी करके प्रश्न का मुकम्मिल उत्तर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चालान किया है, उसमें सिवाय उस कर्मचारी के आपने डॉक्टर, केमिस्ट वगैरह का भी चालान किया है या नहीं ? क्योंकि वह अकेला तो कुछ नहीं कर सकता।

श्री मथुरादास माथुर : इसकी जानकारी मांगी नहीं, आपने तो सिर्फ यही पूछा है कि एन्टीकरप्शन में कितने केसेज़ चालान हुए, वह बता दिया। अब उनकी डिटेल्स पूछते हैं तो वह तो जानकारी हासिल करके ही उत्तर दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : जनरल क्वेश्चन है कि अगर आपका विभाग ऐसी जानकारी करता है कि उस अधिकारी के साथ दूसरों का चालान करना आवश्यक है, क्योंकि वे भी उस ऑफेन्स में शरीक हैं तो इस एक्ट के नीचे चालान किया जा सकता है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : उसके साथ कॉंस्पिरेटर हो, एक्यूज्ड हो और साथ में आता हो, एन्टीकरप्शन की उस दफा के माफिक आता है तो उसे साथ में लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरा यही प्रश्न था।

You can register another case.

श्री मथुरादास माथुर : This will go to the Police......

श्री अध्यक्ष : Then what is the harm ?

श्री मथुरादास माथुर : We have done that; e.g. about Jodhpur School.

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

समेल प्रोजेक्ट ग्राम राजकोट, तहसील देवली

२२५. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि तहसील देवली, ग्राम राजकोट में सरकार द्वारा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई समेल नाम का प्रोजेक्ट विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रोजेक्ट का सर्वे भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन से करा दिया गया है? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या इस क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई ऐसे साधन हैं जिससे वहां की जल–समस्या हल की जा सकती है? यदि नहीं, तो इस प्रोजेक्ट को कब तक तैयार किया जायेगा?

(४) क्या यह सही है कि वह इलाका शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है? यदि हां, तो उनकी कितनी जनसंख्या है?

उप–मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) और (२) : समेल नाम की तो नहीं बल्कि राजकोट की एक लघु सिंचाई योजना अवश्य विचाराधीन है, जिसकी सर्वे हाल ही में की गई है। रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है।

(३) जी हां। सर्वे की पूर्ण रिपोर्ट आने पर ही इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

(४) जी नहीं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या के आंकड़े इस विभाग को प्राप्त नहीं हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : 'जल्दी' की परि-

(श्री दिग्विजयसिंह)

भाषा दें कि कब तक सर्वे रिपोर्ट आ जायगी और कब यह काम प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : सर्वे की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो जायगी और कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : बहुत जल्दी हो जायगा सब।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस शब्द को बदल दिया जाय और दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाय।

श्री दिनेशराय डांगी : प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो तैयार है, फाइनल रिपोर्ट आते ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायगी।

प्रश्न संख्या २२६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन !

भरतपुर जिले के पुलिस अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

२२७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को भ्रष्टाचार के मामले में मोअत्तिल किया गया है ?

(२) क्या भरतपुर जिले के भी किन्हीं पुलिस अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) भरतपुर जिले के ३४ अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है।

श्री रामकिशन : सूची तो नहीं मिली, इसलिये मुझे जानकारी ही नहीं मिल पाई है कि किसके खिलाफ क्या मामला है ?

श्री अध्यक्ष : बड़ी सूची नहीं हो तो बता दें।

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : ३४ ऑफिसर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इस सूची में एस० पी०, भरतपुर भी शामिल हैं ?

श्री भीमसिंह : शामिल है साहब।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनको चार्जशीट दिया गया है ?

श्री भीमसिंह : वे सस्पेन्ड हो चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : वर्तमान एस० पी० ?

श्री भीमसिंह : पहले वाले ।

श्री भैरोंसिंह : मौजूदा को भी दी है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : चार्ज शीट दी जा चुकी है ।

श्री रामकिशन : जिस एस० पी० को सस्पेन्ड किया है क्या लोगों ने उसके खिलाफ बयान दिये हैं, सब इन्स्पेक्टर्स वगैरह ने कि हमने इनको रिश्वत दी है ? एस. आईज़. वगैरह ने रिश्वत देना स्वीकार किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी तफतीश चालू है, एन्क्वायरी चालू है, इसलिये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : जिस तरह एस. पी. भरतपुर को सस्पेन्ड किया, चार्जशीट दी, क्या उसी तरह के चार्जेज़ सी. आई. सेनी पर भी हैं ? फिर सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : उनके खिलाफ एन्क्वायरी चल रही है, प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी चल रही है, उसके बाद ही फैसला होगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन एन्क्वायरी के अनुसार सी. आई. सेनी के खिलाफ भी वही चार्जेज़ साबित हुए हैं जो एस. पी. के खिलाफ साबित हुए थे ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी तक सी. आई. के खिलाफ चार्जेज़ की एन्क्वायरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सी. आई. सेनी के खिलाफ भी चार्जेज़ प्रिलिमिनरी रूप में साबित हो चुके हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : सेनी खुद विटनेस है ।

श्री रामकिशन : एक आदमी जिसके खिलाफ इतने एलिगेशन हैं, उसको गवर्नमेंट कैसे विटनेस बना देती है ? उस रिपोर्ट में सी. आई. सेनी के खिलाफ एलिगेशन साबित हुए हैं, फिर सरकार उसे क्यों नहीं सस्पेन्ड करती ? विटनेस कैसे बनाया है ?

श्री मथुरादास माथुर : सी. आई. के खिलाफ उस रिपोर्ट में चार्जेज़ एस्टेब्लिश नहीं हैं, इसलिये एन्क्वायरी की जा रही है । प्रिलिमिनरी कार्यवाही होने के बाद प्राइमा-फेसी बनने पर ही कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक लम्बी लिस्ट मैंने खुद ने आपको दी थी और आपने जल्दी से जल्दी एन्क्वायरी कराने का आश्वासन दिया था, उस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री मथुरादास माथुर : जो लम्बी लिस्ट दी थी उसके लिए लम्बी एन्क्वायरी करनी पड़ती है और लम्बा टाइम लगता है ।

श्री रामकिशन : जब आप डीग पधारे थे तो मैंने एक छोटी लिस्ट दी, उसका क्या हुआ ?

Page No 31

श्री मथुरादास माथुर : छोटी लिस्ट लम्बी लिस्ट में जुड़ने के बाद में वह लम्बी लिस्ट और ज्यादा लम्बी हो गई ।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष, मन्त्रीजी तथ्यों को दबा रहे हैं और इस प्रश्न को यों ही टाल रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : तथ्यों को दबा नहीं रहा हूँ । मेरा एक स्पेशल ऑफीसर, एन्क्वायरी ऑफीसर जांच कर रहा है । सवाल यह है कि चार्जशीट हर तरह से मुकम्मिल होनी चाहिये । एन्क्वायरी चल रही है और उम्मीद की जाती है कि एन्क्वायरी खत्म होने पर जो रिपोर्ट आयेगी उस पर जल्दी ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एन्टीकरप्शन के डी. आई. जी. ने सी. आई. सैनी को आश्वासन दिया है कि एस० पी० चडडा के खिलाफ एविडेन्स दे दें तो उसके खिलाफ कोई एन्क्वायरी नहीं कराई जायगी ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बात कतई सही नहीं है । दूसरा यह है कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट से सेनी के खिलाफ एन्क्वायरी नहीं कराई जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि चड्डा के खिलाफ एन्क्वायरी करने के लिए डी. आई. जी. भरतपुर गये और एविडेन्स कलेक्ट की ।

श्री मथुरादास माथुर : चडडा के खिलाफ एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट इन्क्वायरी कर रहा है और की है । सेनी के खिलाफ कहा गया कि एन्टीकरप्शन विभाग कर रहा है क्या, तो मेरा कहना है कि वह नहीं कर रहा है और दूसरे डी. आई. जी. पी. रे करवा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : किसलिए ? एक व्यक्ति के खिलाफ एन्टीकरप्शन का डी. आई. जी. पी. इन्क्वायरी कर रहा है और दूसरे के खिलाफ दूसरा डी. आई. जी. पी. कर रहा है, यह क्यों ?

श्री अध्यक्ष : इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने यह आश्वासन दे दिया है कि तूने लूट मचाई हैं सो तो तुझको छोड़ दिया जाता है और चड्डा को मरवा दो ।

श्री मथुरादास माथुर : ऑर्डिनरी पुलिस के ज्युरिडिक्शन में आता है इसलिए ऑर्डिनरी डी. आई. जी. पी. कर रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जो सूचना सेनी के खिलाफ है उसको वह टेम्पर विथ कर रहा है । उसको आपने छूट दे रखी है ।

श्री मथुरादास माथुर : सेनी को उस जिले से हटा दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एस. पी चड्डा को चार्ज शीट नहीं दी गई है और उसको सस्पेन्ड हुए छः महीने हो गये हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : चार्ज शीट

(श्री मथुरादास माथुर)

दी या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम है। चार्ज शीट तैयार है और मिल जायगी।

श्री भैरोंसिंह : छः महीने तो हो गये।

श्री मथुरादास माथुर : इन्क्वायरी रिपोर्ट आने पर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी ऑफिसर इन्क्वायरी शुरु करता है। यह मेरे सीगे से तो नहीं होता है दूसरे विभाग से होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, में एक प्रश्न करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी से कि आप यह बताने की कृपा करेंगे कि कानूनी बात पूरी करने के लिए अगर किसी की इन्क्वायरी में उस एविडेन्स को लाने के लिए किसी आदमी को छोड़ा जावे, दोनों ही छूट जाय, ऐसी बात हो और किसी की गवाह देने से ज्यादा जुर्म करने वाला फंसता है तो उसको अगर छोड़ भी दिया जाय तो क्या बुराई है ? यहां पर उसको बचाने के लिए एजिटेशन होता है तो आप उसको गलत समझते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : This is no question. Need not answer

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्टरी और पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि सेनी चड्डा के खिलाफ गवाह है; तो क्या इससे यह निष्कर्ष निकालें कि सरकार के दिमाग में यह बात है कि वह उसको एप्रूवर बनाना चाहती है ?

श्री मथुरादास माथुर : एप्रूवर का प्रश्न नहीं है। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी किसी ऑफिसर के खिलाफ हो, यहां वह एस. पी. था और वह सर्कल इन्सपेक्टर था। चार्ज यह था कि फलां के मार्फत उसने ऐसा किया। जिसकी मार्फत किया तो वह गवाह में आवेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : फिर आपने दफा १६४ के अन्तर्गत उसके बयान क्यों नहीं कलमबन्द किये ? वह उसके खिलाफ गवाह नहीं देगा और लाखों रुपया जो इन लोगों ने डकारा है वे यों ही छूट जावेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : कोर्ट में देने का प्रश्न नहीं है। इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : एस. पी. चड्डा को इसलिए मौअत्तिल किया गया है कि उसने बहुत गड़बड़ी की है और उसको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आई. पी. एस. रूल्स के अन्तर्गत किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर होता है तो उसको तुरन्त सस्पेन्ड करके चार्ज शीट दी जाती हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : चड्डा को कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पर्टीकुलर क्वेश्चन है कि क्या आई. पी. रूल्स के अन्तर्गत किसी

Page No 33

(श्री भैरोंसिंह)

पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर होता है तो उस पुलिस अधिकारी को साइमल्टेनियसली सस्पेन्ड करना पड़ता है और उसको चार्ज शीट देनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : यह अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट करता है।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए।

(समयाभाव के कारण प्रश्न-काल में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामकिशन : बच गये साहब। मुझे सूची तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री वित्त मंत्री :

(३.३३ म.प.)

अनुपूरक अनुदानों (१९६३-६४) एवं अधिक अनुदानों (१९५९-६०) की मांगों के विवरणों का उपस्थापन

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अनुपूरक तथा अधिक अनुदानों की मांगों के विवरणों का उपस्थापन करता हूं :

(१) अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६३-६४

(२) अधिक अनुदानों की मांगें, १९५९-६०

पुरःस्थापित विधेयक

(क) राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरणा) विधेयक, १९६३

श्री अध्यक्ष : The Rajasthan Police (Incitement to dissffection) Bill, 1963.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं "The Rajasthan Police (Incitement to Disaffection) Bill, 1963" को पुरःस्थापित करता हूं।

(ख) इन्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) (जागीर सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विस्तार) विधेयक, १९६३

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं "The Indian Soldiers (Litigation)(Extension to JagirProceedings) Bill,1963" को पुरः स्थापित करता हूं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सुनाई ही नहीं देता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं "The Indian Soldiers (Litigation)(Extension to Jagir Proceedings) Bill, 1963" को पुरः स्थापित करता हूं।

(ग) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १९६३

अध्यक्ष महोदय, मैं "The Ajmer Shamlat Committees(Dissolution)Bill,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

1963" को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "The Ajmer Shamlat Committees (Dissolution) Bill, 1963" को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं "The Ajmer Shamlat Committees (Dissolution) Bill, 1963" को पुर : स्थापित करता हूं ।

(घ) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३

श्री निरंजन नाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं "The Rajasthan Primary Education Bill, 1963" को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "The Rajasthan Primary Education Bill, 1963" को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

(३. ३७ म. प.)

मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर अग्रेत्तर विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष : मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर विचार ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि बहस का समय कल ५ बजे तक का जो निर्धारित किया गया था उसको बढ़ा कर कल ८ बजे तक के लिए कर दिया गया है । इससे समय में कुछ परिवर्तन हुआ है । हर एक पार्टी और हर एक ग्रूप को कुछ ज्यादा ही समय बोलने को मिलेगा । फिर भी मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको, यथा-संभव कोशिश की जायगी कि वापिस उत्तर देने का मौका दिया जाय लेकिन वह तब ही संभव हो सकता है जब कि माननीय सदस्य इस बात का सहयोग करें; उनके ग्रूप के लोग और अन्य व्यक्ति ज्यादा समय न लें ताकि उनको समय दिया जा सके उनके, प्रस्तावों की बहस का उत्तर देने के लिए ।

श्री मुकुटबिहारीलाल कल बोल रहे थे और मैं आशा करता हूं कि वे जल्दी ही दस मिनिट में समाप्त कर देंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जल्दी ही कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कल अपनी बहस

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जारी रख रहा था उसके दौरान में कई माननीय सदस्यों ने ऐसा अनुभव किया कि मैं जान बूझकर....

श्री अध्यक्ष : आप नये अनुभव से शुरु करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगा रहा हूं। वास्तव में मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। वास्तव में जो सत्य तथ्य हैं, जो सच्चाई का निचोड़ है उसको कर्त्तव्यवश होकर सदन के समक्ष रख रहा था और रखने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, केवल तथ्यों के रखने मात्र से अगर लोगों की नाराजगी हो, अगर मधुर सम्बन्धों को कायम रखने में सच्चाई की बात कहना बाधक होता है तो यह जनतन्त्र के लिए बड़े खतरे की बात होगी। चूंकि हम जनतन्त्र को कायम रखना चाहते हैं, हमें राजस्थान महान् बनाना है, अतः यह वृहत्तर राजस्थान के हित में होगा कि जो बातें कही जाती हैं या माननीय सदस्य सम्बन्धी भी कही जाती हैं और साफ तौर पर सदन के समक्ष आ जाती हैं तो उससे, मैं समझता हूं, स्वस्थ परम्परा पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, पिछले सात वर्षों से लगातार वहां पर डी० एस० पी० नारायणसिंह बदस्तूर धौलपुर डिवीजन में कायम हैं। गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या वे कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा है जो बदस्तूर सात साल तक एक ही स्थान पर रखा गया हो, बतलाएंगे। क्या कारण है कि इनको एक ही स्थान पर इतने सालों तक रखा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन तमाम चीजों के मूल में ××× हैं। जो कुछ भी घटनायें वहां हुई हैं मैं उनसे और किसी का सम्बन्ध जोड़ना नहीं चाहता उन सब चीजों के बीच में हमारे ××× बैठे हैं। यह एक तथ्य है जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले १५ साल के दौरान में कितनी हत्यायें हुई, सब डिवीजन धौलपुर में कितने बलात्कार के मामले हुए, कितने अपहरण हुए, कितना माल लूटा गया और कितना माल बरामद हुआ, उसके ये तमाम आंकड़े हैं उनको मैं रखूंगा तो सदन के सामने दिल दहला देने वाले तथ्य सामने आयेंगे। इससे लोग यह समझने लगे हैं कि क्या राजस्थान में कोई राज्य है या ××× मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले दिनों में इन चौदह वर्षों के अन्दर धौलपुर सब-डिवीजन में कितने एनकाउन्टर हुए, कितने डकैत मारे गये, कितने डकैत पकड़े गये, कितने जमानत पर छोड़े गये, कितनों का चालान किया गया, कितनों को बेल पर छोड़ा गया, कितने डकैतों का कन्विक्शन अप हेल्ड है, उसके लिये मैं तथ्य पेश करूंगा जो आपको सच्चाई बतायेंगे।

रूपा डकैत जो चम्बल का डकैत था घायल हुआ, बाद में वह पकड़ा गया। इसके पीछे कौन से डी० आई० जी० का हाथ था इसके बारे में जो तथ्य हैं वे मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा शंकर डाकू के बारे में। उस डकैत का माल ××× के पास में था। जब उनसे वह माल मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया, इससे डकैत नाराज हो गया। हालांकि वह डाकू सब मुकदमों में बरी होकर आ गया और वह एक नागरिक की हैसियत से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था और कांग्रेस ने उस पर बड़ी महरबानी करके ११ रुपये लेकर अपनी पार्टी का सदस्य बना लिया ....

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार के ××× ही सदस्य हो सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जिसने ××× के साथ बैठ कर चुनाव में उनका प्रचार किया था, लेकिन जब उसने ××× से अपना माल मांगा तो उनके मना करने पर उसने ××× को धमकी दी। जब किसी का माल कोई न दे तो नाराज होना स्वाभाविक है। उसने उसको चुनौती दी। चूंकि ××× को चुनौती मिल गई, इस तरह की जब बात हुई तो यह बात कितनों के पास पहुंचाई गई; जो साले हैं, बहनोई कहलाते हैं, जीजा बनते हैं उनके पास यह पहुंची तो उनको भी रोष आ गया कि हमारे साले के साथ, जो अनैतिक व्यापार में मदद करते हैं, उनको किस तरह से बचाया जाय, उनके बारे में जो तथ्य है वह मैं सदन के सामने रखता हूं, उस पर विचार करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके बाद क्या होता है; चुनाव का एन वक्त होता है, दूसरे रोज वोट डालने होते हैं, चूंकि ××× इस बात की धमकी दे चुका था कि उसका माल वापिस होना चाहिये, लाखों रुपयों का माल था तो डी० एस० पी० नारायणसिंहजी निहालगंज में एक आउट पोस्ट आर० ए० सी० की कायम करते हैं और वह आर० ए० सी० की टुकड़ी को ××× के सामने तैनात कर दिया। नाम यह दिखाया गया कि निहालगंज आउट पोस्ट पर आर० ए० सी० की डकैतों के लिये पोस्ट कायम की गई। वास्तव में ××× की रक्षा के लिये आर० ए० सी० की पोस्ट कायम की गई।

मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उन ××× के पास उस डकैत का लाखों का माल था, उसमें बड़े बड़े जीजा-सालों ने मिल कर, बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर और अधिकारियों ने मिलकर षडयन्त्र किया। उस डकैत की मार-पिटाई करके उसको भगा दिया गया और बता दिया गया कि वह तो फरार हो गया और डकैत हो गया।

मैं यह मानूंगा कि जिस वक्त में मार-पिटाई हुई डकैत को पकड़े जाने की कोशिश की होगी, उससे वह फरार हो गया। आखिर में उसने काम बुरा किया। उसके बाद यह षडयन्त्र रचा गया जिससे उसको जहर दिलवा कर उसकी जीवन-लीला समाप्त कर दी गई। ६–४–६३ का दिन आया, उस रोज अचीत का पुरा के देवीसिंह के यहां जाकर मीटिंग की गई। चूंकि डी० आई० जी० साहब नाराज थे, उनके ट्रान्सफर का मामला चल रहा था, फौरन ही वायरलेस दिया गया, एनकाउन्टर तैयार है, आ जाओ। उस समय शीशाराम शर्मा एस० पी०, श्री सन्तराम डी० आई०

××× अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No 37

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल

जी० वहां पहुंच जाते हैं; न गोली चलती है, न बन्दूक चटकती है फौरन फोटो खींचे जाते हैं। जिस डाकू को तीन दिन पहले जहर देकर मार दिया गया था उसके साथ फोटो खीचे जाते हैं। बड़े-बड़े पुलिस के अधिकारियों के साथ फोटो खींचे जाते हैं और वे अखबारों में छपते हैं कि एन्काउन्टर में डकैत मारा गया। यह है राजस्थान का सिस्टम डकैतों को मारने का जिसको हम रोज सुना करते हैं।

यही नहीं, एक तथ्य और मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। चम्बल घाटी का प्रसिद्ध डाकू मध्यभारत, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दुर्दान्त डकैत मानसिंह दस्युराज उसका भाई नावबसिंह। आखिर नवाबसिंह वाला कान्ड क्या है? बात यह बनी कि नवाबसिंह डाकू जब बूढ़ा हो गया था और चलने-फिरने में लाचार था तो उसने नारायणसिंह के साथ सम्पर्क किया। उनसे सम्पर्क स्थापित करने के अनन्तर मोरीपुरा के अन्दर रात को एक कमेटी बैठती है।

एक माननीय सदस्य : यह सारा हाल आपको कैसे मालूम है?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : आप चश्मदीद थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : डाकुओं से मालूम हुआ औरXXX हाल बता रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मोरीपुरा के अन्दर एक रात को कमेटी बैठती है और उसमें इस बात का फैसला किया जाता है कि नवाबसिंह को किस तरह से कहां पर सुरक्षित रखा जाय। उस समय पत्थरों के बड़े ठेकेदार बोरली के ठेकेदार उन डी वाई० एस० पी० से मिलते हैं। उन खानों के मैनेजर जो अंग्रेज थे और सरजीतसिंह दोनों मिलते हैं, उस वक्त शराब पीते हैं, खूब वहां दावतें हुई और बाद में यह तय होता है कि इस डाकू को सरजीतसिंह के यहां बरोली में रखा जाय। उसके प्रोटेक्शन की वे गारन्टी लेते हैं। रूपा डकैत का वह समुदाय आगे बढ़ता है। नवाबसिंह बरोली के अन्दर रहने लगा। यह बात एक हरिजन को मालूम हुई और वह भाग कर जाता है कि यह दस्युराज नवाबसिंह है। होता क्या है, वह हरिजन वहां से भाग कर जाता है एक वफादार नागरिक की हैसियत से, सरमथुरा के थाने में जाता है और वहां के थानेदार को सूचना देता है। वहां के थानेदार मूलचन्द को यह बात मालूम होती है कि डकैत नवाबसिंह इस तरह से छिपा हुआ है। मूलचन्द जाकर उसको पकड़ लाते हैं। इधर से नारायणसिंह को यह पता चल जाता है कि नवाबसिंह को पकड़ लिया गया तो उन्होंने उसकी वाहवाही लेने की अपने ऊपर कोशिश की। एकदम वायरलेस उठाकर वहां से नारायणसिंह को सूचना दी जातीहै, लेकिन हमारेXXडी.एस.पी. ग्वालियर रामप्रसाद मोदी के लड़के की शादी में गये हुए थे, उनको रातो रात बुलाया जाता है। और कुछ चुनिन्दा सिपाही लेकर जाते हैं। यह रोजनमाचे में दर्ज कराते हैं कि उस डाकू का मुकाबला मैंने किया और मुकाबले में यह

XXXX अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पकड़ा गया। और उस थानेदार को जो पकड़ कर लाया उससे कहा जाता है कि इसके पास २२ हजार के नोट थे वे कहां गये, उसको थाने में पकड़ लाते हैं। इस तरह की घटना पर उन नारायणसिंह को राष्ट्रपति पदक दिया जाता है कि इन्हीं नारायणसिंह ने इस नवाबसिंह डकैत को मारा है। उस भंगी हरिजन बेचारे को २१६ के मुकदमें में फसाते हैं कि तूने इस डकैत को पनाह दी। उसके घर वालों को जलील किया जाता है, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको फरार कर दिया जाता है ताकि जमानत आदि का काम न हो सके। उस भंगी के बताने पर किसी ने पकड़ा, लेकिन उसका श्रेय मिलता है नारायणसिंह को और उस काम पर उसको राष्ट्रपति पदक के लिये सिफारिश की जाती है। यह पुलिस की कहानी है। फिर क्या होता है कि पत्थरों के बड़े ठेकेदार के यहां, जिनके यहां उस डाकू ने शरण ली थी, उसके पास से २५ हजार रुपये की लम्बी–चौड़ी रकम कौन खा गया, किन किन नेताओं ने ली, किन-किन बड़े अधिकारियों ने ली, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप जांच करेंगे तो नये नये गुल खिलेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप उनका नाम बताइये, किन किन को दी गई ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके अलावा मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां के आई०जी०पी० साहब को भी तो कुछ लेना था। उनकी कोठी बनी। उसमें पत्थर कहां से आया ? उसका बहुत सा पत्थर बरौली की खानों से आया। आपको यकीन न हो तो उस कोठी में से कुछ पत्थर तुड़वा लें और साइन्स के डिपार्टमेंट में भेज कर जांच करवा लें। अगर वह पत्थर इन खानों का साबित न हो जाते तो हमें गोली से शूट कर देना।

(व्यवधान)

कहां पर बरौली और कहां पर जयपुर ! किन ठेलों पर आया वह पत्थर? गोरधनसिंहजी के लड़के की बरात गई। कहां गई ? कलकत्ता गई। फर्स्ट क्लास की गाड़ी रिज़र्व की गई। किसने पैसा दिया ? नारायणसिंह ने या जीत कम्पनी ने। दावतें दी गई। गाडियां आगे फिर लौटती वक्त रिज़र्व हुई। यह तमाम गाथा है, जो धौलपुर का कण कण पुकार कर कहता है कि यह राज है या बेराज है, जहां महिलाओं की इज्जत की कोई कीमत नहीं, गारन्टी नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

मैं निवेदन कर रहा था। मैंने कल महिलाओं के अपहरण की घटनाएं सुनाईं। सर्व प्रथम यह समाचार ६–७–६१ को करांची से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के डॉन अखबार में निकली।

एक माननीय सदस्य : ब्लिट्ज़ में भी तो निकली ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: ब्लिट्ज़ तो १० हजार खा गया और चुप हो गया।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

नारायणसिंह से १० हजार खा गया और समाचार नहीं दिया।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सर्व प्रथम यह समाचार डॉन में छपा और इस तरह से छपा कि दुनिया के अन्दर हिन्दुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें अधिकारियों द्वारा घरों से औरतों को उड़वाया जाता है, बाद में उनका नीलाम होता है और हाट लगाकर उनकी बिक्री की जाती है; बड़े बड़े राज्य के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी उसमें शामिल होते हैं और इसके धौलपुर में १२ अड्डे हैं। यह समाचार डॉन में छपा।

जब हिन्दुस्तान के इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट ने इस समाचार को पढ़ा तो उसके डाइरेक्टर, मिस्टर मलिक द्वारा अखबार की वह कटिंग राज्य सरकार को भेजी गई। राज्य सरकार ने उस कटिंग के आधार पर जांच करवाई। एस० पी० चड्डा के पास वह कटिंग की नकल गई। चड्डा ने लिख दिया राज्य सरकार को कि यह बकवास है, झूठ है।

इसके बाद दूसरे अखबारों में शोर–गुल मचा। सरकार का आसन हिला। उच्चाधिकारियों ने इसकी जांच का भार एस० पी०, सी० आई० डी० मिस्टर दत्ता को सौंपा। उन्होंने २२–८–६१ को एक रिपोर्ट दी जांच करने के बाद और उसमें यह लिखा है। मैं रिपोर्ट का थोड़ा सा अंश, जिस्ट बता देना चाहता हूँ। लिखा है कि यह घटना बिल्कुल सही है और इसमें आई०जी० पुलिस शामिल हैं, बड़े बड़े राज्याधिकारी शामिल हैं,XXX राजस्थान के नहीं, XXXXसे मतलब है। तो ये बड़े बड़े लोग इस गिरोह के सदस्य हैं।

यह रिपोर्ट आ गई, तो फिर उसे एस० पी० चड्डा के पास भेजा गया और लिखा गया कि यह हमारे एस० पी०, सी० आई० डी० की रिपोर्ट है, इसे आप बकवास कैसे कह गये? एस० पी० चड्डा इस पर लिखता है कि यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ठीक है। और चूंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारीगण इसमें इन्वल्व्ड हैं इसलिये इसको कार्यान्वित करना असम्भव है। अगर सी० आई० डी० से अच्छे जिम्मेदार अफसर मुझे मिल जावें तो सैंकड़ों की तादाद में लड़कियां बरामद मैं करवा सकता हूँ।

चुनांचे सरकार ने, तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं, शायद २६–८–६१ होगी, जयपुर से चार बड़े पुलिस अधिकारी सी० आई० डी० के वहां भेजे। उन्होंने आर०ए० सी० की सहायता से छापा मारा और मौरीपुरा में भूरीसिंह, विशालसिंह वगैरह के घर से चार लड़कियां बरामद कीं। एक जाट लड़की थी उनमें १६ साल की, एक ब्राह्मण की लड़की १३ साल की, एक राजपूत की लड़की २२ साल की और एक गुजराती लड़की १८ साल की। एक लडकी तो अपने मां–बाप को रिटर्न कर दी गई और बाकी तीन लडकियों को जयपुर के रेस्क्यू होम में जिसे रेस्क्यू तो क्याXX कहिये उसमें अभी तक भी बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इस तरह से अपनी बात कहने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। आपने समय भी ज्यादा ले लिया,

XXXX अध्यक्ष–पीठ की आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री अध्यक्ष)

फिर भी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती । आपका समय समाप्त हो चुका ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में खतम कर देता हूँ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब ये चार लड़कियां बरामद हुईं तो एस०डी०एम० की अदालत में धौलपुर में पेश की गईं । वहां उनके जो बयान हुए वे बड़े हृदय-विदारक हैं । बड़ी हृदय-विदारक घटनाओं का उन्होंने अपने बयान में, जो धारा १६४ में कलमबन्द किये गये, जिक्र किया । उन्होंने यह भी बताया कि किस किस तरह से नारायणसिंह और डी० आई० जी० सुल्तानसिंह ने उनके साथ किस किस तरह की××× और दूसरों के साथ भी किस तरह की ×××× वे करते थे । कौन कहां ले जाता था, इस गिरोह में कौन कौन थे यह सब बताया उन्होंने वहां ।

(विराम)

इस केस की जांच करने के लिये डी. एस. पी. जोशी, सोहनलाल गौड़, सी. आई. और सी. आई. बाबूलाल निर्धारित किये गये । चूंकि इस मामले को लेकर ऐसा लगा कि इनकी जांच से हजारों लड़कियां बरामद होंगी और पुलिस के और बड़े बड़े उच्चाधिकारियों के और बड़े बड़े नेताओं के काले कारनामे सामने आवेंगे, फौरन दौड़-धूप शुरु हुई ऊपर के सर्किल में और इसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस के इन अधिकारियों के हाथ से जांच छीन ली गई । किसी को कहीं ट्रान्सफर कर दिया; किसी को बाड़मेर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया । यह जांच उसके बाद आज तक ठप्प है । एक चालान बमुश्किल हुआ । उस एक में भी जमानत नामन्जूर हो गई थी । तो मामला इतने अर्से के बाद भी 'होच-पोच' में पड़ा है ।

यही नहीं, जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इन तमाम बातों की जिम्मेदारी हमारे × × × × पर है, यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं । यह जिम्मेदारी उन पर कैसे है, यह भी मैं बताता हूं । उनके साया में ये डकैत पनपते हैं । फिर उनको आर्म्स और एम्युनिशन भी कौन देता है ? यह भी बताता हूं ।

मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि पंछी डकैत मारा गया । किन किन ने उसे मारा ? बाड़पुर के भौंदा गूजर, रामस्वरूप गूजर और सिरपुर के खटीक ने उसे मारा और इसके एवज में राष्ट्रपति पदक किसको मिला ? राजस्थान सरकार ने इन्हीं नारायणसिंह को दिलवाया ।

आज आप धौलपुर जावें तो मालूम होगा कि हजामत बनाने वाला शेरगढ़ का नाई यह बात कहता है कि हे भगवान् नार में ऐंटा तो मैंने लगाया था पंछी का और राष्ट्रपति पदक दूसरा ले गया ।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि १४ अ[illegible] क[illegible] डा. आई जी. [illegible]

× × × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पुलिस के बड़े बड़े अफसरों द्वारा समय समय पर बन्दूकें दिलाई गईं। एम्युनिशन दिलाया गया।

मलखानसिंह, पंजाबसिंह, मांगलिया, शेरगढ़ के श्रीपत-इनके घरों में डकैत गार्ड स्थापित हुई। सरकार की बन्दूकें उनको मिलीं। उनको शाबाशी मिली, वफादारी से काम करने की। पर उनकी कलई खुल गई कि जो डकैतों से प्रोटेक्शन के लिये गार्ड लगाई गई थी वह बन्दूकों सहित गिरफ्तार हो जाते हैं यू. पी. में और उनके पास से डकैती का माल भी बरामद हो जाता है तब कलई खुल जाती हैं और मालूम पड़ जाता है क सरकार जिनको मुखबिर कहती है वे वास्तव में मुखबिर हैं या डकैत हैं। इससे मालूम होता है कि नारायणसिंह ने कहां कहां इनसे डकैतियां डलवाईं।

एक था दफीना का मामला। इसी तरह से, थाना बाड़ी में एक आदमी को कई लाख का खजाना मिला जंगल में। उसकी इत्तला दी गई सेन्टर के मिनिस्टर को भी और बड़े बड़े अधिकारियों को। वह चाहता था वह माल सरकार को मिले। पर यह नारायणसिंह और दूसरे दूसरे लोग आपस में मिलकर उसको हड़प कर गये।

यही नहीं, अदीहापुरा के थेलारी थाना में फरवरी के महीने में रामकिशोरी बनिया के यहां डाका डाला गया। रामकिशोरी बनिया मारा गया। वह डकैती किसने डलवाई? नारायणसिंह ने। क्यों डलवाई? डकैती का माल खाने के लिये। हमारे वकील श्री गोपाल भार्गव के यहां चोरी डलवाई। उनका चोरी का माल कौन खा गया? यही नारायणसिंह। तो ये कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने रक्खे हैं॥

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय! हमारे मुख्यमन्त्रीजी क्यों जाते हैं धौलपुर में? वहां वे कहां ठहरते हैं? डाक्टर सरीन....यह पर्चा रह गया।

यह पर्चा है एक। यह × × × दिया गया था चार वर्ष पहले। इसके अन्दर एक × × × × की बड़ी कहानी है। तो मैं इसको सदन की मेज पर रख रहा हूं। समय मेरे पास नहीं है। वह हृदय विदारक कहानी इसमें है।

(सूची टेबल ऑफिस में उपलब्ध है)

(४. म० प०

पर्चा निकला ४ वर्ष पहले। सच्चा है या झूठा; राज्य सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिए। इस बारे में भी कि तुम्हारी लाल कोठी के अन्दर किस–किस तरह के मुकदमें किये जाते हैं? डकैतियां डाली जाती हैं और फिर ××××

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) : क्या कहा आपने? क्या होती है वह कांग्रेस की?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : १७ मई, १९५९ को। तो मैं निवेदन कर रहा था........

×××× अध्यक्ष पीठ–के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने १७ मई को क्या कहा ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप १७ मई, १९५९ को धौलपुर पधारे। वहां पर आपकी दावत हुई। ××××

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो कोई भी पर्चा छपवा ले, सैन्सेशन खड़ा करने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ कि जिस चेअर पर आप विराजमान हैं, उस चेअर से हम चाहते हैं कि इस संबंध में पूरी जानकारी आपको दी जाय। जो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप किए जाते हैं, ये पूरी तरह से आने चाहिए। आप किस प्रकार कहते हैं कि १७ मई को × × × × थी वहां पर। इस प्रकार की बातें कहीं गईं ! यह बिल्कुल गलत है। मैं इसको ऐब्सर्ड बात मानता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस संबंध में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य-मन्त्रीजी ने जो कहा कि इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जायं, यह बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन जब एक माननीय सदस्य यह कहते हैं कि पर्चे में इन बातों का उल्लेख है वह माननीय मुख्य मन्त्रीजी को आज से बहुत समय पूर्व दे दिया गया। तो वे कौन से कारण थे जिन कारणों के लिए आज तक मुख्य-मन्त्री मौन रहे और इस पर्चे की जांच नहीं करवाई ? जब जांच नहीं होती है तो इस प्रकार के सन्देह निश्चित हैं। उनको किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : पर्चा निकाला, उसकी क्या ऑथेन्टिसिटी है, क्या प्रूफ है ? चार साल पहले की बात है। उसके बारे में सदन को उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रोसिडिंग्ज़ में से इन शब्दों को निकाल दिया जाय। ये ही शब्द नहीं, दूसरे शब्दों को भी देखूंगा कि किस तरह से कहे गए हैं। माननीय सदस्य का जो कल का भाषण था उसमें भी कई इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप थे। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं आने चाहिए। अगर आवश्यकता हुई तो सदन की प्रोसीडिंग्ज़ में से उनके निकालने की भी आज्ञा दी जायगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था का सवाल है, जिन मेरी प्रोसीडिंग्ज़ के शब्द को सदन और आप खराब समझें या महसूस करें कि वे निकाल दिए जायं, उससे पूर्व मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए और मेरी बात सुनी जानी चाहिए और मेरा एक्सप्लेनेशन इस बात पर सुना जाना चाहिए कि मेरा कहना केवल बकवास है, झूठ है या सच्च है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस सदन के रक्षक हैं, हमारे अधिकारों के गार्जियन हैं, वे जुडिशियल फैसला ही करेंगे और सच्चाई की आवाज को नहीं दबाएंगे, मैं सिर झुका कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं निवेदन करूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर मैं कहूँगा । जो वातावरण इस सदन में कल से उन्होंने अपने प्रस्ताव द्वारा बनाया है, मैं इस बात पर ऐतराज नहीं करता कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो प्रस्तावक महोदय बोले हैं, उन्होंने जिस तरह का वातावरण बनाया है, उसके अन्दर वे क्या बोले हैं ? कारण क्या है इस अविश्वास प्रस्ताव रखने का ? जो उसके उद्देश्य हैं, उनके अनुसार जो प्रस्तावकों ने, आपने प्रस्ताव को रखा इस प्रश्न को जब मैं सोचता

(४. म० प०)

हूँ तो मुझे बड़ा खेद है । हम समझते हैं कि इस सदन में सभी माननीय सदस्य एक-एक लाख लोगों की तरफ से चुने हुए जिम्मेदार लोग यहां पर आए हैं और इसके बाद हमारी जिम्मेदारी इतनी ही नहीं है । चाहे विरोध में बैठे हों या इधर बैठे हों, हम सभी की सम्मिलित जिम्मेदारी है इस बात की कि यह सरकार सुचारु रूप से अपना कार्य करे ।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह भी आवश्यक है कि हम जो कोई कदम उठाएं, उसके औचित्य पर सोचें कि किस मकसद से वे अधिकार हमको मिले हैं । उन अधिकारों के लिए जब तक हम कर्त्तव्य नहीं करेंगे, तो अधिकार कैसे मिल सकता है ? मैं बहुत ही नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर यह अविश्वास का प्रस्ताव जो आया है वह कैसे आया ? क्या कारण पैदा हुए ? आपका सरकार में जो अविश्वास प्रकट करने का अधिकार है इस सदन में वह है और रहेगा । अब इस अधिकार के जरिए उनको यहां पर जो बजट स्पीचेज़ होती हैं, उनमें सब कुछ सरकार को कहने का हक है । लेकिन वह ऐसी परिस्थितियों के लिये अधिकार दिया जाता है जबकि सदन के लोग यह महसूस करें कि हुकूमत को बदलना है । वे ऐसी स्थिति में हैं या उनकी मैजोरिटी होगी, इस विषय पर दुनियां के अन्दर सभी जगह पर अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाता है ।

दूसरा हक यह उस वक्त मिलता है जब विरोधी लोग ये समझें कि ऐसे तथ्य उसके पास आ गए हैं और सदन का वातावरण इस तरह का बन गया है कि उन तथ्यों के बल पर सदन के अन्दर उस सर– के खिलाफ वह अविश्वास का प्रस्ताव पास करवा सकते हैं । ये दो चीज़ें हैं जनतन्त्र के अन्दर । क्योंकि इस जनतन्त्र और सरकार का सीधा सम्बन्ध हमारे सम्माननीय सदस्यों के द्वारा उनके इलैक्टोरेट से होता है । इस सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं, उनके जरिए जो हमारा इलैक्टोरेट है, डिफ़रेन्ट कॉन्स्टीट्यून्सीज़ में, उनसे इस सरकार का सम्बन्ध है । अगर लोग कहें कि उनका यह अधिकार है तो आप इन्कार नहीं कर सकते । इस जनतन्त्र के अन्दर यह अधिकार देने वाला इस बात से इन्कार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस कांग्रेस ने ही जनतन्त्र की नींव लगाई । मैं समझ सकता हूँ आपके जज़बात को । मैंने १३ साल इसमें काटे हैं । मैं आपकी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बात का विरोध नहीं करूंगा। कृतज्ञता और कृतघ्नता दो चीज़ें हैं राष्ट्र के अन्दर। राष्ट्र के लिए कृतज्ञता को भूल जायें। कुछ लोग कृतघ्न हो जायें, वे लोग जब कहें तो दुःख के साथ उनको जगाना पड़ता है। इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने कहा है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात को आपके सामने रख रहा था। मैंने दो हालात बताई कि जिनके ऊपर इस अविश्वास के प्रस्ताव को सदन में चलाना चाहते हैं। हम जनतंत्र की प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को हक है कि यह सदन में आ सकता है। पर इसे न तो राजस्थान की जनता मानती है, न इधर के लोग मानते हैं, न यह स्वयं ही मानते हैं; न तो इनकी मैजारिटी हुई है और न कोई इन्होंने तथ्य निकाल कर रखे हैं जिससे यह उम्मीद करें कि इन्होंने कोई पर्सुएसिव भाषा बोली है। इन्होंने कोई तथ्य सामने नहीं रखे हैं ताकि वे स्वप्न में भी विचार कर सकें कि यह हुकूमत बदल सकती है। इसलिए जिस वातावरण में सदन में कल से बहस चल रही है उसको निकालना चाहता हूं। इसलिए मैं उन कर्त्तव्यों को कह कर हम जनतंत्र की रक्षा करने के लिए तथ्यों के ऊपर सभी सदन के सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

इसके बाद श्रीमान्, एक अर्से से सदन से हम गये। इधर-उधर से अखबारों में पढ़ने में आया और एक वातावरण को तैयार किया गया। उसके अन्दर वातावरण यह तैयार हुआ कि कई अखबारों में निकाला गया कि एक अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला है। आने वाला है, आ सकता है, अधिकार है। उसके बाद इस सदन में आने के पहले अलग अलग तरीकों से इस तरह की पतंगें उड़ीं और उनके अन्दर यह बताया गया अध्यक्ष महोदय, कि कोई अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला है। यहां आया, प्रस्ताव आया कैसे? प्रस्ताव के लिए आपने जो प्रक्रिया रखी है वह तो ३६ लोगों को खड़े होना पड़ता है। अब सवाल हुआ, आज जो देश में सबसे बड़ा खतरा है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश के अन्दर हमें देखना है, आपके अधिकारों की रक्षा करनी है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम हमारे अधिकारों की भी रक्षा करें। फिर आप सोचें कि इतना बड़ा कदम उठाना है तो किस किस तरह के लोग इसमें मिले। यही नहीं, इस ३६ की संख्या को पूरा करने के लिए ५ प्रस्ताव यहां पर रखे गये। मैं बड़े दुःख से कहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव की चलन की कीमत गिर जायेगी, अगर इस तरह से यह अविश्वास के प्रस्ताव आते रहे तो। जहां सुई से काम चलता था वहां तुम तलवारों से सीना शुरु करते हो। यह चलने वाली बात नहीं है। श्रीमन्, इसके बाद यह प्रस्ताव आये। पांच रात भर घुटते रहे....

श्री रामकिशन (वैर) : क्या कहा लिपटे रहे?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : घुटते रहे।

श्री रामकिशन : मैंने समझा लिपटे रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने बड़े इत्मिनान से आप मित्रों की बातें सुनी हैं। अब मुझे भी इजाजत दें कि मैं भी अपनी बात आराम से कह सकूं।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद रात और दिन मिले और मिलने के बाद यह भी तय नहीं कर सके कि एक प्रस्ताव आये। इस सदन ने उस चीज को देखा है, सामनेदेखा है, यहां पर ५ प्रस्ताव आये और एक एक पार्टी के दो-दो प्रस्ताव आये। उनके सिद्धान्त अलग, उनकी शक्लें अलग, उनकी रंगत अलग, उसके बाद भी यहां पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ ५ प्रस्ताव आये। ये पांच भी कैसे आये, हम सब देख रहे थे। आप मेरे प्रस्ताव पर खड़े हो जायें तो मैं आपके प्रस्ताव पर खड़ा होऊंगा। यह नक्शा हमने देखा है।

श्रीमन्, प्लानिंग में विश्वास करने वाले लोग, जो प्लानिंग में विश्वास नहीं करते उनके साथ खड़े हुए देखा हमने इस सदन के अन्दर, इस राजस्थान के लोगों ने खड़े हुए देखा। हमने देखा। जनसंघ, मैं सब पार्टियों की इज्जत करता हूं, लेकिन उनके सिद्धान्तों के माफिक जिस प्रकार जनसंघ के सदस्यों का अपनी पार्टी में जीवित विश्वास है वहीं मेरा जीवित विश्वास मेरी कांग्रेस के अन्दर है। मैं उस जीवित है विश्वास की कसम खिलाकर पूछता हूं कि तुमने सिद्धान्तों का खून किया है या नहीं? आपने इसके महत्व को गिराने के लिए यह किया है और इस जनतंत्र में जो आपको अधिकार मिले हैं उनका आपने दुरुपयोग किया है। जनसंघ स्वतंत्र पार्टी के साथ खड़ी हो गयी और जब वे खड़े हुए तो वे खड़े हो गए और फिर उसके बाद सबसे बड़े हमारे भाई लोग, हमारे समाजवादी लोग वे भी मिल गयीं दो पार्टियां। उनमें भी नहीं बनी तो दो जने खड़े हो गए। फिर मुझे दुख है कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता, जिनका महत्व जनतंत्र के अन्दर इंग्लैंड और दूसरी जगह पर बहुत बड़ा है उन्होंने सिद्धान्तों की हिंसा की है। इस सदन के अन्दर सिद्धान्तों की हिंसा की है। यह सदन उनसे जवाब चाहेगा कि आप विरोधी पक्ष के नेता होते हुए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जनतंत्र की आपको रक्षा करनी है तो यह गैर जिम्मेदाराना तरीका सदन के अन्दर कभी बरदाश्त नहीं किया जाना चाहिये।

(विराम)

श्रीमन् उसकी मैं जजबात से वाकिफ नहीं और उस जजबात में मेरे मित्रों ने कुछ तथ्य रखे। तथ्यों के बारे में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि सरकार काफी मजबूत है उन तथ्यों के ऊपर। आज नहीं, बीसियों बार उनको जवाब मिल चुका है, कोई नई चीज नहीं आई। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह डिस्कशन कम-आउट है, यह बहस कहां से निकली है, कहां से पैदा हुई? यह पांच पार्टी का marriage of convenience है और यह डिस्कशन इल्लेजीटीमेट चाइल्ड है....

श्री रामकिशन : यह शब्द तो हम जवाहरलालजी से सुन चुके हैं। मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : We five are necessary for the Congress as five Pandavas were necessary for Dropadi.

श्री रामकिशन : यह तो हम जवाहरलालजी से सुन चुके हैं, आप क्या सुनायेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस तरह महारानी द्रौपदी के लिए ५ पांडव थे उसी तरह कांग्रेस के लिए यह है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : It is Mutta marriage.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी मैंने स्पष्ट किया । अभी नेता लोगों ने विरोध नहीं किया, उन्होंने मान लिया है । इन लोगों को सिखायेंगे इनके नेता लोग । इस प्रोप्राइटी को कायम किया जायेगा इस जनतन्त्र के अन्दर । श्रीमन् अब उसके ऊपर कुरता टोपी भी चाहिए और कुरता टोपी के लिए जो यहां पर किया गया है हमारे सम्मुख आखिरी दफा जिस तरह की हकीकत की गई है जिसके ऊपर अध्यक्ष महोदय, आपको अपनी तरफ से कहना पड़ा कि इससे सदन की इज्जत नहीं बढ़ी है । मैं मेरे सम्माननीय मित्र से कहूंगा कि यह उनका ही सवाल नहीं है । उनको अपने साथियों और हमारी इज्जत रखने का हक है । हमारे यहां बोलने का अधिकार है, स्वतन्त्रता है, उसका बाहर कुछ नहीं होता है, लेकिन यहां २०० कान हैं, उन कानों के अन्दर जब हम कूंची मारते हैं तो यह दुःख हम नहीं सहना चाहते हैं । हम मित्र की तरह से आपको आपका एक ध्येय है उसको कहने के लिए रोकते नहीं हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसको इससे ज्यादा अच्छे ढंग से कह सकते थे, लेकिन आपने जिस तरह से नापाक ढंग से वातावरण को खराब करने की कोशिश की उसके लिए आपका सिर ऊंचा हुआ या नहीं, लेकिन सदन का सिर नीचा हुआ है उसके सामने ।

मैं इसके बाद विरोधी पक्ष के नेता के भाषण को लेता हूं । मैं आपको कहूं कि मैं बहुत गौर से सुन रहा था कि विरोधी पक्ष के नेता कोई बहुत बड़ी बात कहेंगे, लेकिन मुझे दुःख है कि सुनते-सुनते जब कभी कान ऊंचा उठाया तो मुझे लगता था कि डूंगरपुर में ही उलझ रहे हैं, राजस्थान की बात ही नहीं की । मैं बड़े अदब से कहूं कि बहुत बुजुर्गाना बात कही तो मुझे लगा कि वह बार-बार मडल्ड हैडेड कांग्रेस कहते थे, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं सुनते-सुनते तंग आ गया कि यह किधर की तरफ वह जो मैंने कहा पहले वह है और मुझे दूसरी तरफ लगा कि सुनते-सुनते उन्होंने कुछ प्रश्न उठाये । आप फर्मा रहे हैं कि दुःख हुआ है कि टैक्स लगाये गये, आज जो है भ्रष्टाचार है । आपने और भी कहा कि आज जो है अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, आज शिक्षा की व्यवस्था नहीं है । मैं उस बीबी की बात करता हूं जो बीबी यह कहे कि मेरा खर्चा तो यह है और पति की कमाई १५०) रु० है और वह कहता है, "देवी, १५०) है ।" वह कहती है कि इसमें काम नहीं चल सकता है, २५०) रु० लाकर दो । वही ढंग है हमारा भी । हमारे सीमित साधन हैं, उन साधनों के अन्दर हम चलते हैं । हमसे ज्यादा क्या आपको दर्द होगा जिन पर कि जिम्मेदारी है ? क्या हम चाहेंगे कि अस्पताल नहीं खोले जायं और आप चाहेंगे कि अस्पताल खोले जायं ? यह सरकार चाहेगी कि अस्पताल नहीं खोले जायं, यह गलत है । यह जिम्मेदारी जिन कन्धों पर है उन कन्धों

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

की यह भी जिम्मेदारी है कि जो सीमित साधन हैं उनके अन्दर जनता के पास आपसे जो लिया है उसको पहुँचाएं। यह उनकी जिम्मेदारी है। यह कुसूर है तो है। आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कह सकते हैं यहां एक की जगह ३ अस्पताल खोलें। वे कह सकते हैं, नहीं हुजूर हम तो ५ खोलना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है। आप कहें कि ५ की जगह ७ खोले जायं, चाहे लोग टैक्स न दें। यह मडल्ड हैडेड बात है। यह भी आप विरोधी पक्ष के नेता इसको तर्क पूर्ण ढंग से सोचेंगे तो आप निश्चित इस राय पर पहुंचेंगे कि आपने जो कुछ प्रश्न उठाये उन प्रश्नों के अन्दर कोई तन्त नहीं है। आपने कहा है, श्रीमन्, कि यहां पर सीलिंग क्यों किया गया? आपने एक देश का नाम लिया हंगेरी........

एक माननीय सदस्य : पोलेण्ड।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am sorry, पोलेंड के अन्दर; आपको यह ध्यान होना चाहिये कि जिस हालत में भारतवर्ष और राजस्थान में यह जनतन्त्र आया उस स्थिति में पोलेण्ड जो कि हाइली इन्डस्ट्रियलाइज़्ड है उसके अन्दर जरूरत नहीं है, लेकिन जिस देश के अन्दर, बंगाल के अन्दर, अंग्रेजों और राजाओं के शासन के अन्दर लाखों बंगाली भूख से मर गये, लेकिन इस राज्य में एक आदमी भी नहीं मरने दिया गया है और उसके लिए सीलिंग किया जाय तो एतराज क्यों? गरीबों के लिए सीलिंग करते हैं तो आप एतराज क्यों करते हैं? पोलेण्ड की मिसाल देकर गुमराह क्यों करना चाहते हैं? आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम डेवलप्ड इकोनोमी के आधार पर इन्डस्ट्रियलाइज़्ड नहीं हैं तो हमारे पास एक खेती ही साधन है। जिनके पास खेती नहीं है उन गरीबों को खेती देना हम कर्तव्य समझते हैं। यह कानून के अन्दर करते हैं। आप प्लानिंग में विश्वास नहीं करते हैं, यह मुझे मालूम है। आप कहते हैं कि प्लानिंग में आपका विश्वास नहीं है। यह सही है कि आप प्लानिंग में विश्वास नहीं करते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में विश्वास करते हैं। आप पब्लिक सेक्टर के हिमायती नहीं हैं, यह मैं जानता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि आप टाटा मर्सिडीज़ पार्टी के हैं। उनके जितने भी नियम हैं वे सब आप पर लागू होते हैं। इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं आपकी साफगोई की तारीफ करता हूँ, और उस तारीफ के अन्दर यह कहना चाहता हूँ कि आज कोएग्ज़िस्टेन्स की बात है। आज अमेरिका और रूस मिलकर बात कर सकते हैं और कोएग्ज़िस्टेन्स की बात करते हैं। एक भारतवर्ष को ही इसका गौरव प्राप्त है कि हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के तालमेल से इस देश के अन्दर इनीशियेटिव और आजादी को लाना चाहते हैं। कांग्रेस अपने सिद्धान्तों से लाना चाहती है। उससे आपको एतराज हो सकता है। आपकी तरफ का एतराज एक हो सकता है और जनसंघ वाले हैं उनका और किसी पर एतराज़ हो सकता है। उनके एतराज कुछ कहे उन्होंने। आपने अच्छी याद दिलाई। उन्होंने फर्माया कि वीवियन बोस कमेटी की रिपोर्ट निकली है, उसके एक्सट्रेक्ट्स लाये तो क्या जनसंघ ने बिठाई थी वह वीवियन बोस कमेटी। मैं अदब से अर्ज करूं कि मुगालते की बात छोड़

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दें। अगर कोई चीज़ हुई थी तो यह जनतन्त्र है, कोई किसी का गला नहीं पकड़ सकता। जो कुछ किया जायगा वह कानून की रूह से किया जायगा। किसी को फांसी देनी होगी तो उसका ट्रायल लेकर दी जायगी ? किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सुनकर भ्रष्टाचार की सजा उसको देंगे क्योंकि यह प्रजातन्त्र है। अभी कोई ऐसा इन्जेक्शन ईजाद नहीं हुआ है कि उसको लगाते ही कोई ईमानदार हो जाय। कोई ऐसी दवा ईजाद नहीं हुई है कि उसकी दो गोली से बेईमान तो मर जाय और ईमानदार जीता रहे। इसलिए आपने फर्माया कि वीवियन बोस ने यह कहा कि शाह एण्ड कम्पनी के पैसे की आप बात करते हैं तो पैसा कहां से आया है। आपके पास हवा से आता है। पैसा आपको भी जो आपके सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं वे देते हैं। कांग्रेस को जो चाहते हैं वे उसको पैसा देते हैं। आप भी कई दफा चार्ज उन गरीबों पर लगाते हैं और सुबूत होता कि नहीं कि इन बेचारों का पैसा बाहर से आता है हमारे कॉम्युनिस्ट भाइयों के लिए ऐसी बात करते हैं, तो पैसा कहां से आता है। तो जो हमारे सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं स्वतन्त्र भारत में जो पैसे वाले हैं या दूसरे लोग हैं वे विश्वास करते हैं वे पैसा देते हैं। आपको भी देते हैं, हमको भी देते हैं। सब अपने अपने दोस्तों से लाते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। अगर मालूम पड़ा कि कोई इस तरह की गड़बड़ करता है पैसेवाला तो यह सोशलिस्ट पैटर्न का मजाक उड़ाते हैं। इसी गवर्नमेंट को कहते हैं कि जिसने कि वीवियन बोस कमेटी बिठाई है। आप नहीं बैठा सकेंगे कभी अगर आपकी हुकूमत आ गई तो। यह कांग्रेस सरकार ही जिसने वीवियन बोस कमेटी का कदम उठाया है, कदम ही नहीं उठाया है बल्कि उसको बिहार में बन्द कर दिया है। वीवियन बोस कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में सरकार फैसला करेगी। तो हम समझ सकते हैं कि इसको एप्रिशियेट कर सकते हैं। लेकिन आप हमको हमारी ही तलवार से साबित करना चाहते है कि आप कत्ल हो चुके हैं। जी हुजूर नहीं, बात असली यह है कि हमको मालूम पड़ा तो वीवियन बोस कमेटी स्थापित की और डेमोक्रेसी के तरीके से उस रिपोर्ट के आने के बाद आगाह हैं। ऐसे लोगों से आगाह हैं। उनके ऊपर कदम उठा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के नियमों को मानकर, उनकी नीयत कुछ भी रही हो, कांग्रेस को मदद दी तो इसमें गुनाह क्या हो गया, आपको नहीं दी, यह गुनाह है। आप पहुँच जाते तो ब्लैक का भी ले लेते। आप पहुंच जाते तो छिप कर ले लेते, हमने चौड़े लिया है। हमारा कुसूर इतना है कि हमारे संगठन ने उसको एक्सेप्ट किया है, जहां तक मैं समझता हूँ।

श्रीमन्, इस बात को छोड़ दूं। उसके बाद करप्शन की बात पर आता हूँ। मैं आपको इत्मिनान दिलाना चाहता हूँ कि करप्शन के बारे में आप ही नहीं बोलते मैं भी बोलता हूँ, और मेरा और आपका बोलना फर्ज है। मैं अपनी हुकूमत को सुधारने के लिए बोलता हूँ, आप जो हैं सुधार नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि करप्शन और फैले। आपकी और मेरी नीयत में जमीन–आसमान का फर्क है, श्रीमन्। आप जो कहते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इस सदन के अन्दर हमारे नेता ने भी इस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बात को कई मर्तबा कहा है कि हम सब करप्शन नहीं चाहते हैं और करप्शन को मिटाने का जो जनतन्त्रीय तरीका है उस तरीके के अन्दर आप सबको अपनी हुकूमत की मदद करनी चाहिए।

आप मदद नहीं करते, आप खबर नहीं देते, आप उनको जमा करते हैं और जमा इस हद तक करते हैं कि हम सदन के अंदर कैसे बोलें। आपको आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सही तौर से हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो हुकूमत को आपकी और मेरी सख्त जरूरत है। आप सिर्फ हुकूमत को बदनाम करते के लिये इसकी चर्चा नमक-मिर्च लगाकर, जजबात उभार कर करते हैं। इसके पीछे आपकी कुछ नीयत है। मैं किसी की नीयत में नहीं जाता, लेकिन अपील जरूर करता हूँ और दर्द भरे शब्दों में करता हूँ कि पहले हम उन दुश्मनों को जो चीन की तरफ से हमारी तरफ आते हैं उनको तो भगा दें। आज आप टैक्सकी बात इस तरह से उठाते हैं। इनकी बात को कभी कोई पसन्द नहीं करता। जब टैक्स की बात आती है तब नीचे से टें टें करने वाले खड़े होते हैं। आज जनता के सामने विरोधी पक्ष और हमारा सबका देश के नाम पर देश के ऊपर आक्रान्ता ने जनतंत्र को कसोटी पर कसना चाहता है, उससे बदला लेना है। जनतंत्र में आपके अधिकार इतने सुरक्षित हैं कि आप मर्जी आवे तब कहने का हक रखते हैं, उसकी जब रक्षा करनी है तो उस पर जो दुश्मन आह्वान करता है, हमारी जमीन पर चढ़ता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा फर्ज क्या है, उसको निभाना है। टैक्स किस प्रकार से लगाया है? हमने जनता को कष्ट देने के लिये टैक्स नहीं लगाया है। हमने जनता के लिये कुर्बानियां की हैं, उस पर टैक्स लगाते समय हमारी आत्मा को जो दुःख होता है वह आपको नहीं होता है। आपको तो सिर्फ यह चाह रहती है कि फलां जगह अस्पताल लगाया जाय, फलां जगह दूसरी सुविधा हो। आज ज्यादा कर लगाना कोई अच्छा नहीं समझता। हम आपकी राय से सहमत हैं, आपके साथ हमारी दो राय नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं कि जर्मन टैंकों में बांस लगा देंगे, लेकिन बांस चलाने से काम नहीं चलेगा। आज मुल्क को तैयार करना पड़ेगा, आपको और हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं कोई शिक्षा नहीं देता, लेकिन इस बात को जरूर कहूँगा कि देश की रक्षा करने का फर्ज सब का एक सा है। इसमें मैं जनसंघ और कॉम्युनिस्टों को भी इन्क्ल्यूड करता हूँ और इसलिये करता हूँ कि किसी तरह से हम देश से दुश्मन को निकालें। हम तो आपसी पार्टी बाजी के झगड़े आपस में बाद में निपटते रहेंगे। आप आज ही क्यों घबराते हैं? इतनी क्या बात है कि तड़पते हैं, आप नहीं तो आपके बेटे जनसंघियों का राज्य हो जायगा, आप इन्तजार करें....

एक माननीय सदस्य : किसी के बेटे नहीं हों तो ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके नहीं हैं क्या ? सब के हैं।

मैं इस सिलसिले में अर्ज कर रहा था कि इस बात पर हम कहां खड़े हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हम और आप यहां सब जनता के हित के लिये बैठे हैं। आप कहें कि आपकी मेजोरिटी है, क्या मामला है ? मैं आपको कहूं कि मैंने बचपन में ख्वाजासहाब की दरगाह पर, मजमे लगाने वाले आते थे, मदारियों के खेल आते थे, वे खेल देखे । मैं सदन के सामने निवेदन कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे आज बचपन की याद आती है। मदारी जिस तरह से अपना मजमा लगाकर ताल देते थे आप भी उसी तरह से ताल देना चाहते हैं। आपको इस तकरीर में कोई फर्क नहीं पाया। जो बजट के समय आपकी स्पीच थी उसी को आज आपने रिपीट किया है दुबारा। आप कुछ मामलों में ढिलाई देखते तो घन्टे, आध घंटे का डिस्कशन मांग सकते थे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि करप्शन के आपके पास जितने भी पोइन्ट्स हों वे आप सरकार को बताइये, वे आपको तसल्लीबख्स जवाब देंगे। यह तो ताकत नहीं है कि निश्चित तौर से आपको सन्तुष्ट कर देंगे, लेकिन आपकी सेवा कर देंगे। यदि हुकूमत नहीं करती है तो इस वजह से नहीं करती होगी कि करप्शन करना चाहते हैं, आज कोई नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार नहीं रुके; मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती। ऐसी हालत में आपके पास जो डन्डा है, आप उससे करप्शन को निकाल देंगे, यदि आपकी जिम्मेदारी है तो आपका सहयोग चाहते हैं। हम जब आपका सहयोग चाहते हैं तो आप कहते हैं कि सहयोग है नहीं। मैं यहां तक महसूस करता हूँ कि इस बात को मौलिक रूप से सोचने के बजाय आप सरकार के प्रति जजबात उभारते हैं। दिमाग में जब इस प्रकार की बात खड़ी होती है तो जजबात उभरते हैं। दिमाग दिमाग का साथ छोड़ दे तो जज़बात खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पास तथ्य नहीं हैं, लेकिन तथ्य का जामा पहना रहे हैं। इसलिये गुजारिश है कि आप तथ्य रखें। आपको उसके बाद भी तसल्ली नहीं हो तो और भी तरीके हैं, हमारे सामने लावें, सदन उन पर विचार करेगा और तय करेगा कि किस तरह भ्रष्टाचार जो देश के लिये नुकसानदायक है उसको खत्म किया जाय।

श्रीमन्, मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूँ, कुछ नेताओं की तरफ से आप होशियार रहें। अभी एक बात हुई। हमारे गृह मन्त्री महोदय हैं वे कुछ चबा रहे थे, बल्कि सही बात है, मर्डर होता है तो कोई देखने वाला नहीं मिलता है। चार आदमी मिल कर मर्डर करते हैं तो उनमें से एक को छोड़ा जाता है, तीन को मारने के लिये। वह आदमी जो बचना चाहता है उसको छोड़कर बाकी तीन को सजा दिलाई जाती है और उस एक को प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैं कोई उदाहरण की बात नहीं कहता; सत्य है, ऐसा नहीं कहता; लेकिन इसलिये कहता हूँ कि मिसाल की बात सामने आ गई। चार खूनी हैं, उनमें से एक को बचाने से तीन को फांसी हो तो क्या लॉ एण्ड ऑर्डर में तीनों को फांसी न लगाई जाय ? जरूर लगाई जाय, एक को छोड़ दिया जाय, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो मैं सुनता हूँ, एक तरफ देख रहा हूँ, हमारी सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें भी कोशिश यह की जाती है कि उनके भी दो गुट बनाये जायं। कभी उन पर हाथ, कभी इन पर हाथ। आर. ए. एस. में जो नये डाइरेक्ट रिक्रूट्स आये हैं वे ईमानदार, पुराने हैं वे बेईमान। आपकी हुकूमत किधर जा रही है,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हुकूमत करने वालो ? आपको होशियार रहना पड़ेगा, खतरे की घंटियां सुननी पड़ेगी, हम सुना कर रहेंगे........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मेरी पार्टी का समय बाकी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी की तरफ से संकेत किया गया है कि आप लोगों के लिये आधा घन्टे का समय रखा है और मंत्रियों के लिये १ घन्टे का समय रखा गया है। वैसे आप बोलेंगे तो आपकी पार्टी का ही समय जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अन्तिम बात कह रहा हूँ, सिद्धान्त की बात है, बार बार इसको कहता रहा हूँ; इसके अन्दर पैठने की बात है, यह पता लगने की बात है कि दर्द कहां है और चिल्लाहट कहां है, समझने की बात है। नेशनलाइज़ेशन बसेज़ का किया है। उसमें बैठने नहीं जाते क्योंकि पैसे ज्यादा लगते हैं। आप श्रीमन्, इस बात को समझ सकते हैं कि नेशनलाइज़ेशन से पैसे वालों को नुकसान होता है। उनके ऊपर आपकी पार्टी खड़ी है हमारे जनसंघ के नेता साहब, हम इस बात को समझते हैं। आप सीधा ही कहिये कि नेशनलाइज़ेशन न हो। आप या और पार्टियां यह बहाना लें कि रुपया ज्यादा लगता है, बस गंदी हैं। किन्तु वास्तव में देखा जाय तो प्राइवेट से बसें अच्छी हैं। हमको उनमें सुधार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं आपकी आवाज में आवाज मिला कर कहता हूँ कि बसें अच्छी चलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि बसें साफ होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि खर्चा कम हो। लेकिन आपके कहने में और मेरे कहने में जमीन-आसमान का फर्क है। मैं नेशनलाइज़ेशन को सपोर्ट करता हूँ कि आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि आप नेशनलाइज़ेशन को कन्डेम करें। आप नेशनलाइज़ेशन को कन्डेम इसलिए नहीं करते हैं कि नेशनलाइज़ेशन बुरा है लेकिन आपको जो फीड करने वाला तबका है प्राइवेट सेक्टर, उसको, थपथपा देने के लिए कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। घुटने टूटते जा रहे हैं, वे भी गिरते जा रहे हैं और आप भी गिरते जा रहे हैं।

श्रीमन्, क्योंकि आपने घंटी बजा दी, इसलिए विचारों का तारतम्य टूट गया है। अब मैं एक बात कांग्रेस संगठन के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास एक इतिहास की बात है। कांग्रेस की मैं अपने मुंह से प्रतिष्ठा करूं, यह बात ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस के कामों की अपने मुंह से प्रतिष्ठा करूं, यह उचित बात नहीं है। वैसे मैं तो करूंगा ही। मैं अदब के साथ कहता हूँ कि आप हिस्ट्री को नहीं मिटा सकते हैं। आपने कुछ नाम लिये तो मुझे दुःख हुआ। आप नहीं समझते, यह इतिहास की बात है और जब आजादी का इतिहास लिखा जायगा, राजस्थान का इतिहास लिखा जायगा तो स्वामी कुमारानन्द और माणिक्यलाल वर्मा का नाम हमें जगाने वालों में लिखा जायगा। इस इतिहास को जो आज भूल चुके हैं, जो यह समझते हैं कि जब तक हमारा काम निकला तब तक नाम लेते रहे–ये कम्युनिस्ट बैठे हैं। लेकिन ये वयोवृद्ध नेता और स्वर्गीय जयनारायण व्यास–ये हस्तियां हैं जिन्होंने गिरे हुओं को, राजस्थान के गिरे हुए

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

किसान और मजदूरों, जो पैरों पर अपने सिर झुकाते थे, उन्हें आज सीना तान कर खड़ा किया है और राजस्थान को खड़ा किया है। वह राजस्थान आज पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, यह मानने के लिए मैं तैयार हूँ।

अब स्थिति पैदा होती है कि कई मर्तबा लोग सोचते हैं कि किसी बड़े आदमी को गाली दे दो तो अपना नाम हो जायगा। एक साइ-कोलोजी पैदा होती है, जो इगोइस्टिक सप्रेस्ड पुरुष हैं, जिनका अहम् दबोचा हुआ होता है, वे उठने की कोशिश करते हैं। वे उठना चाहते हैं और उठते हैं किसी बड़े आदमी की गरदन में अपनी बांहें डाल कर। यह एक भयंकर रोग है और इससे पीड़ित सम्माननीय सदस्य से कहूँ कि वे होशियार रहें कि वे इस बीमारी से बचें और फिर आपको जो कहना है उस बात को अवश्य कहें, लेकिन एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि बड़े नाम को गाली देंगे तो बड़े नाम के साथ में आपका छोटा नाम कहीं पर भी आ सकता है और चर्चा हो सकती है, उससे आपको संतोष भी जरूर होगा। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि हम पैदा नहीं हुए थे, हमने अपना होश नहीं सम्भाला था तब उन्होंने एक ही रट लगाई थी कि राजस्थान का जो गरीब तबका है उसको उठाना है, उठाने की कोशिश करनी है। इसके लिए वे सामन्तवाद से झगड़े, जेल गये और उसके बाद आज हम सबको, आपको इस लायक बनाने में उनका योग है, इसका श्रेय उनको है। यह मुझे आपसे कहना है और आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ कि आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए और आप नाम भी लें तो आप शुद्ध भावना से लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका भोलापन है जिनका नाम आपने लिया है, वर्माजी का इसलिए उन्होंने कह दिया, क्योंकि वे सच्चे हैं और पुराने हैं। वर्ना हमारे जैसा कोई होता और कोई बात हो भी गई होती तो अपने आदमी के सिर पर से दोष को टोपी हटा कर आपके सिर पर लगा देता। वे भोले-भाले आदमी हैं, उन्होंने कह दिया कि मेरे आदमी ने कुसूर किया है तो यह मेरा कुसूर है। आपने उनकी महानता को समझा नहीं। आपने उनकी बात पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, वह गलत है। इसे आप भी महसूस करते हैं। मेरी बात को आप भी महसूस करते हैं।

श्रीमन्, अंत में मैं एक बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मैं आ रहा था चौड़ा रास्ता से। उस रास्ते पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वे हिन्दी समझते नहीं। तो कोई साहब मिले, टूरिस्ट ने पूछा, "यह कौनसा रास्ता है?" उसने जवाब दिया, "चौड़ा रास्ता"! वे आगे चले और फिर पूछा, "यह क्या है?" जवाब मिला, "चांदपोल"। वह भी पोलिटिकल कआदमी था, किसी डेमोक्रेटिक कन्ट्री का था। उसने पूछा, "इस कान्स्टीटयूएन्सी से कौन आये है?" तो कहा, "श्री भैरोंसिह आये हैं।" फिर दूसरे आदमी से, जो बेचारा ऐसी ही अंग्रेजी जानता था उसने पूछा, "यह चौड़ा रास्ता और चांदपोल का क्या मतलब है?" उसने कहा, "ब्रोड वे एण्ड होलो है"। चौड़ा रास्ता और चांदपोल को उसने इस तरह समझाया कि साहब, यह ब्रोड वे चौड़ा रास्ता है और होलो चांदपोल है। बोले, यह कॉन्स्टी-टयूएन्सी है श्री भैरोंसिह जी की। मैं इसके बाद

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी !

श्री हरिदेव जोशी (धाटोल) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के विरुद्ध एक नहीं, पर जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, पांच पांच अविश्वास के प्रस्ताव रखे गये हैं । चाहे वह एक ही प्रस्ताव हो, चाहे वे पांच ही प्रस्ताव हों–परिणाम तो एक ही निकलने को था । लेकिन जैसा अभी कहा गया कि पांच अविश्वास के प्रस्ताव, जो विरोधी दल कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देने की मांग करते हैं, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, उसकी एकता और विरोधी दल के नेता के नेतृत्व में चलने वाले संगठन की एकता के प्रतीक हैं ! माननीय अध्यक्ष, सबसे अधिक प्रतीति इस बात से होती है कि आज से कुछ महीने पहले हमने अखबारों में एक खबर पढ़ी थी कि राजस्थान विधान सभा में एक युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनी है और उसके एक लीडर चुने गये हैं । उस युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने एक प्रस्ताव अविश्वास का रखा और उनके एक अनुयायी ने एक दूसरा प्रस्ताव रखा । मुझे आश्चर्य हुआ है कि जो नेता और अनुयायी अविश्वास का प्रस्ताव रखने में एकमत नहीं हो सकते, वे राजस्थान की सरकार को हटाने में एक होकर के मांग करते हैं ! जो कुछ भी हो, जो स्थितियां हमारे सामने हैं, मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता । मैं तो, कुछ तथ्य माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उनकी और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अथवा तथ्यों के विपरीत जो चीजें मुझे मालूम हुई हैं उनके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं । कुछ भाषण ऐसे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं ऐसा समझता हूं कि किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए ।

विरोधी दल के माननीय नेता ने कांग्रेस की सरकार से त्याग-पत्र इसलिए मांगा कि इस सरकार को ३८ प्रतिशत जनता का अथवा वोटर्स का मत प्राप्त है । माननीय अध्यक्ष, जिन्होंने त्याग-पत्र मांगा है, उनको कितने मत मिले हैं ? अगर वे रेकॉर्ड उठा कर देखते तो उन्हें शायद यह मालूम होता कि कम से कम अवसर उनके लिए तो नहीं है । पहले आम चुनाव में स्वतंत्र पार्टी का जन्म नहीं हुआ था । दूसरे चुनाव में भी जन्म नहीं हुआ था । इस तीसरे चुनाव में स्वतंत्र पार्टी का जन्म हुआ । किन्तु इस सदन में जो भी दल अथवा ग्रुप्स विद्यमान हैं, उनमें से अध्यक्ष महोदय, पी. एस. पी. को १९५७ में २.४० परसेन्ट और १९६२ में १.५ परसेन्ट मत प्राप्त हुए हैं। सोशलिस्टस को १९५२ में ४.३ परसेन्ट, और १९६२ में ३.७ परसेन्ट मत प्राप्त हुए हैं । इसी प्रकार से जन संघ को १९५२ में ५. ९ परसेन्ट, १९५७ में ५.५० परसेन्ट और १९६२ में ९.२ परसेन्ट मत प्राप्त हुए हैं । किन्तु उसके मुकाबले में कांग्रेस को १९५२ में ३९.५, १९५७ में ४५.२० और १९६२ में ४०.०० पर्सेन्ट मत प्राप्त हुए हैं । मैं विरोधी दल के नेता से यह साग्रह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे यह चाहते हैं कि इस विधान सभा में जो सबसे बड़ा दल है, जिसका बहुमत है और कॉन्स्टीट्यूशन जिसको गवाह देता है, जो कॉन्स्टीट्यूशन के समर्थन से आज सरकार बनाने की स्थिति में है, वह केवल इसलिए कि आपको उसके मुकाबले में बहुत कम मत प्राप्त

(श्री हरिदेव जोशी)

हुए हैं आपके आग्रह से पद-त्याग कर दे ? मैं समझता हूँ कि न तो यह आपकी मंशा थी और अगर आपकी मंशा हो भी तो कॉन्स्टीट्यूशन की यह मंशा नहीं है और जब भारत के संविधान की मंशा नहीं है तो ये आपकी मांग से बंधे नहीं हैं। इसलिये मैं इस मांग को निरर्थक मॉग के सिवाय कोई संज्ञा नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय कुछ बातें माननीय विरोधी दल के नेता और माननीय जनसंघ पार्टी के नेता और दूसरी पार्टी के कुछ सदस्यों ने कही हैं उनमें से अधिकांश बातें तो राज्यपाल महोदय के भाषण के अवसर पर और बजट भाषण के अवसर पर कही जा चुकी हैं और उनमें से ५० परसेन्ट से ऊपर बातें हैं जो रिपोर्ट उठा कर देखी जावें तो आपको मालूम होगा कि पहले रिपीट की जा चुकी हैं। ऐसी कोई बातों का प्रश्नोत्तर काल में या डिबेट में जवाब दे दिया गया है। माननीय विरोधी दल के नेता ने पानरवा कांड का उल्लेख किया है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जिस समय सन् ५७ में और सन् ६२ में चुनाव हुए उस समय चुनावों में इसका एक स्लोगन बनाया था पानरवा कांड का और जहां तक मुझे मालूम है विरोधी दल के किसी भी व्यक्ति ने कोई कसर नहीं रखी कि जितनी उनकी जानकारी है जनता के सामने तथ्यों के रूप में हो, भाषण के रूप में हो, जनता के सामने रखी और जनता के मत प्राप्त किये और जनता का मत आज हमारे सामने है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कई बातें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट की जा चुकी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों के बारे में क्यों कहा गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। परन्तु इतना कह सकता हूँ कि विरोधी दल की पार्टियों और कांग्रेस पार्टी के आपस में कुछ मौलिक मतभेद हैं और इस वजह से आपस में समझौता नहीं हो सकता। सोश्यलिज्म के विरूद्ध किसी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता।

जहां तक प्लानिंग का सवाल है, वे प्लानिंग नहीं चाहते, वे इस देश में पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हिन्दुस्तान में मजदूरों और गरीबों का बाहुल्य है। अगर देश को ऊंचा उठाना है तो इनको ऊंचा उठाया जाना चाहिये। अगर देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, अगर देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अगर मजदूरों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो यह काम पुराने सामन्ती शासन-कर्त्ताओं के हाथ से नहीं हो सकता। ४५ करोड़ लोगों के भाग्य का निर्णय विरोधियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन मौलिक विचारों को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, मुझे आश्चर्य होता है सुन कर, जब वे कहीं जाती हैं। जब आदमी पॉवर में होता है तो एक बात कहता है और जब पॉवर में नहीं होता और पॉवर के बाहर होता है तो दूसरी बात कहते हैं। हमारे विरोधी दल के नेता के लिये मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ। एक जमाना था, वे शासक थे और मैं उनकी नीति से सहमत नहीं था। जिस समय वे शासक थे उस समय मैं समझता हूँ कि वे नेशनलाइज़ेशन की नीति के विरोध में नहीं थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर):

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं आज भी नेशनलाइज़ेशन के विरोध में नहीं हूं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चीज आप नेशनलाइज़ करें वह कम से कम प्राइवेट एन्टरप्राइज़ के मुकाबले में तो हो, अगर उससे अच्छा नहीं हो तो। नहीं तो नेशनलाइजेशन नहीं हो।

श्री हरिदेव जोशी : I congratulate you.

तो मुझे आज स्वतन्त्र पार्टी का नया नारा मालूम हुआ और वह यह कि राजस्थान की स्वतन्त्र पार्टी की नीति और राजस्थान विरोधी दल के नेता नेशनलाइजेशन के विरोध में नहीं हैं। लेकिन मैं उन तथ्यों को सामने रखना चाहता हूं जो बातें पुरानी डूंगरपुर रियासत में थीं। डूंगरपुर में रोडवेज़ नेशनलाइज्ड थीं। फोरेस्ट प्रोडक्शन नेशनलाइज्ड था और मैं समझता हूं कि किसी भी पिछड़े हुए और गिरे हुए मुल्क में जहां तक जनता की पूंजी को संगठित करके, जनता के सारे साधनों को एकत्रित करके सरकारी साधनों को और प्राइवेट साधनों को एकत्रित करके विकास नहीं किया जावे तो देश ऊंचा नहीं उठ सकता। हां, आपकी नीति नेशनलाइजेशन के विरोध में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि भारत के दूसरे कई लोग हैं जो आज प्रगतिशील तत्वों की टांगें पकड़ कर खींचते हैं और वे प्रजातन्त्र का गला घोटना चाहते हैं और प्रजातन्त्र को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और इसलिये आज हमारे विकास कार्य में बाधाएं आती हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आज हमारा इन लोगों के साथ में, इन चीजों के साथ में मेल नहीं बैठता है। इसलिये जब चाहे एक तरह से हो, चाहे दूसरी तरह से हो, जैसा हमारे माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में कहा है कि देश में एक प्रकार का तबका जिसको सदियों से दबाया जा रहा था आज अपनी आदत ऊंची कर रहा है, जो तबका शोषित था जो तबका पीड़ित था, जिसको सदियों से दबाया जा रहा था वह आज ऊंचा उठ रहा है। वह सत्ता की कुर्सियों पर बैठा है। जो भील, मीणे, आदि जो सदियों से पिछड़े हुए थे और ठुकराये जा रहे थे उनको आज ऊंचा उठाने के लिये समाज कल्याण विभाग कायम किया गया है जिसकी आज हमारे दोस्तों को शिकायत है।

आज देखा जावे तो समाज कल्याण विभाग के ज्यादा से ज्यादा पैसे उन गरीब लोगों के छात्रावास में भील, मीणे हरिजनों के लड़कों को छात्रवृत्ति देने में खर्च होते हैं। आज भारतीय समाज में एक प्रकार की नई चेतना आ रही है। आज हिन्दुस्तान में मजदूर ऊंचा उठेगा तो देश ऊंचा उठेगा। आजादी से पहले मजदूर नीचे पड़ा हुआ था और उसको ऊंचा उठाने की मांग कर रहे हैं। और समाज का जो वर्ग सरमायेदार था, जो ऊंचा उठा हुआ था, चाहे किसी भी कारणों से था, चाहे सामाजिक या राजनैतिक कारणों से था वह सारे समाज की पूंजी पर और समाज के सीने पर छाया हुआ था आज लड़खड़ा कर नीचे पड़ता है तो आहें भी हो रही हैं....

(विराम)

और वह तबका ऊंचे उठने वाले तबके की टांग खींच कर नीचे लाने और प्रगति में रोड़ा अट-

(श्री हरिदेव जोशी)

काना चाहता है और जब वह रोड़े अटकाना चाहता है तो इसके लिये साधन है अविश्वास का प्रस्ताव। इसलिये निहित स्वार्थों के लिये कांग्रेस सरकार का विरोध करते हैं जो कांग्रेस सरकार मजदूर वर्ग को ऊंचा उठाना चाहती है और इसीलिये इस प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का किसान और मजदूर आज जाग चुका है जिसके लिये आप कुर्बानी करना चाहते हैं। वह किसी भी प्रकार आपके भुलावे में नहीं आने वाला है। आज जिन लोगों ने २०–२० वर्ष, और ४०-४० वर्षों तक और ५० वर्षों से भी ज्यादा अपनी जिन्दगी लोगों की सेवा में बरबाद की। आज उनको यह ओवर नाइट लीडर चुनौती देते हैं और यह कहते हैं कि अमुक आदमी यह हैं, प्रजातन्त्र में उनको अधिकार हैं कि वे इस प्रकार की चुनौती दें। लेकिन मैं यह कहूंगा कि भील, मीणे, चमार आदि जो लोग हैं कोई भी उनकी खबर लेने के लिये नहीं जाते हैं। कोई भी यह नहीं पूछता है कि कंजर क्या खाता है। उस माई के लाल को कोई नहीं पूछता कि वह क्या करता है, आज उसकी माली हालत क्या है? एक आदमी सत्ता से दूर रह कर धूनी रमाता है वह यहाँ एक प्रस्ताव से उसको रिकॉग्ज़ाइज तो करें।

(५ म. प.)

आज आप और हम एक तरफ बैठ कर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि समाज में उन लोगों को, उन्हीं कारणों को लेकर कि १५ वर्ष पहले उन्हीं लोगों से आपको विरोध था, वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं इसलिये कि वे भूखों को अनाज देना चाहते हैं, जो नीचे गिरे हुए तबके हैं उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो नंगे हैं उनको कपड़े पहनाना चाहते हैं, इसको आप दरगुजर नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते और आज जो इस सदन के सदस्य नहीं, माणिक्यलालजी वर्मा को इसलिये खींचते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व यहां नहीं। आपकी पार्टी के नेता लोकसभा में हैं, उनको आप कहते कि माणिक्यलालजी वर्मा के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखिते तो वे वहां रखते। पर आप इस तरीके को अख्त्यार नहीं करना चाहते।

(५ म. म.)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें यह कहा गया कि जनता की मांग खाना, कपड़ा और मकान की मांग है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, १५ साल में आज प्रतिशत आमदनी बढ़ी है या एक हजार वर्ष पहले बढ़ी थी, इसके कोई स्टेटिस्टिक्स उठा कर देखें और अगर कोई देखेगा तो तथ्यों से आंख नहीं मूंद सकेगा।

मैं कोई पब्लिक भाषण नहीं दे रहा हूँ कि लोगों को कहूँ कि रोटी–कपड़ा कल ही मिल जायगा। रोटी, कपड़ा और मकान यह एक दिन में नहीं दिया जा सकता, वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, पूर्वजों ने जो पाप किये हैं उनका जब तक आप कड़ा प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक वह नहीं मिल सकता....

(विराम)

उस प्रायश्चित के करने में इस पीढ़ी को खपाना पड़ेगा, यह त्याग नहीं करेंगे तब तक आगे

Page No 57

(श्री हरिदेव जोशी)

वाली पीढ़ी नहीं बढ़ सकेगी। इसलिये आगे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिये इस पीढ़ी को अपने आपको खपाना पड़ेगा, खप जाना पड़ेगा।

अगर विरोधी दल के माननीय नेता इसे महसूस करते हैं कि आज भी लोगों के पास खाने को अनाज नहीं, पहिनने को कपड़ा नहीं और रहने को मकान नहीं है तो राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कभी यह दावा नहीं किया कि हर आदमी के पास सेंट परसेंट आवश्यकता की चीजें है और वे सब चीजें उनको मुहैया कर दी गई हैं। वे पीढ़ियों से उनके पास नहीं थीं, उस जमाने से उनके पास नहीं थीं जब से सात पीढ़ी से उनके बाप-दादे जन्मते आ रहे थे। उस शासन में इनकी भागीदारी नहीं थी, आज के शासन में इनकी भागीदारी है और यदि उसमें किसी प्रकार की कमजोरी है तो इधर और उधर बैठने वाले उसको दूर कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी अच्छी और खुशकिस्मती की बात यह है कि उनके हक में आप भी बोलते हैं। एक जमाना था जब कुछ ही लोग बोलते थे, आज आप भी बोलते हैं। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उनके दिन फिरने वाले हैं, उनको रोटी, रोजी और मकान मिलेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आपका शासन बदलने के बाद उनके दिन फिरेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : आप सपने देखते रहें और अगर शासन बदल भी जायगा तो कोई बात नहीं, प्रजातन्त्र में शासन बदलते ही रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): मधुर स्वप्न तो देखने ही चाहिये! मधुर स्वप्न देखते हैं तो आपको क्यों अखरता है?

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जिन सैद्धान्तिक प्रश्नों का सवाल उठाया गया, उनके बारे में मैंने कुछ निवेदन किया है। अब मैं कुछ ऐसी बातें जिनको माननीय सदस्य ने इस सदन में रखा उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस सदन में कहा गया कि कांग्रेस के शासन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस सदन में यह कहा गया कि बहुत बड़ा पक्षपात है। मुझे इस चीज को कोई डिफेन्ड नहीं करना है। मैं एक ही चीज कहता हूँ और समझता हूँ कि कौन लोग इसे कह रहे हैं, किन सर्कल्स से ये बातें आती हैं। अध्यक्ष महोदय, कल जनसंघ के माननीय नेता ने कांग्रेस शासन के बारे में कई बातें कहीं। वैसे जनता के सौभाग्य से क्योंकि मैं इसे सौभाग्य ही मानता हूँ, मैं जनसंघ में प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति नहीं पाता, इसलिये मैं हिन्दुस्तान का सौभाग्य मानता हूं कि जनसंघ को शासन में हिस्सा नहीं मिला किन्तु कहीं जनसंघ को हिस्सा मिला तो वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हिस्सा मिला, वहां हालात क्या हुए? अध्यक्ष महोदय, आज से थोड़े समय पहले नवम्बर १९६२ में इस जयपुर शहर में जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी बनी थी; अध्यक्ष महोदय, जुम्मा जुम्मा ८ दिन वह म्युनिसिपैलिटी नहीं टिक सकी और कोलेप्स हो गई। उनकी संख्या इतनी ही थी अथवा प्रतिशत समानता उतनी ही थी जितनी कि आज

(श्री हरिदेव जोशी)

राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस और विरोधी दल की है या थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मैं अगर गलत होऊं तो माननीय सदस्य उसे ठीक कर सकते हैं। परन्तु राजस्थान सरकार को इस बात का सक्षम श्रेय है कि इस राजस्थान गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी दी, जब कि जनसंघ चार दिन भी उसे नहीं निभा सका और उसे हट जाना पड़ा, आखिर यह क्यों ?

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि आपका बड़ा सबल नेतृत्व उन्हें प्राप्त हुआ था, आप जैसे सुदृढ़ व्यक्ति जिसकी भुजाओं में जोश है, जिसकी वाणी में ओज है, जिसके नेतृत्व में क्षमता है, जो माणक चौक की चौपड़ पर हजारों आदमी इकट्ठा कर सकता है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : यह कौन मानता है ? हम तो मानते ही नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं मानता हूं, साहब। वह व्यक्ति जयपुर की म्युनिसिपैलिटी को नहीं बचा सका, अध्यक्ष महोदय....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बंटवारा करने लग गये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि १९५७ में सीकर जिले से जनसंघ के कितने सदस्य आये थे और आज कितने सदस्य आये हैं, यह सदन जानता है। उन माननीय सदस्य का सबल नेतृत्व दिख रहा है कि किस तरह का नेतृत्व सीकर जिले में किया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : थोड़ा उदयपुर का भी ख्याल रखें।

श्री हरिदेव जोशी : जो सदस्य आज अपनी सत्ता को नहीं बचा सके, जो विधान-सभाई एक बार दांता रामगढ़ से, दूसरी बार श्रीमाधोपुर से और तीसरी बार जयपुर से खड़े हों इसके सिवाय और तरस की बात क्या हो सकती है ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय जब तक विराजमान हैं तब तक ये शब्द मत कहिये।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, मुझे माननीय सदस्य पर तरस आता है कि जहां जहां माननीय सदस्य ने कदम रखे वहां वहां जनसंघ साफ हुआ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं क्या निवेदन करूं, मेरे सामने अवश्य ऐसी बातें आती हैं, मैं नहीं जानता कि जनसंघ के नेता जानते हैं अथवा नहीं जानते, पर मैं यह मान कर चलता हूं कि वे नहीं जानते क्योंकि उन्होंने इस सदन में यह परम्परा डाल दी है कि जब तक कोई नहीं कहे कि पता है तब तक मान कर चलें कि पता नहीं है। शायद माननीय सदस्य एक से अधिक बार राजस्थान सरकार को भ्रष्टाचार के बारे में और ढीलेपन की नीति के बारे में लताड़ चुके हैं। मगर शायद माननीय सदस्य को यह पता नहीं होगा कि जिस समय जयपुर म्युनि-सिपैलिटी में जनसंघ के चैयरमेन थे उस समय

(श्री हरिदेव जोशी)

जयपुर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर सन् १९६२ के नवम्बर-दिसम्बर में एक दैनिक पत्र की ओर से बिल पेश हुए थे। सन् १९५८, ५९, ६० के एडवर्टाइजमेन्ट का तीन रुपया प्रति कॉलम के हिसाब से उस बिल का उस समय की म्युनिसिपैलिटी ने पेमेन्ट किया था। वह पेमेन्ट १९६० में हो चुका था। उस दैनिक ने एक रिवाइज्ड बिल फिर से तैयार किया और उस समय के जनसंघ के चेयरमैन ने पांच रुपया प्रति कॉलम के हिसाब से पेमेन्ट कराया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप अखबार का नाम भी बता दें।

श्री हरिदेव जोशी : नाम लेने की प्रक्रिया में मैं नहीं जाना चाहता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जब सदन के सामने तथ्य रखा है, अखबार के लिए कहा है तो उसका नाम बताने में आपको गड़बड़हाट क्यों है ?

श्री हरिदेव जोशी : न मैं आपसे घबराता हूं, न आपके क्वेश्चन से घबराता हूं और न ही प्रतिक्रिया से ही घबराता हूं।

माननीय अध्यक्ष, मुझे आश्चर्य तब होता है जब कि माननीय सदस्य को ऑडिट रिपोर्ट की कापीज् तो मिल जाती हैं और कहते हैं इस बारे में ऑडिट रिपोर्ट हुई उसकी कॉपी उनको नहीं मिली। ऐसा कोई टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर इस मामले में नहीं था जो कॉपी करके देता।

एक माननीय सदस्य : यह घर का मामला है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा स्ट्रोंग कन्विक्शन है राजस्थान की विधान सभा में जो माननीय सदस्य करप्शन की, सर्विसेज् के अन्दर डिमोरेलाइजेशन की सबसे अधिक बातें करते हैं, राजस्थान के अन्दर सबसे अधिक करप्शन और डिमोरेलाइजेशन सर्विसेज् के अन्दर उन्होंने पैदा किया वह क्यों ? वह इसलिए कि मैं देखता हूं।

(विराम)

कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन वह किसी न किसी ऑडिट की अथवा किसी न किसी चीज् की रिपोर्ट लाकर रखते हैं। आखिर वह कैसे आती है ? वह जब तक किसी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को ओब्लाइज न करते होंगे हर्गिज नहीं आ सकती, अध्यक्ष महोदय। अथवा किसी न किसी चीज् को अथवा उनकी भावना को एक्स्प्लोइट न करते हों तब तक नहीं आ सकती है, अथवा किसी न किसी के घर में सेंध न डलवाते हों, वह नहीं आ सकती है। कौनसी चीज् आपने की, अध्यक्ष महोदय ? अथवा किसी की भावना को आपने एक्स्प्लोयट किया, अथवा किसी को आपने ओब्लाइज किया, अथवा आपके किसी के घर में सेंध डलवायी ? इन तीनों चीजों में से यदि आपने एक भी किया है तो राजस्थान की सर्विसेज् को डिमोरेलाइज् किया है और उनमें करप्शन पैदा किया है ? इसलिए माननीय सदस्य नहीं चाहते कि मुझे कोई कारण बतायेंगे। यदि बतायेंगे और वह मेरे मानने में आ जायगा तो मैं कन्विन्स हो जाऊंगा। मैं अब तक उनसे बार बार पूछता

(श्री हरिदेव जोशी)

रहा हूं कि मुझे नहीं मिलती है, मुझे आप तरकीब बतायें कि आपको किस प्रकार मिल जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप हम दोनों साथ लेकर आये थे।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि इस प्रकार की हरकतें, अमुक लोगों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर कही हुई बातें सर्विसेज में करप्शन को नहीं हटा सकती। ये सर्विसेज में डिमोरेलाइजेशन पैदा करेंगी। बाज वक्त लोगों में एक भावना पैदा होती है। आखिर कारण क्या है? इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। इससे सर्विसेज के अन्दर साइकोलोजिकल इफेक्ट होता है, वह हमको देखने की जरूरत है। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य मेरी अपील को मानें तो सही तरीका अपनावें। ये तरीके न तो प्रजातन्त्र के हित में हैं और न किसी पार्टी के ही हित में है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार के ऊपर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन और न जाने कितनों कितनों के चार्जेज लगाये। मेरे देखने में एक कागज आया है। जिस समय जयपुर में म्युनिसिपैलिटी जनसघ की थी उस समय कुछ हरिजनों के नाम से बिना बजट एस्टीमेट्स के भी उनको भर्ती किया गया। उन हरिजनों के नाम क्या थे? कोई खां था या चन्द था, दरअसल वे जाति से ब्रह्मण थे या महाजन थे।

श्री रामकिशन (वैर) : वर्ण व्यस्था तोड़ी, अच्छा हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : परन्तु उनको हरिजनों के नाम से भर्ती किया। उन्होंने हरिजन का काम नहीं किया। न झाड़ू लगाया न टट्टी ही उठायी। लेकिन उनको प्रोवाइड किया गया हरिजनों के नाम से कि इतने हरिजन वहां पर हैं। जो लोग तीन दिन के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पीरियड कौनसा है?

श्री हरिदेव जोशी : नवम्बर १९६२ से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं है। नवम्बर १९६२ में जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी नहीं थी। आप इंगलैंड से अभी आये हैं। वहां नवम्बर १९६२ में जन संघ की म्युनिसिपैलिटी नहीं थी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपने आपको करेक्ट कर सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको होश ही नहीं है। केवल जोश में बोल रहे हो, होश खोकर।

श्री हरिदेव जोशी : नवम्बर १९६१।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतनी जोश से बात कर रहे हैं, यहा मालूम ही नहीं है कि नवम्बर १९६२ में जनसघ की कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं थी। होश रख कर बात करिये।

श्री हरिदेव जोशी : जो साथी आगे बढ़ कर करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,

(श्री हरिदेव जोशी)

मैं निवेदन करूंगा कि हाउस टैक्स जब वसूल किया जा रहा था, जनरल इलेक्शन के दर्मियान ४ हजार केसेज् म्युनिसिपैलिटी के द्वारा रोके गये थे और इस प्रकार म्युनसिपैलिटी की आमदनी खुर्द–बुर्द हो गई और म्युनिसिपैलिटी के हरिजनों के लिए हाथ से ठेले वाली गाड़ी के लिए ७६–८० हजार रुपया सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंन्ट ने दिये, उस पैसे को खर्च नहीं किया गया, उसको हरिजनों के काम में नहीं लाया गया और हाउस टैक्स के रूप में उसको खर्च किया गया। जो लोग सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंन्ट को गाली देते हैं, जो लोग उसको कन्डेम करते हैं वे लोग सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंन्ट द्वारा दिये गये पैसे का किस तरह दुरुपयोग करते हैं ! अध्यक्ष महोदय, यह एक ज्वलन्त उदाहरण है। यदि माननीय सदस्य इसको गलत साबित कर देंगे तो वे जो कहेंगे मैं उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूं। वे यह मुझे बतला दें कि उनकी म्युनिसिपैलिटी ने ऑर्डर दिया था या नहीं ?, वे यह मुझे बताला दें कि उनके दस्तखत से वह ऑर्डर पास हुआ था या नहीं ? उस अखबार को दो साल का भुगतान दुबारा सन् १९६१ में किया जाय, इस प्रकार के कारनामे जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी में हुए हैं या नहीं ? और माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपस में बटवारा कर लिया होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो दो–दो हाथ करने वाले हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो मामला, जनसंघ के नेताओं से एक बात और पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में जनसंघ का अधिवेशन हुआ। उस जनसंघ के अधिवेशन के लिए म्युनिसिपैलिटी को आपने लाउडस्पीकर का टैक्स चुकाया अथवा नहीं ? चुकाया, मुझे इतना ही बतला दीजिये ?

एक माननीय सदस्य : वह तो घर की ही थी।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय मैं इसका जवाब दूंगा तब पता लग जायगा। जयपुर की म्युनिसिपैलिटी को किनने खाया है, यह जब जवाब देने का मुझे मौका मिलेगा तब बता दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आंकड़े इकट्ठे कर लो।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर और नसीराबाद की म्युनिसिपैलिटी को मैं जानता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान के सौभाग्य से, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, जनसंघ को किसी दूसरी जगह से शासन में आने का मौका नहीं मिला।

माननीय सदस्य ने कल अपने भाषण में भारत सरकार के एक मन्त्री महोदय के किसी पंचायत समिति में दौरे के बारे में कहा और यह भी कहा गया कि शराब भी वहां आयी। शराब वहां आयी अथवा नहीं आयी, मैं यह नहीं कहता, परन्तु उन्होंने यह असर डालने की कोशिश की कि जैसे माननीय मन्त्री के लिए शराब वहां आयी। माननीय अध्यक्ष,

(श्री हरिदेव जोशी)

मैंने ऐसा सुना है कि वह पंचायत समिति कांग्रेस की नहीं है। उस पंचायत समिति के कोई 'सिंह' साहब अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : वाइस प्रेसीडेन्ट हैं जनसंघ के।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूँ। पंचायत समिति में डिनर अथवा लंच होता है उसमें अकेले मिनिस्टर ही सम्मिलित हुए हों, यह बात नहीं; उसमें राजस्थान सरकार के कुछ मन्त्री और अध्यक्ष महोदय; जहां तक मुझे सूचना है आप भी वहां विद्यमान थे।

एक माननीय सदस्य : क्या सबने ही वहां पी थी क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : शराब किसने पी अथवा नहीं पी, मैं इसमें जाना नहीं चाहता; किन्तु जनसंघ के माननीय नेता से एक चीज निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग शराब नहीं पीते हैं........

श्री भैरोंसिंह : वे कांग्रेस के सदस्य एक साथ नहीं पीते हैं, अकेले में सब पीते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लूं तो उस डिनर में कई सरपंच थे और सरकारी अधिकारी थे, पंचायतों के प्रधान थे, वहां पर प्रमुख थे, एम. एल. एज़. थे, माननीय स्पीकर भी थे। तो ऐसी अवस्था में शराब कम से कम कांग्रेस के लोग पी नहीं सकते, प्रधान के नेतृत्व में वह हुआ था, उनकी बात मैं नहीं कह सकता।

श्री मोतीलाल चौधरी : वहां के प्रेसीडेन्ट जनसंघ के वाइस प्रेसीडेन्ट हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, जनसंघ के नेता एक प्रकार से हवा बनाने में अत्यन्त माहिर हैं। किस प्रकार से हवा को चेन्ज करके एक प्रकार का उसको रूप देकर रखने में माहिर हैं और वे इस प्रकार से किसी चीज को रखते है कांग्रेस अधिकारियों के बाबत में, कांग्रेस के मत्रियों के बारे में और कांग्रेसी सरकार के बारे में हवा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार में करप्शन नहीं है, सरकार में करप्शन की बात आती है उन चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उन मामलों में सख्ती के साथ डील करना चाहिये। मगर माननीय अध्यक्ष, सदन में किसी चीज को तोड़-मरोड़ कर रखते हैं तो परेशानी होती है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य के साथ में राजस्थान विधान में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में सदस्य रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में जिन चीजों को गुरुता और गम्भीरता से रखा था, उन चीजों के बारे में रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट है गवर्नमेन्ट का प्राइवेट कन्सर्न्स के अन्दर इन्वेस्टमेन्ट। उस इन्वेस्टमेन्ट के बाबत में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उस पर माननीय सदस्य के दस्तखत हैं। माननीय सदस्य ने जिन तथ्यों पर हस्ताक्षर किये हैं वे माननीय अध्यक्ष, मेरा टाइम हो गया है इसलिये मैं उनको बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। वे तथ्य इस प्रकार के हैं। आपने कहा था कि सुखाड़ियाजी के नेतृत्व में कायम हुई सरकार ने चार करोड़ और कुछ लाख रुपये का इन्वेस्टमेन्ट करके ऐसी स्थिति

(श्री हरिदेव जोशी)

पैदा कर दी है कि उससे नुकसान हुआ है, एक परसेन्ट डिवीडेन्ड उस पर मिला है; इस कारण सरकार को अनेकानेक टैक्स लगाने पड़े । इस बाबत में १९५९-६० में आपके अनुमोदन से यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उस रिपोर्ट पर माननीय सदस्य ने हस्ताक्षर किये, वह चीज यह है । रिपोर्ट के पेज ८, पैराग्राफ १९ में लिखा गया है :

"यह सन्तोष का विषय है कि राजस्थान सरकार इस मामले में सतर्क है ।"

आपने इसमें सन्तोष जाहिर किया है ।

श्री भैरोंसिंह : आज भी जाहिर करता हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : लेकिन उसके बावजूद भी आपने यह बतलाने की कोशिश की है कि सुखाड़िया सरकार ने जो चार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट किया है वह खराब गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज लगभग कोऑपरेटिव सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कुल मिलाकर करीब ४ करोड़ रुपये के करीब इन्वेस्टमेन्ट है । उस रिपोर्ट पर जिस पर माननीय सदस्य ने हस्ताक्षर किये हैं उसको मैं यहां उद्धृत करता हूं ।

"उपरोक्त विश्लेषण से कुछ परिणाम निकाले जा सकते हैं । जितनी संस्थाओं में राजस्थान की कुल धनराशि इस समय नियोजित है उनमें से आधी से अधिक संस्थाओं में कुल धनराशि की आधी से कुछ अधिक राशि राजस्थान निर्माण से पूर्व विभिन्न भूतपूर्व राज्यों द्वारा नियोजित की गई है ।"

इसका मतलब यह हुआ कि जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया है वह सब सुखाड़िया सरकार के समय का नहीं है, अपितु आधे से ज्यादा राशि दो करोड़ रुपया जो है वह स्टेट्स के समय का है; वी०टी० कृष्णमाचारी, महाराजा वीरभद्रसिंह आदि हैं जिन्होंने अपनी स्टेट्स की बहबूदी के लिये, कोई न कोई इन्डस्ट्री उनके यहां पर कायम हो उसके अन्दर यह पूंजी नियोजित की गई है । उसके वारिश होने के नाते इसकी भी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ली है । कांग्रेस की सरकार जनसंघ की पार्टी नहीं है जो इस तरह से अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी लेने से कतरावे और वह यह कह दे कि जिस सरकार ने इन्वेस्टमेंन्ट किया है वह उसकी जिम्मेदारी ले । हमने उस जिम्मेदारी को भी अपने सिर पर लिया है, वारिश सरकार होने के नाते उस सारी नियोजन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है ।

कितना बड़ा इन्वेस्टमेन्ट है और वह किस प्रकार है, यह माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा की टेबल पर जो फाइनेन्स रिपोर्ट और एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स, और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट द्वारा वे सब रखे जाते हैं, उसमें विशद रूप में सामने रखा गया है । उसमें एक तथ्य बहुत साफ है कि राजस्थान सरकार बनने के बाद में अथवा इसे आगे चल कर कहें तो यह है कि सुखाड़ियाजी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में जितना इन्वेस्टमेन्ट किया गया उसमें से ९९ परसेन्ट साउन्ड इन्वेस्टमेन्ट हुआ है और उस पर ३ परसेन्ट से लेकर १६ परसेन्ट तक डिवीडेन्ड मिलता है । इसके मायने यह हुए कि राजस्थान को

(श्री हरिदेव जोशी)

बहबूदी के लिये, राजस्थान में जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है उसकी तरक्की के लिये कदम उठाये गये हैं, जनसंघ उसको दर गुजर करना चाहता है। एक जमाना था, राजस्थान के अन्दर कुछ इन्डस्ट्रीज़ ही थीं, जिनकी चिमनियों से धुआं तक नहीं निकलता था। इन्डस्ट्री खोलने के लिये यहां कोई आना नहीं चाहता था। अध्यक्ष महोदय, आपको विदित है कि एक प्रयत्न किया गया कि राजस्थान दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा किसी कदर इन्डस्ट्रीज़ में पीछे नहीं रहे। कोशिश करके यहां इन्डस्ट्रीज़ कायम करने की कोशिश की गई। राजस्थान तरक्की की ओर बहबूदी के अन्दर जो माननीय सदस्य रुचि रखते हैं वे यदि गंभीरता से सोचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सुखाड़िया सरकार ने जो कदम इस तरफ उठाये हैं उसको वे वेलकम करेंगे। दुर्भाग्य है कि राजस्थान की तरक्की के लिये इसको ऊंचा उठाने के लिये, भूमि के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करने के लिये इन्डस्ट्रीज़ को कायम किया जा रहा है; इस पर भी खाक उछाल कर, कीचड़ उछाल कर, गाली देकर के बात की जाती है।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में रहने वाला हर सेन्सिबल आदमी जानता है कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियलिस्टस के भी दो ग्रुप से अधिक ग्रुप हैं। वे आपस में एक इन्डस्ट्री से दूसरी इन्डस्ट्री के खिलाफ बातें करते हैं और लोगों को भड़काते हैं। इस प्रकार से भड़काने वालों की बातों के अन्दर राजस्थान के विधान सभायी आ जायं तो वे राजस्थान की सेवा का काम नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें तथ्यों के विश्लेषण के अन्दर जाना चाहिये, जो मोटिव्ज़ इसके पीछे हैं उनको रखना चाहिये। राजस्थान के हित में कौन सी चीज है, यह देखने की जरूरत है। अगर मैं इस मौके पर बात कहूं तो भी गैर–मौजू नहीं होगा कि आज राजस्थान के लोगों के सामने फिर वह अवसर आया है, राजस्थान आज उस दहलीज पर खड़ा हुआ है, इस राजस्थान में बिजली की कमी है रेलों की कमी है, तथा और और सुविधाओं की कमी है। इस मामले में दूसरी स्टेट्स के पॉवर के लिहाज से, रेलों के लिहाज से अधिक एट्रेक्टिव नहीं है। अगर आज इस अवसर पर हम दूसरे लोगों को पूंजी नियोजित करने के लिये वेलकम नहीं कर सकते, एट्रेक्ट नहीं कर सकते तो हम राजस्थान की सेवा नहीं कर रहे हैं, राजस्थान के सेवक नहीं कहे जा सकते, राजस्थान को पीछे धकेलने वाले कहलायेंगे। इसलिये राजस्थान का विकास किस प्रकार से होना चाहिये, यह विस्तृत दृष्टिकोण हमारा होना चाहिये, वर्ना मैं यह कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी कि राजस्थान में कोई आने वाला नहीं। जब कि वे देखते हैं कि साउथ में पॉवर है, पानी है और सब तरह के एट्रेक्शन हैं वहां पर कोई भी पार्टी हो इन्डस्ट्रीज़ लगाना पसन्द करती है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास छोड़ कर हैदराबाद छोड़ कर वे आना नहीं चाहते। तो इन सब बातों को देखते हुए राजस्थान के हित-अहित को सोचते हुए हमें फैसला करना है।

माननीय अध्यक्ष, मुझे और भी कई बातें कहनी थीं, मगर मेरे भाषण का समय खत्म होता जा रहा है। मैं एक-दो बातें जो माननीय सदस्यों ने दूसरी कही हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री हरिदेव जोशी)

माननीय सदस्य ने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का एक क्वेश्चन जो ग्राम तौर पर क्वेश्चनेअर के रूप में हम पूछते हैं, यहां रखा जिसमें यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट के बारे में भी सवाल था। उन्होंने कहा कि यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं प्राप्त हुआ। यह बात सही है। मगर क्या माननीय सदस्य यह गम्भीरता पूर्वक महसूस करते हैं कि यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट के बारे में जो प्रश्न उन्होंने जिस तरह से यहां सदन में उठाया है उतनी ही गम्भीरता से उन्होंने उसको पी. ए. सी. में लिया था ?

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की सारी प्रोसीडिंग्ज़ कॉन्फीडेन्शियल होती हैं। उसके बारे में हाउस में पी. ए. सी. के चैयरमैन खड़े होकर यह कहें कि इस प्रकार का प्रश्न मैंने पी. ए. सी. की मीटिंग में उठाया था या नहीं; मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पी. ए. सी. मीटिंग्ज़ के डेलीबरेशन्स हाउस में कहने की वे छूट देते हैं क्या ? और छूट देकर प्रश्न करना चाहते हैं क्या ? अगर उस स्थिति में प्रश्न करते हैं तो जो बातें वहां कही हैं, जिन कागजों पर आपके दस्तखत हैं, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चैयरमैन की हैसियत सेजो जो क्वेश्चन्स आपने गवर्नमेंन्ट के खिलाफ किये हैं, गवर्नमेंन्ट के खिलाफ एस्पर्शन्स किये हैं, मन्त्री या मन्त्रियों के खिलाफ लिखा है उन सारी चीजों को, प्रोसीडिंग्ज़ को सदन में मैं पेश करूंगा। आप यह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पहले बता दीजिये कि मैं पी. ए. सी. की प्रोसीडिंग्ज़ के बारे में यहां कह सकता हूं कि नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं, इसमें दो राय नहीं है। मगर मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के विरुद्ध हो।

श्री भैरोंसिंह : मैं फिर निवेदन करूंगा कि पी. ए. सी. की डिबेट के सम्बन्ध में, पी. ए. सी. के डेलीबरेशन्स के सम्बन्ध में कोई बात सदन में नहीं कही जा सकती। पर कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय ने कही है और इसलिये वह हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ से निकाला जावे। और अगर नहीं निकाला जाता है और मुझे यह पूछा जाता है कि यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट के बारे में मैंने किस गम्भीरता से पी. ए. सी. में मामला उठाया या मैंने कोई प्रश्न पूछा या नहीं और यह परम्परा अगर यहां चली तो मैं यह साफ कहता हूं कि इसमें मैं नुकसान में नहीं रहूंगा। नुकसान में आप रहेंगे और नुकसान में रहने वाले सचेत हो जावें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा अनुभव करता हूं ....

श्री भैरोंसिंह : मैं आपका रूलिंग चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय इस पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक मैटर ऑफ प्रिविलेज है। इस पर आपका रूलिंग होना आवश्यक है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपसे पूछा है, हमने इस चीज को उठाया है, डील किया है और इस चीज के बाबत में अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने भी उसको बुरा बताया है। तो फिर आप डिफेन्ड किस बात का कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अपनी बात कह रहा हूं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया उन तथ्यों का ही उल्लेख करें जो रिपोर्ट में बताये गये हैं, उससे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पी. ए. सी. की रिपोर्ट में इन चीजों को बहुत साफ साफ लिखा गया है।

और यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स के बारे में, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा, अगर किसी एक अमुक मद का आता है अथवा अमुक डिपार्टमेंट का आता है और वह अगर नहीं आता है तो उसके लिये अमुक सदस्य को या अमुक अफसर को, इन्डिविजुअल को रेस्पोन्सिबल करना चाहते हैं तो मैं इसके लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी यही कह रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं ? इसमें ऐसा है कि एक लोएस्ट लैवल से लेकर जो डिस्ट्रिब्यूट करता है उस पैसे को, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हाइएस्ट ऑथोरिटी है वहां तक एक चेन होती है जो उस पैसे को यूटीलाइज़ करते हैं और अगर वह पैसा यूटीलाइज़ होता है तो उसका युटीलाइजेशन सर्टीफिकेट आता है।

अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस रूप में माननीय सदस्य ने बताया कि यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स अमुक करोड़ रुपयों के नहीं हुए और यह बताते हुए यह दिखाने की कोशिश की कि अमुक करोड़ रुपयों का जैसे यूटीलाइजेशन हुआ ही नहीं और हुआ है तो गलत हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरी धारणा ऐसी नहीं है। मैं इसमें कोई सीक्रेट डाइवल्ज नहीं करता अगर मैं उन तथ्यों को, जिनको मैं जानता हूं, सदन के सामने रखता हूं तो। तो तथ्य ये हैं कि एक पंचायत समिति में या किसी में दस हजार रुपया एक विभाग के द्वारा कुआ खोदने के लिये या अमुक काम के लिये दिया गया। अब उसमें दस कूए खोदे गये। इनमें से नौ कुओं के यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट तो आ गये और दसवें का यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं आया तो जब तक दस का पूरा नहीं आवेगा तब तक उस सर्टीफिकेट को पूरा नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : This is not what I intended to say.

श्री हरिदेव जोशी : मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कोई ऐसा खुशी से किसी की या किसी के दबाव से पड़ा हो, इस प्रकार से हो, ऐसा नहीं है। यह स्थिति नहीं है कि उनको कभी पूरा नहीं किया जाना चाहिये, गवर्नमेंट मशीनरी टोन अप की जानी चाहिये। समय पर पूरा किया जाना चाहिये।

इन तथ्यों के साथ, माननीय अध्यक्षजी, मैं जो अविश्वास प्रस्ताव तीसरे अथवा चौथे माननीय सदस्य ने रक्खा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ा। कुछ डकैतियों के, कुछ हत्याओं के और किन्हीं कुछ

(श्री हरिदेव जोशी)

ईयर के ६०, ६१, ६२ के दौरान हुए वाकयों के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य, वे कौनसी पार्टी के हैं, युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के हैं या सोशलिस्ट........

श्री रामकिशन : सोशलिस्ट ही कहिये, उसी से टक्कर होती है आपकी।

श्री हरिदेव जोशी : आप ऐतराज कर दें तो इसलिये निवेदन कर रहा था कि वे कौन सी पार्टी के हैं तो उन्होंने उनके बारे में जिक्र किया। माननीय सदस्य जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है वे गत आम चुनावों के समय कांग्रेस छोड़कर इस पार्टी में आये हैं। अब ये डकैतियां और ये सारी चीजें उनकी निगाहों में अभी कुछ थोड़े दिन पहले ही आईं और शायद, जब वे कांग्रेसमैन थे तब ये सारी चीजें उनके सामने नहीं आईं। मैं ऐसा समझता हूं कि उन सब चीजों के बारे में सवाल ही खड़ा नहीं होता।

मैं एक चीज़ और साफ कर दूं माननीय अध्यक्ष, कि कभी कोई यह भ्रम नहीं रहे कि चूंकि अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है तो शायद इन शिकायतों पर छोड़ी हो, पर ऐसा नहीं है, इन शिकायतों पर नहीं छोड़ी है।

अब ये जो कम्पलेन्ट्स की हैं और जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है ये किन कारणों से आये हैं, मैं उनको कहना ठीक नहीं समझता हूं।

श्री रामकिशन : कहिये न साफ-साफ, दिक्कत क्या है इसमें ?

श्री हरिदेव जोशी : तो अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य है, उसे छिपाना नह चाहता। मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि उनकी तरफ से ये बातें इन कारणों से नहीं आईं। इनके कारण दूसरे ही हैं।

तो इन शब्दों के साथ इन अविश्वास के प्रस्तावों का वे चाहे एक हों अथवा पांच हों, मैं उन सबका विरोध करता हूं।

श्री रामकिशन : सही है या गलत है, यह है प्रश्न तो। आप बतावें तो सही।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑपोज़ीशन के पांच बोल गये। कांग्रेस के एकाध और बोल लें साहब।

श्री अध्यक्ष : एकाध उधर भी हो जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष कुछ अविश्वास के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रक्खे हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव हमारे दल की ओर से मैंने भी प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, लेकिन आवश्यक मत नहीं मिलने के कारण इस सदन के सदस्यों की अनुमति उसको एडमिट करने के लिये नहीं मिल सकी।

उस प्रस्ताव में हमने इस गवर्नमेन्ट में हमें क्यों अविश्वास है के कारण विशेष तौर से बताये थे और उस बिना पर स्पष्ट तौर पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह बतलाया था कि हमें इस सरकार में आज अविश्वास क्यों है, विश्वास क्यों नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने रूलिंग पार्टी की तरफ से दल के सचेतक और दल के मन्त्री के भाषण सुनने का अवसर मिला। मेरा कुछ काम थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ क्लेम्स किये हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिये, कुछ दावे किये हैं अपनी सरकार के लिये।

जिनके लिए उन्होंने यह दावा किया है कि उनकी सरकार ने उन लोगों को, गरीब व दबे हुए, पिसे हुए लोगों को जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उन्होंने दावे किये हैं कुछ अचीवमेन्ट्स के, उन्होंने दावे किये हैं डेमोक्रेसी कायम करने के, उन्होंने दावे किये हैं किसानों की हालत सुधारने के, उन्होंने दावे किये हैं इन्डस्ट्रियलाइज़ मुल्क को करने के, उन्होंने दावे किये हैं राजस्थान के विकास करने के।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपने इस प्रस्ताव को जिसको हमने पेश करने की कोशिश की थी और जिन कारणों से हमने इस सरकार में अविश्वास व्यक्त करने का इरादा जाहिर किया था, हम यह समझते हैं कि इस सरकार के ये दावे सही नहीं हैं, ये गलत हैं और मैं कुछ तथ्यों के द्वारा उन बातों को सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा।

(५.४१ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का क्लेम किया गया है राजस्थान में इस सरकार ने कुछ योजनाओं के जरिये, इन्डस्ट्रिलाइज़ेशन किया है। सेक्रेटरी महोदय यह कह रहे थे कि जिस राजस्थान में चिमनियों के धुएं नहीं निकला करते थे, उन चिमनियों से धुआं निकलने लगा है। उन्होंने किसानों के बारे में भी इसी प्रकार के क्लेम किए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस के उन्हीं सचेतक महोदय से या उन मन्त्री महोदय से कि क्या यह तथ्य नहीं है कि आज राजस्थान का किसान, वह राजस्थान का मजदूर, वह राजस्थान का मध्यमवर्गीय तबका, वह कर्मचारी, वे सभी के सभी आज परेशान हैं। आज की हालत में, आज की आर्थिक स्थिति में, जो उनकी दुर्दशा है, उन सब में एक गंभीर असंतोष आज की परिस्थितियों से हो रहा है। यह बात अलग है कि आज अपने भाषणों में उस बात को डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन इस तथ्य से आप इन्कार नहीं कर सकते कि आपका दल भी आपके इन कमजोरियों को महसूस कर रहा है। आप अपनी वर्किंग कमेटीज़ में, आप अपने दल के डिस्कशन्स में, आप अपनी इन नीतियों की गलतियों को आज खुद आप अनुभव करने लगे हैं और यही कारण है कि आज कहीं कामराज प्लान के नाम पर, आप अपने दल को रीवाइटलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज आप भिन्न-भिन्न तरीके से इस बात की कोशिश में हैं कि किस तरह से आपने जो जनता का विश्वास खो दिया है, जो देश की बहुमत जनता आपके खिलाफ हो गई है उस विश्वास को किस तरीके से आप प्राप्त कर सकें, इस बात के बारे में आप खुद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चिंतित हैं और यही कारण है कि आपके ऑल इन्डिया नेता अपने अलग-अलग दिमागी योजना के अनुसार सोच रहे हैं कि किन लोगों को गवर्नमेंट में लिया जाय और किनको संख्या में लिया जाय, किस प्रकार से फैले हुए भ्रष्टाचार कांग्रेस के अंदर जो व्याप्त हैं उसे दूर किया जाय, किस प्रकार आपके दल में फैली हुई फूट और इन तमाम चीज़ों को दूर किया जाय, इसके बारे में आप खुद अपने दल के अंदर चिंतित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि जिन बातों को आप क्लेम करना चाहते हैं कि इन योजनाओं के जरिए, इन १५ वर्ष के राज्य में आपने यह कर दिया या आपने वह कर दिया, इस संबंध में जो आपके खुद के नेता हैं, आपके प्लानिंग कमीशन के चेअरमैन हैं, भारत के प्रधान मंत्री खुद इस बात पर चिंतित हैं कि क्या कारण है कि आज हिन्दुस्तान में इस १५ वर्ष के राज्य के बाद, दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे होने के बाद भी, देश के अंदर अरबों रुपये लगाने के बाद भी, समाजवाद का लक्ष्य घोषित करने के बाद भी, क्या वजह है कि एक तरफ अमीरी बढ़ती जा रही है और गरीब लोगों की हालत उल्टी गिरती जा रही है ?

राजस्थान की हालत को हम देखें, उपाध्यक्ष महोदय, आज की, तो क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि आज राजस्थान में जितने भी लोगों को आमदनियां बढ़ी हैं, मज़दूरों की या किसानों की या निम्न मध्यमवर्गीय लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की, क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि आज महंगाई उससे कहीं ज्यादा बढ़ी है, लोगों की रिअल इन्कम, रिअल वेजेज़, उनके अंदर बढ़ोतरी होने के बजाय उल्टी कमी हुई है । अभी इसी विषय में खुद राजस्थान सरकार ने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट दी है उसमें ३ परसेंट की पर-कैपीटा इन्कम में बढ़ोतरी क्लेम की है । अगर इस बात को सही मान भी लिया जाय तो उस पर जो टैक्सेशन का इन्सीडेन्स है, जो राजस्थान में आपने करीब ४ करोड़ के टैक्स लगाए हैं और फिर जो हमारी टैक्स का इम्पैक्ट २६५ करोड़ का, करीब ४३ करोड़ के हिसाब से उस पर ऐसा बांटें तो रैटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से राजस्थान पर उस सेंट्रल टैक्स का इम्पैक्ट ६ रुपया पर-कैपीटा बैठता है और उससे ६।। रु० बैठता है और इस तरीके से आपने पर-कैपीटा इस साल में ८।। पर-कैपीटा टैक्स का उस पर बर्डन बढ़ा दिया और अगर आप इसमें महंगाई ऐड करें तो वह लोगों की जो इन्कम है वह इन्कम पहले की बनिस्बत उल्टी कम हो जाती है । उस महंगाई के जो इन्डेक्स फिगर्स हैं सन् १९५६ में, अगर बेस मानकर चलें तो आज वह फिगर १३० पर पहुंच गया है । जो सन् १९५६ में १०० था वह इन्डेक्स नंबर १३० पर पहुंच गया है । इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है । तो इस लिहाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार यह क्लेम करे कि उन्होंने इन पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए अपने शासन काल में, आम लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया है, तो यह क्लेम सही नहीं है । उनके खुद के तथ्यों के आधार पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सही नहीं है, उनके खुद के नेताओं का जो आर्थिक सर्वे है, जो रिसर्च, जो अन्वेषण कराया है, उसके आधार पर सही नहीं है।

पिछले साल आपकी ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो इसी प्रश्न पर डिस्कशन हुआ उसकी रिपोर्ट जो अखबारों छपी, उसके कुछ एक्सट्रेक्ट्स पढ़कर सुनाता हूं :

"One of the important points made out during the current series of discussions before the economic trends sub-committee of the Congress working Commttee was that disparity between urban and rural income was steadily growing......"

They went on to say कि intermediaries जो हमने कम किए हैं, उनके दायित्व तो कम हो गए हैं।

"These benefits have, however been counterbalanced by the large number of evictions, bogus partitions of land etc. and failure to enforce ceilings on present holdings. It has been estimated that about three-fourths of rural households have less than five acres each and possess in all less than one sixth of the total area. The income of agricultural labourers had gone down from Rs. 104 to Rs. 99.4.

During discussions on tax structure it was pointed out that in spite of acceptance of a socialist pattern the incidence of indirect taxation was increasing.

It was also stated that while annual price increase had been of the order of about 3 percent the per head earning of factory workers drawing less than Rs. 200 p. m. had increased by only 2.3 per cent per annum during 1952-57 The rate of profit index between 1952-53 and 1959-60 worked out to about 7 per cent per annum."

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को राजस्थान सरकार की इस क्लेम को भी कि ३ पर्सेन्ट पर-कैपिटा राजस्थान को जनता की आमदनी बढ़ी है। उसको भी अलग अलग वर्गवार हम देखें। राजस्थान सरकार इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखती बदकिस्मती लेकिन जो ऑल इन्डिया का सर्वे किया गया है उसके आधार पर आज यह नतीजा निकला है। उसका साफ यह मकसद है कि आज मजदूरों की, इन्डस्ट्रियल लेबर की आमदनी २.३ पर्सेन्ट पर कैपिटा बढ़ी है तो मंहगाई ३ पर्सेन्ट बढ़ गयी है। उसमें यह कहा है कि एग्रीकल्चरल लेबर की आमदनी इस पीरियड में बढ़ने के बजाय १०४ से उल्टे ९९.४ पर आ गयी है। उसमें इस बात को कहा गया है कि बढ़ी है तो किसकी बढ़ी है। उसमें कहा गया है कि प्रोफिट का इन्डैक्स नम्बर ७ पर्सेन्ट बढ़ा है यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ी है, बड़े बड़े सरमायेदारों की आमदनी बढ़ी है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस बात से डिस्प्यूट नहीं करते कि इन १५ वर्षों में इन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा राजस्थान सरकार ने कुछ बिजली के क्षेत्र में कुछ प्रगति करने की कोशिश की है, कुछ इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाये हैं उसके अन्दर कुछ प्रोग्रेस करने की कोशिश की है, कुछ स्कूल्स वगैरह खोले हैं उनमें कुछ प्रोग्रेस करने की कोशिश की है; लेकिन अगर हम इसको इस कॉन्टैक्सट में देखें कि हमने कितना खर्च किया है और क्या रिज़ल्ट्स एचीव किये हैं, अगर हम इस कम्पेरेटिव तरीके से देखें कि ऑल इन्डिया की हालत में हम कहां खड़े हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जहां ऑल इन्डिया में पॉवर्स का कन्ज़म्पशन २६ किलोवाट पर कैपिटा है वहां राजस्थान में इतना सब कुछ करने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी और ४० से ५० पर्सेन्ट एक्सपेन्डीचर पॉवर और इर्रिगेशन पर करने के बाद हम पॉवर्स में ५.३१ किलोवाट पर कैपिटा का कन्ज़म्शन अभी तक एचीव कर पाये हैं। इर्रिगेशन में जहां ऑल इन्डिया का फिगर १७.२ पर्सेन्ट सोल एरिया का, कल्टीवेटेड एरिया का है वहां राजस्थान में अभी हम ११.४ पर्सेन्ट पर हम पहुंच पाये हैं। लिट्रेसी में जहां ऑल इन्डिया का फिगर २३.७ पर्सेन्ट है वहां राजस्थान में हम अभी १४.७ पर्सेन्ट पर ही पहुंच पाये हैं। तो इस तरह से जो भी एचीवमेंट्स, जिनके बारे में राजस्थान सरकार बहुत प्राइड महसूस करती है उसका तमाम एक्सपेन्डीचर और राजस्थान की आवश्यकताओं की दृष्टि से हम देखें या ऑल इन्डिया की एचीवमेंट और दूसरे स्टेट्स कहां तक पहुंच गये हैं उस दृष्टि से देखें तो मैं कहूँगा कि राजस्थान सरकार की कोई क्रेडीटेबल एचीवमेंट नहीं है। २ करोड़ जनता की जो आकांक्षायें थीं, जो ऑपार्चुनिटीज़ हमारे सामने थीं, जो अवसर हमारे सामने थे और जो साधन हमको उपलब्ध थे या जो साधन हम उपलब्ध कर सकते थे उनके जरिये जनता की आवश्यकताओं को राजस्थान सरकार ने उपाध्यक्ष महोदय, पूरा नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने प्लान्स अपने हाथ में लिये और उन प्लान्स की जिस तरीके की हालत हुई उसके बारे थोड़ा मैं जिक्र करूंगा थोड़ा विस्तार से। उससे पहले मैं यह जिक्र कर दूं कि सचेतक महोदय ने कहा था और मन्त्री महोदय ने भी कहा था कि आज हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि आज हमारे देश पर एक शत्रु खड़ा है। मैं तो कहूंगा कि एक नहीं दो शत्रु हैं। इधर से हमें चीन का खतरा है, चीन से हमारा झगड़ा है और उधर पाकिस्तान आंख लाल कर करके स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। उधर कुछ लोग हैं जो अर्से से इन स्थितियों का फायदा उठाकर हमको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा सब कुछ जुटाना चाहिए और इसलिए टैक्सेज़ की बातों का विरोध या इस प्रकार की बातें या अविश्वास की बात इस तरह की नहीं करनी चाहिए। जहां तक माननीय सदस्य का दृष्टिकोण इस बात पर है कि हमें अपनी देश की सुरक्षा के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए उन डिफेन्सेज़ को पूरी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरह से मजबूत करना चाहिए। मैं उन माननीय सदस्यों की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन हमारा तो यह कहना है कि यह सरकार अपनी इन नीतियों के जरिये जिस तरीके से अपने देश की हम सुरक्षा को मजबूत कर सकें, जिन नीतियों के जरिये हम किसी भी दुश्मन का बहुत बहादुरी के साथ, एकता के साथ और जोश के साथ मुकाबिला कर सकते हैं यह सरकार अपनी उन नीतियों के जरिये उन्हीं तबकों को, उन्हीं वर्गों को आज नाराज कर रही है; उन्हीं तबकों पर, वर्गों पर हमला कर रही है जो इस देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योग दे सकते हैं, जिन्होंने दिया है और जो वास्तव में देश के रक्षक हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा रक्षा की है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जब कि इस सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं या इस सरकार को नीतियों की आलोचना करते हैं या इस सरकार की नीतियां को बदलने के लिए आग्रह करते हैं तो हम यह समझते हैं कि देश की जिम्मेदारी, देश की रक्षा जहां गवर्नमेंट पर है वहां ऑपोज़ीशन पर भी है, हर हिन्दुस्तानी पर है जो भारत माता का अन्न खाता है और यहां पर पैदा हुआ है। और उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के सम्बन्ध में देश में सबने इस बात में एकता दिखाई है। यह इस देश की खूबी है कि बावजूद इन मतभेदों के और संकट के समय हम एक आवाज होकर लड़े हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन सब बातों पर एक लक्ष्य होते हुए भी सरकार किन नीतियों पर चले। किस तरह की इकोनोमिक नीति अपनायें, किस तरह की टैक्सेशन नीति अपनायें, किनके कन्धों पर बोझ डाला जाये, कौन उस बोझ को सहन कर सकता है, कौन सी शक्तियां हैं जिनके कन्धों पर हम इस बोझ को आसानी से डाल सकते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय और इस प्रश्न को जब तक तय नहीं किया जायेगा और सही तरीके से हल नहीं किया जायेगा, देश में चाहे डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे डिफेन्स का प्रश्न हो उस प्रश्न को हम सही तरीके से हल नहीं कर सकते, यह मेरा निवेदन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम राजस्थान सरकार की नीतियों को देखें तो हमारे सामने यह आता है कि इस सरकार ने इन १५ वर्षों के राज्य में इन तीन पंचावर्षीय योजनाओं को लागू करके राजस्थान का एक आदमी, एक एवरेज आदमी यह देखता है कि आखिर क्या मिला है तुझे इससे। यह बदकिस्मती की बात हैं कि आपके कारनामों की वजह से आज राजस्थान का एवरेज इन्सान जो सामन्तवादी से लड़ा है, जो अंग्रेजों से लड़ा है बेशर्मी के साथ उसे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि इस राज्य मे तो पहला राज्य अच्छा था। यह मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं। हमें दुख होता है, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तो आपके चुने हुए लोग मौजूद हैं। पहले जो लोग राज्य करते थे उस समय कोई पूछता ही नहीं था। राजा का बेटा राजा होता था। अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य करते थे और गुलाम की तरह समझते थे। आज खराब भी शासन है लेकिन हमारे वोटों से बनता है, हम अपने वोट से उसको बदल सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश की उसी जनता के भावना में यह मोड़ आ जाये और

(श्री रामानन्द अग्रवाल

इस तरह की भावना पैदा हो जाये कि वही क्रांतिकारी लोग जो नये हिन्दुस्तान को बनाने के लिए बहादुरी से खड़े हुए थे, बहादुरी से हर दुश्मन का मुकाबिला किया था वही यह समझने लगें कि ये हमारे एफर्ट्स गलत दिशा में थे, वे यह समझने लगें और इस बेबसी में यह कहने लगें कि यह आजादी तो हमारे पास गलत आई।

(६. म० प०)

वे यह महसूस करते हैं कि हमारे आज के शासक तो पहले के शासकों से भी खराब हो गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आप कॉम्प्लीसेन्सी में चाहे कोई शासक दल इस बात को सोचने से, कोई इसको मानने से इन्कार करे, लेकिन इस तथ्य को मैं समझता हूँ कि इस ओर भी बैठने वाले माननीय सदस्य अपनी कॉन्स्टीटुएन्सी में जाते हैं, जनता की भावनाओं को देखते हैं और उस जनता में, जो जनता प्रजातन्त्र के लिए लड़ी थी, जिसके लिए आप प्राइड क्लेम करते हैं, अपने लिए क्लेम करना चाहते हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं है। अगर अपने ही रेन्क्स को आप देखें कि जनतन्त्र के खिलाफ लड़ने वाले भी आज उस तरफ बैठे हैं जिनकी शक्ल उन दिनों नजर नहीं आती थी, यही नहीं बल्कि जिन्होंने स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वालों को जेल में डाला था, वे शायद आज उधर बैठे हैं और जो लड़े थे, जिन्होंने जेल की यातना सही थी, डंडे सहे थे वे आज शायद इधर बैठे हैं। इसलिए उधर के माननीय सदस्य इस बात का क्लेम करें कि हमने इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र कायम किया है, इस देश के अन्दर जनतन्त्र कायम किया है और विरोधी दल को सभी पार्टियों और सभी माननीय सदस्यों के बारे में इस प्रकार आप कहें, यह मैं समझता हूँ कि यह राष्ट्रीय आन्दोलन का बड़ा अपमान है। उसको छोटा करके देखना है। यह बात हो सकती है कि हमने महात्मा गांधी की एडवाइस को नहीं माना है, लेकिन जनता के परिवार की जो थाती थी, यह राष्ट्रीय आन्दोलन जो जनता का प्रयत्न था उसको एक ही पार्टी ने उसी फ्लेग के नाम से अलबत्ता फायदा उठाने की कोशिश की है, यह एक अलग बात है, लेकिन इतिहास इस बात को भूल नहीं सकता कि हिन्दुस्तान की जनता का वह आन्दोलन था। हिन्दुस्तान की जनता ने उस आन्दोलन के जरिये अंग्रेजों को भगाया है। हिन्दुस्तान की जनता ने अपने उस आन्दोलन के जरिये इस सामन्तवाद को खत्म किया है, राजाशाही को खत्म किया है। इसलिए यह श्रेय हिन्दुस्तान की जनता को है और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान की मेहनतकश जनता को है जिसने हर प्रकार की कुर्बानी देकर इसको कायम किया है।

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर): और उसी जनता ने इस शासन को कायम किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज बहुत बदकिस्मती की बात यह है कि वही जनता जिसने इस तरीके से प्रजातन्त्र कायम किया, जिसके सामने हिन्दुस्तान का एक नया नक्शा था, आज वह निराश हो जाय और निराश होकर कहने लगे कि पहले वाला राज्य अच्छा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

था और उनके पीछे लगने लगे जिनके खिलाफ लड़ी थी। उनको वोट देने लगे और उनको लाखों की तादाद में वोट दिये जायं, उनको वापिस कुर्सी पर बैठाने की बात होने लगे, यह क्या गम्भीर बात नहीं है हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता के लिए। हम चाहते हैं कि य

आज इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करें। मेरा आरोप है इस सरकार पर कि इस सरकार की नीतियां इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, राजस्थान की उस बहादुर जनता में निराशा लाने के लिए। इस सरकार की नीतियां जिम्मेदार है राजस्थान की उस जनता को जो उस आन्दोलन की जिस मन्जिल पर वह पहुंचना चाहती थी उससे पीछे पटकने के लिए। इस सरकार ने अपनी नीतियों के जरिये जनता के जोश को ठंडा किया है, निराश किया है और आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह कहा जाय कि बावजूद प्रजातन्त्र कायम करने के, अपनी नीतियों के जरिये, अपने इम्प्लीमेन्टेशन के जरिये, चाहे वे म्युनिसिपैलिटीज़ हों, चाहे वे पंचायतें हों, और चाहे यह असेम्बली और गवर्नमेंट हो, यह सरकार लोगों के अन्दर प्रजातान्त्रिक परम्पराओं को मज़बूत नहीं बना सकी है। यह सरकार लोगों के दिमाग में उनकी जड़ें नहीं जमा सकी हैं, बल्कि लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इससे अच्छा तो यह होता कि डिक्टेटरशिप होती, मिलिट्री राज्य आ जाता। इस तरह से सोचना कि किसी तरीके से यह हो जाय, यह बुरी बात है। हिन्दुस्तान के लिए वह एक काला दिन होगा जब कि इस तरह की व्यवस्था यहां पर लगा दी जायगी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस सरकार की नीतियों का नतीजा है कि जिसकी वजह से देश की बहादुर जनता को इस तरीके से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह स्थिति क्यों है? यह स्थिति जिसका मैंने जिक्र किया कि आपको विकास के लिए आवश्यकता पड़ी, आपको डिफेन्स के लिए आवश्यकता पड़ी। आप कहते हैं कि हमें पैसे की आवश्यकता है, और इसीलिए हम टैक्स लगाते हैं, इधर जनता यह कहती है कि हमारे पास में हमारे खुद के बजट में घाटा है, हमारे खुद के बजट में बड़ा भारी घाटा है और उसके बाद भी अगर टैक्स लगाते हैं तो हम कहां से दें। आप विज़ुअएलाइज़ करें एक क्लर्क की हालत को जिसको १२५) या १५०) रु० तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर आप कम्पलसरी डिपोज़िट स्कीम लागू करते हैं और मज़बूरी से लागू करते हैं। आप कहते हैं कि जबरदस्ती बचाओ। वह अपनी बीबी से कहता है कि ६) रु० मेरे काट लिये। बचत करने के लिए हमारी सरकार कहती है। बीबी कहती है कि घर में तो घाटा है। घर में तो पूरी तरह से घर का खाना, बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा भी पूरा नहीं होता है और किसी न किसी तरह से कर्ज लेकर पूरा करना पड़ता है और आप बचत की बात करते हैं; तो वह समझेगी कि ४२० करते हैं, कहीं इधर-उधर पैसे को गवां आये और धोखेबाजी करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर में आप क्या वास्तव में यह महसूस करते हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि लोगों के पास में इतना सरप्लस है, जिन पर आप टैक्स लगा रहे हैं उनकी केपेसिटी टू पे है जिससे कि आप लेना चाहते हैं ! तो राजस्थान के लोगों पर जहां ५१–५२ में ११ करोड़ के टैक्स थे वहां अब आपकी १२ साल की हुकूमत ने उन टैक्सों को ४० करोड़ तक पहुंचा दिया है। जिन किसानों से करीब साढ़े तीन करोड़ की लैण्ड रेवेन्यू लेते थे उन किसानों से लैण्ड रेवेन्यू को आपने १० करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है। आपने उन किसानों पर.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह पोइन्ट तो मैं पिछली बार एक्सप्लेन कर चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो तथ्य हैं, जो आपके सरकार की नीतियों की वजह से आम आदमी आपसे असन्तोष महसूस करता है और आज आपकी सरकार के प्रति अविश्वास है उन किसानों, जिन किसानों ने भारी साथ दिया था कांग्रेस का; तो आपको मजबूरन सोचना पड़ेगा कि इसके क्या कारण हैं ? इधर बेटरमेंट लेवी बढ़ रही है, इर्रिगेशन चार्जेज़ बढ़ रहे हैं और इस तरीके से लगातार टैक्सेज़ पर टैक्सेज़ बढ़ रहे हैं, मगर मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने उनका जिक्र किया था। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ इस तरह के टैक्सेज़ की भरमार है, दूसरी तरफ मंहगाई है और तीसरी तरफ लोगों की आमदनी कम से कम उस लोअर स्ट्रेटा की जिसमें एग्रीकलचरल लेबर, पुअर पीज़ेन्ट्स, आर्टीज़न्स, इन्डस्ट्रियल वर्कर्स, लोअर मिडल क्लास, सरकारी कर्मचारी, इन तमाम की हालत जो कि एक हमारी बल्क ऑफ पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा बहुमत है, उनकी आज इस तरीके की हालत होती जा रही है कि इन सबको दे नहीं सकते, इस बोझ को सहन नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आज मजबूर होना पड़ रहा है इनके खिलाफ असन्तोष व्यक्त करने के लिए, इनके खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए, और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपने अभी कहा कि क्या हम देश की सेवा नहीं करें, आप कहते हैं कि क्या हम अपने प्रांत का विकास नहीं करें; तो आप ऐसा पोज़ करते हैं कि एक तरफ देश का विकास हो और देश की सुरक्षा हो और दूसरी तरफ टैक्सेशन की आपकी पोलिसी है, आपकी ये आर्थिक नीतियां इनको आप काउन्टर बैलेन्स करने की कोशिश करते हैं, यदि यह चाहिये तो यह नीति अपनानी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम यह समझते हैं कि यदि यह देखें कि आखिर यह जो क्राइसिस है गति अवरोध उत्पन्न होता है, जनता में भारी असन्तोष है तो उसका क्या कारण है और कौन से रास्ते हैं जिनको एप्लाई किया जा सके, आखिर यह प्रोब्लम है। विरोधी पार्टियों की तरफ से अविश्वास के प्रस्ताव रखे गये, उनमें उन्होंने उन कारणों को नहीं बताया जिन कारणों का जिक्र हमने अपने प्रस्ताव में किया है और हम यह समझते हैं और इसलिये हमने उन प्रस्तावों में अपना सहयोग नहीं दिया क्योंकि हम समझते हैं कि आज इस सरकार से असंतोष है, सरकार में अविश्वास है, यह सही

श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात है। अविश्वास बढ़ता जा रहा है, यह भी सही है। आज सरकार की नीतियां जनता के विरोध में जा रही हैं, यह सही बात है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। यदि असंतोष खत्म करना है, नीतियां दुरुस्त करनी हैं, जनता को राहत देनी है तो यह भी बताना पड़ेगा कि असन्तोष का क्या कारण है, नीतियों का क्या कारण है ? किस दिशा में ले जाना पड़ेगा जिससे राजस्थान की जनता का विकास हो सके, उसको राहत मिल सके, नये राजस्थान का निर्माण कर सकें, वह सही दिशा में हो सके और उससे राजस्थान की जनता एक नया रास्ता चुन सके।

उपाध्यक्ष महोदय, किन्हीं कारणों से हमारे इस तरफ से जो प्रस्ताव रखे हैं विभिन्न दलों के लोगों ने किन्हीं कारणों से इन बातों को नहीं कहा उन कारणों पर मैं पीछे जाऊंगा लेकिन हम क्या कारण समझते हैं उनका मैं आपके सामने संक्षेप में जिक्र करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कारण जो आज आर्थिक कारण महसूस करते हैं, चाहे केन्द्र का लोन है, चाहे उस लोन पर इन्टरेस्ट है, चाहे भारी टैक्सेशन वहन करना पड़ रहा है उसका कारण यह है कि सरकार ने अपने हाथ में सत्ता संभालने के बाद बजाय हिन्दुस्तान में जो रिवोल्यूशन और क्रांति आई उससे राजस्थान में सामन्त विरोधी क्रान्ति को पूरा करते, इस सरकार ने सामन्त विरोधी क्रान्ति को पूरा करने के बजाय सामन्तों से समझौता और गठबंधन की नीति अपनाई और इस वजह से करोड़ों के बोझ के नीचे राजस्थान की जनता को दबा दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सदन को जब सन् ५१ में राजस्थान में जागीरी सिस्टम खत्म करने की बातचीत चल रही थी, जिस समय वैंकटाचार कमेटी नियुक्त हुई थी भारत सरकार की ओर से इस बात की जांच करने के लिये कि आखिर जागीरदारों का किस प्रकार का आधार हैं, किस प्रकार की मिल्कियत है जिसको कॉस्टीट्यूशन के तहत मुआवजा देना पड़ेगा या इस प्रकार की चीज है कि नौकरी-चाकरी की वजह से राजाओं की तरफ से (जागीरें) दी गई थीं, इस पर वैंकटाचार कमेटी ने अपनी अनइक्वीवोकल रिपोर्ट दी। जहां तक जागीर का प्रश्न है वह जागीरदार की मिल्कियत नहीं है, राजाओं की तरफ से सर्विसेज़ के लिए दी गई थीं इसलिये गवर्नमेंट लीगली उनको मुआवजा देने की जिम्मेदार नहीं है। यदि राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार के दिमाग में जनता का भला होता, इस जनता का भविष्य दिमाग में होता, राजस्थान का विकास दिमाग में होता,पिछड़ेपन को दूर करने की बात दिमाग में होती तो उसके सामने कोई लीगल डिफिकल्टी नहीं थी। राजस्थान का किसान संगठित था सामन्तवाद को समाप्त करने के लिये, तो सीधा रास्ता था, वगैर मुआवजे के जागीर सिस्टम खत्म करना चाहिये था। लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद भी, एक आई. सी. एस. ऑफीसर की रिपोर्ट के बावजूद भी जिसका समझौता रहा राजाओं से, जागीरदारों से लेकिन एक नई तब्दीली के ख्यालात की भावना रखते हुए, जिससे उम्मीद नहीं कर सकते थे उसने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट की रिकमन्डेशन को नहीं मानकर राजस्थान की २ करोड़ जनता को ५० करोड़

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के बोझ के नीचे दबा दिया। आज हम अपने सिर को पकड़ रहे हैं; ३ करोड़, ३। करोड़ रुपये बजट में जागीरदारी मुआवजे के लिए हर साल रखते हैं। वह बोझ राजस्थान की जनता पर असह्य हो रहा है। राजस्थला सरकार ने अपनी नीति से इतना बड़ा बोझ जनता पर लादा है।

इसी तरह चाहे दोहराने की बात हो, मैं कहूंगा कि जो राजा थे उनको प्रीवीपर्स देना, प्रोपर्टी देना, स्टेट की प्रोपर्टी देना, बिजली और पानी की सहूलियतें देना, तमाम सामन्त वर्ग को रियायतें देना, इस सरकार ने सामन्त वर्ग को रियायत देने की नीति अपनाई, इस कारण राजस्थान पर बहुत भारी आर्थिक बोझ पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, शायद यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज जिस सदन में बैठकर हम बहस कर रहे हैं, यह सदन भी राजस्थान स्टेट का नहीं है, यह भी जयपुर के भूतपूर्व महाराजा का है। जब इससे पहले भी इस सदन में कौंसिल की मीटिंग होती थी, राजा का प्राइवेट अपार्टमेन्ट होता, प्राइवेट प्रोपर्टी हो, ऐसा नहीं है। जगह-जगह राज्य की अदालतें हैं, जलेब चौक है, यह भी महाराजा का है, सरकार किराया देती है, लाखों रुपये देकर जगह-जगह इमारतें खरीदी जा रही हैं। यदि खरीदने की बात है, राजाओं के पास फालतू है तो क्यों उनको इतनी प्राइवेट प्रोपर्टी दी गई। कहीं उदयपुर में पैलेस ६ ६ लाख रु० में खरीदा जा रहा है, कहीं जोधपुर में खरीदा जा रहा है। इसी तरह से लाखों रुपयों की प्रोपर्टी दोस्ती निभाने के लिये श्री वी. पी. मेनन ने सेक्रेटरी आॉफ स्टेट्स बन कर राजाओं को प्राइवेट प्रोपर्टी में दे दी थी; इस तरह से स्टेट मनी को खर्च किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की रियायतें न केवल सामन्तों को दी गई, न केवल जागीरदारों और राजाओं को दी गई बल्कि सरकार ने अपनी नीतियों से विशिष्ट वर्ग को, बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े पूजीपतियों को भी रियायतें दी और उनको रियायतें देने की नीतियां अपनाई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है; लेकिन दो–तीन बातों की ओर इशारा करना चाहूंगा। एक माननीय सदस्य ने जयपुर उद्योग का जिक्र किया। जयपुर उद्योग में डेढ़ करोड़ रुपये डिबैन्चर्स या लोन के रूप में लगाये हुए हैं, यह बात सही है। यह बात सही है कि बहुत से रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट इस एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले किया हुआ है लेकिन यह बात तो है कि यदि इस एडमिनिस्ट्रेशन को महसूस होता कि ये प्राइवेट इन्डस्ट्रीज सही तौर से धन का उपयोग नहीं कर रही है, जो पैसा लगा हुआ है उसको कई तरह से ४२० करके जनता के पैसे का अपव्यय करते हैं, विविन बोस कमीशन कहता है कि ये लोक इस तरह से पैसे का अपव्यय और गड़बड़ियें करते हैं तो सरकार का फर्ज हो जाता है कि इसको रोकने का प्रयत्न किया जाय। मुझे खेद है कि जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इन बातों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन उसका जो लोजीकल कन्वलूज़न है, जिस तक पहुंचना चाहिए उस तक नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पहुंचे । वे यह कह कर चुप हो गये कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए । अरे, इन्क्वायरी कराने की हमें क्या जरूरत है, विविन बोस कमीशन ने इन्क्वायरी करके इनकी पोल खोल दी है; अब एक्शन लेने का सवाल है । अब जरूरत यह है कि इस इन्क्वायरी के बिना पर इनको नेशनलाइज़ किया जाय, यह सीधा-सादा रास्ता है । पर शायद उनकी पार्टी की नीति उससे उलझती है इसलिए उन्होंने यह बात कहने की कोशिश नहीं की है । यह साफ बात है कि जिस उद्योग में उन उद्योगपतियों के केवल तीन करोड़ रुपये हों और उसमें हमारे डेढ़ करोड़ रुपये लगे हुए हों, तो हम अगर उसका कम्पेन्सेशन भी देना चाहें तो डेढ़ करोड़ रुपये को राइट ऑफ करके कम्पेन्सेशन दे सकते हैं और जयपुर उद्योग को नेशनलाइज़ कर सकते हैं और बाकी का बोंड्स के रूप में दिया जा सकता है और इस तरह से उस उद्योग में जो बहुत प्रोफिट होता है, जिसको डिवीडेंड के रूप में नहीं दिया जाता है, जिसको अशोका एजेन्सी के रूप में अलग अलग रख लिया जाता है-उस सबको बचा कर उसे स्टेट के काम में लिया जा सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : टाइम खत्म हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : Only five minutes more. It is 40 minutes already.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am the first speaker from my party.

श्री नाथूराम मिर्धा : Time is over.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have taken half an hour only.

श्री उपाध्यक्ष : It is 40 minutes, please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह जयपुर उद्योग हो, चाहे जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल हो- इन सबको इस तरह की हालत है । ये बिज़नेस मैन, यह सरकार सोच ले, क्योंकि चंदे के रूप में काफी रकम कांग्रेस को देते हैं, कभी २ लाख ३६ हजार और कभी ५० हजार, इसलिए इस तरह अड़ंगेबाजी करके इन बिजनेसमैन को शैल्टर देने की कोशिश की जाती है और नये नये कन्सेशन देने की कोशिश की जाती है । मैं समझता हूं, उसके बजाय यह उचित है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाय, जनता का दृष्टिकोण अपनाया जाय और इन्हें नेशनलाइज़ करके राजस्थान के लिए नये आर्थिक साधन उपलब्ध किये जायं ।

इसी तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार राजकीय क्षेत्र में नये उद्योग खोल कर या ट्रान्सपोर्ट को पहले नेशनलाइज़ करके ज्यादा साधन उपलब्ध कर सकती थी । बड़ी एक दर्दनाक स्टोरी है राजस्थान की । कहने को माननीय सदस्यों ने बड़े जोर से कहा कि हम यह चाहते हैं । ये माननीय सदस्य नेशनलाइजेशन के खिलाफ हैं और ये माननीय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सदस्य नेशनलाइजेशन के हक में हैं। इन्हीं के द्वारा कहे गये शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भाषा तब्दीली हुई लगती है, मुझे अमल में य ह दिखाई देता है कि ये साफ तौर पर नेशनलाइजेशन के खिलाफ हैं और अमल में इस तरह का मेन्योवरिंग करते हैं कि नेशनलाइजेशन नहीं हो सके। क्या इस बात से इन्कार कर सकते हैं ? वह मार्च १९३१ का समय था, जब ये बहुत से ट्रान्सपोर्ट के बहुत से रूट्स को नेशनलाइज़ कर सकते थे। लेकिन वह नहीं किया और परमिट दिये और इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रियेट कर दीं जिनकी वजह से नेशनलाइजेशन नहीं हुआ और बाद में जब नेशनलाइज़ेशन हुआ है तो सबके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के बावजूद, बदइन्तजामी के बावजूद १ करोड़ २५ लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको २७ लाख का डिवीडेंड प्राप्त हुआ है। यह आई ओपनर है, जो नेशनलाइज़ेशन का विरोध करते हैं उन लोगों के लिए, जो नेशनलाइज़ेशन का सेबोटेज करते हैं उन लोगों के लिए, यह आई ओपनर है कि चोट लगने के बाद अगर एक सही दिशा में चलेंगे तो राज्य सरकार को आर्थिक साधन मिल सकते हैं।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय क्षेत्र के लिए, कुछ माननीय सदस्य इस सदन के नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमने इस बात को कहा है और हमारी शिकायत है इस सरकार से, हमारा यह एक अविश्वास का कारण है इस सरकार में कि आप लोग टैक्स लगाते हैं लेकिन आज आपके पास जो सम्पदा है, उसका उपयोग करके आप इन्डस्ट्री नहीं बढ़ाते। आपने पलाना लिग्नाइट में ओपन कास्ट सिस्टम को लागू करने का काम कितने दिनों से अपने हाथ में ले रखा है, उसका क्या हुआ ? डूंगरपुर में फ्लोराइड के इतने डिपोज़िट्स हैं उसका क्या प्रबन्ध आपने किया ? इस तरह की मैं कितनी ही मिसालें दे सकता हूं, कितनी ही माइन्स हैं जहां पर कि आपने बैरन्स क्रियेट किये हुए हैं चाहे जोधपुर के हों, चाहे नीम के थाना के हों, कोटा स्टोन का हो, आपने बेरन्स इकट्ठे कर रखे हैं। आपने उनको माइन्स दे दीं, चाहे राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था भाड़ में जाय, चाहे चूल्हे में जाय, आपने पचास मील का ठेका देकर, तीस मील का ठेका देकर, दस मील का ठेका देकर इस तरह की मोनोपोली क्रियेट कर दी है कि आप राजस्थान के रिसोर्सेज़ को खराब कर रहे हैं, उनको डिस्सीपेट कर रहे हैं। इसी वजह से राजस्थान में इन बिज़नेसमैनों को, आपने इन फ्यूडल इन्ट्रेस्ट के लोगों को राजस्थान में रियायतें दी हैं, उनको सहूलियतें दी हैं। यही कारण है राजस्थान सरकार के इस भारी आर्थिक संकट का। इस बुनियाद पर, उपाध्यक्ष महोदय, हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि यह सरकार इस तरीके से जो साधन उपलब्ध कर सकती थी, उन साधनों को उपलब्ध न करके इस तरह के तबकों को रियायत दे रही है। दूसरी तरफ क्या कर रही है ? दूसरी तरफ यह कर रही है कि आम गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं उनको कुचलने की कोशिश कर, उनको जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को अपने अधिकार के लिए छोड़ने की कोशिश कर रहो है ...

(विद्युत् प्रकाश अदृश्य)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : झूठ बोल रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करें तो उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है।

सीलिंग की बात कही गई। इधर के माननीय सदस्य सीलिंग को पसन्द नहीं करते हैं। उन्होंने विरोध किया। इधर के माननीय सदस्य सीलिंग के मामले में चुप रहना पसन्द करते हैं इसलिए उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया और इधर से माननीय सदस्यों ने कहा कि हम सीलिंग पसन्द करते हैं। पसन्द करने से क्या फायदा ? क्या पसन्दगी को किसान चाटेंगे ? आपने चार साल से कानून बना कर रखा है। क्या हुआ सीलिंग का ? आप गंगानगर के लोगों से लाखों रुपये में सौदा करना चाहते हैं। उनको मुकदमे करने की रियायत देने की बात करते हैं। आप इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि वे सीलिंग की जमीन को खुदकाश्त दर्ज करा दें, उसका पार्टीशन कर दें, उसको बेच दें और फिर उन पर आप कानूनी मोहर लगा दें।

(व्यवधान)

आप उनको रियायत देते रहे हैं, चार साल से रियायत देते रहे हैं। आज कॉम्युनिस्ट पार्टी के सारे सदस्य, चाहे उनके पास अठारह मुरब्बे हों, चाहे कितने ही मुरब्बे हों, वे बगैर मुआवजे के वह लैंड सीलिंग में देने के हक में हैं। आप सीलिंग लाइये, फिर चाहे मुरब्बे श्योपतसिंह के पास हों, चाहे हांडा के पास हों, चाहे रामानन्द के पास हों–वे मुरब्बे देने के लिए तैयार हैं कॉम्युनिस्ट सदस्य। माननीय सदस्यों को इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग की बात करके चाहे वे विरोध करें, लेकिन आप सीलिंग लागू नहीं करते हैं, यही वजह है कि राजस्थान में इतने भूमिहीन लोग हैं, यही वजह है कि राजस्थान के एक करोड़ लोगों के पास साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा जमीन है। आज इस तरीके....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : 'एक करोड़ लोग' का मतलब पांच करोड़ पॉपूलेशन होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक करोड़ लोग मीन्स २० लाख फेमीलीज़।

श्री मोतीलाल चौधरी : गंगानगर में दस लाख हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २० लाख फेमीलीज़। जितने लोग हैं राजस्थान में वे २० लाख परिवार हैं जिनके पास एवरेज कुल मिला कर साढ़े तीन एकड़ जमीन है........

श्री मोतीलाल चौधरी : आंकड़े गलत हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये आंकड़े सही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं यह कहना चाहता हूँ कि सीलिंग लागू होने का निश्चय हुआ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

था तो लोगों को जमीन मिलने लगेगी इस आशा से उनका असन्तोष दूर हुआ था। लेकिन सीलिंग लागू न करने के कारण देहातों में किसानों की, भूमिहीन लोगों की इस तरीके से दुर्दशा हो रही है, इस तरीके की हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज की सरकार इस तरीके से जिन नीतियों को अपना रही है, वे बड़े-बड़े लोगों को रियायत देने की हैं और जो गरीब तबका है उसको दबाने की है।

आज इस सरकार को मैं लेबर की बात कहूं; इस सरकार को फुर्सत नहीं मिलती कि इनका जो मंहगाई भत्ता है वह आज की मंहगाई के अनुपात से ठीक कर दिया जाय। इनके पे स्केल्स को ठीक कर दिया जाय, इनका रिट्रेन्चमेंट रोका जाय, इनके झगड़ों को दूर किया जाय, इनके लिए इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया जाय, लेकिन फुर्सत मिलती है तो इस बात के लिए कि किस तरीके से एमर्जेन्सी का फायदा उठा सकते हैं, किस तरह त्रिदलीय सम्मेलन के फैसलों को तोड़कर माइनोरिटी यूनियन को मेजोरिटी पर थोप दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि इस एमर्जेन्सी का फायदा उठा कर यह सरकार उन मजदूरों, उन तबकों, जिन्होंने इस सरकार को सबसे बड़ा योगदान दिया है डिफेन्स के लिए, जो सबसे बड़ा पहरेदार है मुल्क की आजादी का, की भावनाओं की चिन्ता न करके अपनी यूनियन को उनके सिर पर थोपने की कोशिश करती है। यह किसी भी सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। यह सबसे बड़ा कारण हो रहा है, मजदूरों के अन्दर सबसे बड़ा असन्तोष होने का चाहे वे पावर हाउस में हों, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. में हों, चाहे प्रेस में हों या चाहे और कहीं हों, सब जगह असन्तोष है। यह खुली बात है कि राजस्थान के पी. डब्ल्यू. मिनिस्टर हैं, जिनके पास विभिन्न महकमे हैं, वे उन महकमों के जरिये बेशर्मी के साथ इन तमाम यूनियन को इन्टक यूनियन बनाते हैं और उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर आज उनको शौक ही आया है तो बड़ी खुशी है। अपनी सामन्तवादी पुरानी प्रवृत्ति को छोड़ कर लेबर के अन्दर काम करने आये हैं तो बड़ी खुशी की बात है। वे आयें। लेकिन मैदान के अन्दर आकर लेबर लीडरशिप करें और लेबर के अन्दर जाकर काम करें। इस कुर्सी को छोड़ कर एक यूनियन ऑर्गेनाइज़ करें। लेकिन वे गरीब लोगों को, बेकुसूर लोगों को इधर से उधर फैंक सकते हैं, इधर से उधर उनका ट्रान्सफर कर रहे हैं, तमाम रूल्स को तोड़ कर, तमाम स्टैंडिंग ऑर्डर्स को तोड़कर वे इस तरह की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि हम जनतंत्र के पांव मजबूत करना चाहते हैं; फिर भी आप कहते हैं कि हम मजदूरों की सेवा करते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हम अन्डर डोग के हिमायती हैं। मैं यह कहूंगा कि यह कदम किस हद तक मेल खाता है! आप अपने दिल से पूछ सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि हमने जो इस तरीके से प्रस्ताव रखा है क्योंकि हमने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा था वह सदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में अनुमति प्राप्त नहीं कर सका और हम दूसरे सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा उनके साथ खड़े नहीं हुए उसका क्या कारण था, मैं समझता हूँ कि मैंने यह साफ तौर से बता दिया। माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें इस सरकार में अविश्वास है लेकिन वे इस बात को कहने में गुरेज करते हैं कि वह कौनसी बात है जिससे वे इस सरकार में अपना अविश्वास प्रकट करते हैं। वे इस बात को नहीं बताते कि कौनसी नीति है जो उनको पसंद नहीं है। यह बात वे नहीं बताकर समझता मैं हूँ कि वे लोग जनता की आंखों में धूल झौंकना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं और राजस्थान की जनता को सही रास्ते में चलने के लिये जो सही नेतृत्व देने से कतराना होगा। आज कुछ माननीय सदस्यों का इस सरकार से इस बात पर अविश्वास हो सकता है कि वे राजाओं की जमीनों को क्यों ले रहे हैं, कुछ लोगों को इस बात पर अविश्वास है कि सरकार सीलिंग क्यों लागू कर रही है? कुछ लोगों को इस बात से ग्रुरेज हो सकती है कि आज मोटर बसेज़ का राष्ट्रीयकरण क्यों हो रहा है, मगर मुझे और हमारी पार्टी को अविश्वासयों है कि यह सरकार आज तक सामन्ती तत्वों को क्यों राहत देती है और उनके साथ समझौते की बात क्यों करती है? हमारी सरकार ने उनके साथ समझौता करके राजस्थान को इतना अधिक आर्थिक बोझ के नीचे क्यों दबाया और आज भी दबा रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिये हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसलिये सरकार की इन नीतियों में परिवर्तन किया जावे। कुछ लोगों को इस बात को शिकायत हो सकती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खड़ी करके ठेके दिये जाते हैं तो कुछ लोगों को इस बात की शिकायत हो सकती है कि हमारी सरकार ने माइन्स में मोनोपोली कायम क्यों की? मैं यह कहूंगा कि आज १५ वर्षों तक आप समाजवादी समाज की घोषणा करने के बाद एन-केन-प्रकारेण इस तरह के शोषण को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान की जनता को यह बताने की जरूरत है कि इस सरकार में जब हमें अविश्वास है तो इस सरकार की नीतियां किस दिशा में जा रही हैं और हमारी कौनसी नीतियां हैं जो नाराजगी का कारण है। हमने हमारी नाराजगी का उल्लेख किया है और अपनी नीतियों को आपके सामने रखा है। हमने जो नीतियें बताई हैं उनसे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि राजस्थान की जनता को अवश्य उससे राहत मिल सकती है। लेकिन जो अविश्वास का प्रस्ताव माननीय दूसरे सदस्यों ने रखा है उसमें यह कारण नहीं है। उनके कारण दूसरे हैं। उनसे हम सहयोग नहीं देंगे और आज भी हम यह नहीं चाहते कि राजस्थान की सरकार इस बात को स्वीकार करे कि सामन्तों की जागीरों को अब रखा जावे। सीलिंग को जल्दी से रखें। हम उनके प्रोपोज़ल को गलत मानते हैं। हम कहते हैं कि आपने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लिये इस प्रान्त की प्लानिंग को पूरा नहीं किया है प्रान्त के साथ सेबोटेज किया है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय,

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हम आपको सहयोग नहीं दे सकते, जो जनता के सामने क्लीयर कट रास्ता नहीं रखते। इसलिये हम इस सदन में जब वोटिंग होगा उस समय हम किसी तरफ वोट देना पसन्द नहीं करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : उपाध्यय महोदय,........

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सब को मौका बोलने का दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय जो मिलता है वह दिया जावेगा।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष, गवर्नमेंट का मत तो बाद में जाना जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : Everybody will get his own time.

श्री हीराभाई : सही तौर से तो सरकार को बाद में अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सामने पांच प्रस्ताव इस सरकार में अविश्वास प्रकट करते हुए पेश किये गये हैं। इन प्रस्तावों को क्या संज्ञा दी जावे ? अगर मैं इनके लिये यह कहूं, जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है, ये कोकटेल प्रस्ताव हैं—जिनमें आसमानी झन्डे वाले, पीले झन्डे वाले और लाल झन्डे वाले सब ने मिल कर अजीज मुर्गे की दुम बनाकर सदन के सामने पेश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर जो चर्चाएं हुई, करीब करीब दो दिन गुजरे हैं और इन दो दिनों में सदन के सामने कहा गया उसको सुनने के उपरान्त, बाद में इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह एक प्रस्ताव है जो अलग अलग लोगों का एक समझौता है। स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ, सोशियलिस्ट, इन्डिपेन्डेन्ट आदि पार्टी के लोग हैं, उन महानुभावों ने जो प्रस्ताव रखा है इन पांचों प्रस्तावों पर विचार किया जावे तो समझ में नहीं आता कि ये क्या रंग सामने लावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रस्ताव रखे गये हैं उनके सम्बन्ध में स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से बोलने वाले विरोधी दल के नेता साम्यवादी सदस्य की तकरीर और उनके भाषण को सुनना नहीं चाहते। हमारे सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते हुए भी हमने उनके भाषण को सुना है और समझा है कि वे क्या चाहते हैं और स्वतन्त्र पार्टी राजस्थान में क्या चाहती है। मैं यह कहूँगा कि यदि हम इनके आपसी बड़े २ उसूलों को देखें तो मालूम होगा कि जनसंघ और सोशयलिस्ट पार्टी के उसूल मेल नहीं खाते हैं। फिर भी यह जो गुटजोड़न हुआ है, आंचो-गांछी बांधी गई है, इससे एक अजीबोगरीब प्रस्ताव सामने आया है। विरोधी दल के नेता हममें अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हम आप में विश्वास नहीं करना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, हमने आपको कब कहा था कि तुम्हारा हममें विश्वास है। जब तुम्हारा हममें विश्वास हो जावेगा तब या तो हम बदल जावेंगे या तुम बदल जावोगे।

(विराम)

Page No 84

(श्री मथुरादास माथुर)

उपाध्यक्ष महोदय, जनता का सदियों से जिन्होंने शोषण किया है और आज कुरान की आयतें पढ़ते हैं और कहते हैं कि किसानों के नाम पर और किसानों के हित के लिये और उनको राहत देने के नाम पर आज बातें करते हैं। आखिर रात-दिन कुछ कहते हैं तो कुछ न कुछ असर होता ही है। चाहे गलत भी कहते हैं।

(शोरगुल)

देश में ८३ प्रतिशत किसान रहते हैं। आज यहां पर हमसे पूछा जाता है कि हमने मोहनलालजी सुखाड़िया के चीफ मिनिस्टर-काल में सन् १९५४ से आज तक क्या-क्या किसानों के राहत के काम किये, यह प्रश्न आप हमसे पूछते हैं। मैं कहूंगा कि अगर वे मौजूदा राजस्थान के इतिहास के पन्नों को पढ़ते और उलटते तो उनको साफ मालूम हो जाता कि हमने किसानों के हित के लिये क्या-क्या कार्य किये हैं। जिस समय चीफ मिनिस्टर, मोहनलालजी सुखाड़िया ने चीफ मिनिस्टर का पद सम्भाला था, जागीरदारी प्रथा थी, बिश्वेदारी प्रथा थी, किसानों से छठा बांटा लिया जाता था। पहले दो-तिहाई लिया जाता था। सन् ५२ में छठा बांटा कर दिया। वे ही आज किसानों से जाकर यह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ज्यादा कर लेती है। सन् १९५४ के बाद किसान चौथा, पांचवा और छठा बांटा देते थे। आप उनसे इसके अलावा बेगार आदि भी लेते थे और वे देते थे, यहां तक कि यदि किसी किसान की आमदनी एक रुपया होती थी तो उसमें से आप १० आना तक ले लेते थे और वह आमदनी जागीरदार के गढ़ में पहुंच जाती थी। आज वे दिन क्या आप भूल गये? आज देश पर संकट आया है, एक तरफ चीन ने हमला किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी मुसीबत है। आज दोनों तरफ से मुसीबत है तो आप कहते हैं कि इस संकट-काल में हमें सरकार का हाथ बंटाना चाहिये। एक तरफ तो आप सरकार के हाथ बंटाने की बात कहते हैं और उधर से टांग खींचना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, जो किसान आज औसत तौर पर ६ रु० या ६ रुपये से ज्यादा लैन्ड रेवेन्यू देता है उसके लिये कम्पलसरी डिपोज़िट स्कीम लागू की है। और ५ रु० जो किसान लेंड रेवेन्यू देता है उसको हमने छोड़ दिया है, इससे ऊपर लैंड रेवेन्यू देने वाले किसान के लिए कम्पल्सरी फिक्स डिपोज़िट का हमने रखा है, जिसको आपने गांव गांव में घूम घूम कर लाउड स्पीकर्स के जरिये स्वतन्त्र पार्टी के लोगों ने कहा है कि यह कर है। पर कम से कम आज का किसान यह समझता है कि यह कर नहीं है। आज जब कि देश पर संकट छा रहा है, चीन ने हमारे देश पर हमला किया उस वक्त देश का किसान कुछ देना चाहता है, यह उस किसान की आहुति और कुर्बानी है कि वह बचत करके देश की संकटकालीन स्थिति में देश की आजादी के लिये देता है, तो उसका स्वतन्त्र पार्टी की ओर से विरोध किया जाना है। जो किसान ५ रुपया लैंड रेवेन्यू देता है उसको देने की आवश्यकता नहीं, इससे बहुत बड़ा किसानों का तबका रह जाता है, बाकी बड़े बड़े किसान देश की संकटकालीन स्थिति में देना चाहते हैं तो जगह जगह लाउडस्पीकर लेकर इसका विरोध किया जाता है और प्रचार

(श्री मथुरादास माथुर)

किया जाता है कि किसान दब रहा है, जैसे कि तुम्हारे समय में किसान बहुत ऊपर उठा हुआ था।

माननीय उपाध्यक्ष, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वैसे सभी संकटकालीन स्थिति मानते हैं, जब पांच नेताओं की बैठक होती है तो कहते हैं कि यह करना चाहिये, वह करना चाहिये। पर जब ८०० और कुछ करोड़ रुपयों की डिफेन्स के बजट में वृद्धि हुई तो आखिर वह रुपया कहां से आये? कहने के लिये चीनी कॉम्युनिस्ट पार्टी की लोबी के हैं वे सेबोटेज करें डीफेन्स इफर्ट्स को तो समझ में आ सकता है, हमारे यहां कॉम्युनिस्ट चाइनीज़ लोबी के नहीं हैं।....

श्री रामकिशन (वैर) : यह जानकारी आपको कैसे मिली है?

श्री मथुरादास माथुर : मैं भोला आदमी हूं, गलती हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): कोई न कोई लोबी के जरूर हैं....

एक माननीय सदस्य : फोरिन लोबी के हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये। तो जो चाइनीज़ लोबी के कॉम्युनिस्ट्स हैं वे बोलें तो समझ में आ सकता है कि ८०० करोड़ रुपया संकटकालीन स्थिति में इकट्ठा क्यों किया जा रहा है, इकट्ठा नहीं करने दिया जाय। प्रोडक्शन को रोकने के लिये वे मजदूरों की हड़तालें करवा सकते हैं। यह चाइनीज़ लोबी के कॉम्युनिस्टों की बातें तो समझ में आ सकती हैं, पर यह स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से, जनसंघ की तरफ से, लाल टोपी की तरफ से ऐसी बातें कही जाती हैं तो समझ में नहीं आता। कहावत है कि :

"जद दुर्दिन हो देश रो तो आधे पेट रहो।"

जिस समय देश पर संकट आ रहा हो उस समय भूखे रह जाओ। एक तो उत्तर से चीन हमला कर रहा है, दिन–दिन उसकी फौजें बढ़ती चली जा रही हैं, दिन–दिन फौजें वहां इकट्ठी होती हैं और आप हमसे कहते हैं कि मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सरकार आगे नहीं बढ़ती है। लड़ाई के औजार पैदा करें और सामान तैयार करें, इसके लिये आखिर पैसा चाहिये और इसके लिये पैसा इकट्ठा करने की बात कहते हैं तो ५ रुपये रोज में लाउड स्पीकर लेकर, १० रुपये में तांगा लेकर और दस–बीस रुपये में सो–दोसो लीफ लैट्स छपवा कर इसका विरोध किया जाता है। यह देश–भक्ति का नमूना उन दिनों में दिखा रहे हैं जब कि देश हर संकट है! बड़ी शर्म की बात है!

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : लालबहादुर शास्त्री की बात....

(सदन के दोनों पक्ष की ओर से शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, अब स्वतन्त्र पार्टी वाले कहें हमें कि

(श्री मथुरादास माथुर)

हमें तुममें विश्वास नहीं है, तो मुबारिक है। नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेटिक सोश्यलिज्म होना चाहिये। स्वतन्त्र पार्टी की साफ नीति है समाजवाद के के विरोध में, तो समाजवाद अर्थ-शास्त्र की जितनी बातें हैं, उनके स्वतन्त्र पार्टी विरोध में है क्योंकि ये तो यह चाहते हैं कि यों ही चांदमारी चलती रहे; "जिसकी लाठी, उसकी भैंस"; जिसका जहां बस चले कब्जा कर ले। Lessez fare, सदियों से यही करते आये हैं, वही आजादी इनको मिल जाय। अब हममें उनके विश्वास का क्या मतलब ? मैं व्यक्तिगत तौर से कह देना चाहता हूं, विरोधी दल के नेता अब आये हैं, विरोधी दल के नेता हैं, उनको कह देना चाहता हूं कि उनको मैं एक शरीफ आदमी समझता हूं....

श्री मुरलीधर व्यास : यह कहने की क्या आवश्यकता हुई ?

एक माननीय सदस्य : सदन के दूसरे सदस्यों को शरीफ नहीं समझते ?

श्री मथुरादास माथुर : वह एक डेमोक्रेटिक एटीकेट है। बमुकाबले आपको शरीफ नहीं कहा है। उन्हीं को कहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, यह एक डेमोक्रेटिक एटीकेट है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अगल बगल में बैठे हैं, वे क्या हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : कुछ मजाक को भी समझने का प्रयास करो, भाई। वे बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, शान्ति से भाषण सुनते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। पर जहां उन्होंने अपना दड़बा स्वतन्त्र पार्टी में बना लिया है, उससे मेरा विरोध है। वे भी ईमानदार और मैं भी ईमानदार, उनको इस समय दर्द नहीं होना चाहिये, यह उनका दोष नहीं, स्वतन्त्र पार्टी प्रिन्सेज़ बाएरड पार्टी है; बल्कि राजस्थान में तो प्रिन्सेज़ कन्ट्रोल्ड पार्टी है....

एक माननीय सदस्य : और उधर ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कांग्रेस में प्रिन्सेज भी हैं, केपिटैलिस्ट्स भी हैं। अगर प्रिन्सेज और केपिटलिट्स कांग्रेस में हों तो प्रगतिशील हैं और स्वतन्त्र पार्टी में हों तो प्रतिक्रियावादी हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इतनी ही तरमीम कर देना चाहता हूं; हमारी कांग्रेस पार्टी में प्रिन्सेज़ हैं, केपिटलिस्ट्स हैं, मगर नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू देते हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हमारी पार्टी को नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी देते हैं जो कि नेहरूजी से सीनियर हैं और महात्मा गांधी के दाहिने हाथ थे।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे केवल चेअर को ही एड्रेस करें, पोइन्ट ऑफ आर्डर, पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन या पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन उठा कर।

श्री मथुरादास माथुर : कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पूंजीपति नहीं करते। पूंजीपति

(श्री मथुरादास माथुर)

चन्दा दें तो दें और नहीं दें तो न दें, पर यहां रूस से चन्दा नहीं आता, राजा–महाराजा हमसे प्रीवी पर्स लेकर इस पार्टी को चन्दा दे देते हैं, तो यह प्रथा हमारे यहां नहीं। हमारे यहां तो सोच कर ही आयेंगे कि कुर्बानी करनी पड़ेगी। झालावाड़ नरेश आये तो सबसे पहले प्रिवीपर्स में कटौती की। हमारे यहां तो, किसी को मुफलिसी का सामना करना हो तो आवे।

मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि यह तो मूल सिद्धान्त की बात नहीं, सिद्धान्त की बात तो यह है कि कांग्रेस समाजवाद चाहती है, प्रजातान्त्रिक तरीकों से काम करना चाहती है; चाहे राशनिंग हो, चाहे कन्ट्रोल हो, चाहे प्लानिंग हो, सब बातों को प्रजातान्त्रिक तरीकों से, देश की जरूरतों के हिसाब से करती है।

कहीं कोऑपरेटिव सोसायटी में ५ रुपयों का हिसाब नहीं है तो आवाज उठाते हैं यहां से, क्योंकि वे चाहते हैं कि कोऑपरेटिव नीचे के तबकों को ऊपर उठाती है, शोषण को मिटाती है, गरीबी को मिटाती है, वह यहां नहीं होनी चाहिये। इन्फेन्ट हालत में अच्छे से अच्छा सिस्टम हो, अच्छे से अच्छा संगठन हो, अच्छी से अच्छी बात हो, अच्छे से अच्छा संगठन भी पूरी ताकत नहीं रख सकता, उस वक्त इन्फेन्ट कोऑपरेटिव में, इन्फेन्ट प्रजातन्त्र में कोई गलती हो तो उसमें सुधारने की कोशिश होनी चाहिये, न कि उसका गला ही घोंट देने की कोशिश और गांवों में समाजवाद की भावना डालना चाहते है, वह भावना खत्म नहीं की जानी चाहिये। इस प्रकार इसको खत्म करने की कोशिश उधर से नजर आती है तो दुःख होता है।

प्लानिंग ओन प्रिंसिपल के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्य तो ऐसे हैं जो इसे बिल्कुल ही नहीं चाहते, दूसरे इस तरह के हैं जो सदन में तो चाहते हैं पर बाहर कहते हैं कि मौजूदा प्लानिंग गलत है, तीसरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्लान तो ठीक है पर एग्ज़ीक्यूशन में कमी रह गई है। मैं यह नहीं कहता कि हमारा पहला और दूसरा प्लान देश में चला और तीसरा प्लान देश में चल रहा है, बिल्कुल पर्फेक्ट है। चाहे हम किसी तरीके से करें, हमारे यहां के साधन जुटा कर करें, बाहर से साधन ले सकते हैं; पर इससे हम इस प्रकार काम करें कि हर साल आगे ही बढ़ें।

हम इकोनोमीकली टेक ओफ करने की स्थिति में बढ़ते रहे। बीच में संकटकाल की स्थिति आ जाती है। कभी चीन के हमले के कारण आ जाय, अकाल की वजह से आ जाय, भूचाल की वजह से आ जाय या बाढ़ की वजह से आ जाती है। प्लान में कमी आ जाती है। प्लानर देखता है, सोचता है लेकिन यह एक्ट ऑफ गोड (act of God) है वह उसकी समझ में नहीं आता है। एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कल उन्होंने पन्द्रह सोलह प्रोजेक्ट के नाम पढ़ दिये, उनसे उत्पादन नहीं हुआ, उनसे कोई रिटर्न नहीं मिला। मैं यह समझता हूँ कि हमको नये तरीके से सोचना होगा, इन्कलाबी तरीके से सोचना होगा।

मान लीजिये कि एक बांध बना देते हैं, उससे एक लाख बीघा जमीन आबपाशी होती है। ऐसी जगह में किसान ने कभी आबपाशी

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं की है। किसान बड़ा कन्ज़र्वेटिव होता है। लैट गंगासिंहजी ने गंगनहर निकाली थी। नहर में जब पानी आया तो पंजाब से बुला कर लोगों को वहां डालना पड़ा क्योंकि राजस्थान का, थली का किसान जो था न तो नहर के पानी की युटिलिटी को ही समझता था और न ही उसकी आबपाशी करता था। चम्बल का पानी है। पानी की कमी हुई या उसके उपयोग की बात हुई। तो लोगों में जो एक भावना होती है, मैं यह कहूँगा कि मेन्टल रिवोल्यूशन लाना बड़ा मुश्किल होता है बजाय पोलिटिकल रिवोल्युशन के। इर्रिगेशन ड्यूज़ से इसका कितना रुपया वापिस मिला, इसको इस दृष्टिकोण से केल्कुलेट कर लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, इर्रिगेशन प्रोजेक्ट हो या और कोई प्रोजेक्ट हो, उसको तीन तरह से देख सकते हैं। डाइरेक्ट रिटर्न और इन्डाइरेक्ट रिटर्न और उसके जरिये अन्य फायदे। नहर से जो पानी जाता है उससे ड्यूज़ आती हैं। एक तो यह नहर के कारण अथवा बांध के कारण वह आस पास के कुओं में वाटर लेवल को बढ़ा देता है, उससे किसान को कितना फायदा होता है। दूसरा यह। और तीसरा प्रोजेक्ट के जरिये से लोगों की माली हालत अच्छी होती है और जब उनकी माली हालत अच्छी होती है तो वे अच्छा खाते हैं, सेल्स टैक्स आदि टैक्स देते हैं और इन्डाइरेक्टली सरकार के पास कितना पैसा चला आता है और रिसोर्सेज़ इससे बढ़ते हैं। कहीं अकाल पड़ गया हो तो वहां के मवेशियों को इससे पानी पिला सकते हैं, उनको जिन्दा रख सकते हैं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : On a point information, Sir. एस्टीमेट होते हैं और रिटर्न केल्कुलेट करते हैं तो इनमें ये सारी बातें इन्क्ल्यूड होती हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : स्टीरियोटाइप, पुराना केल्कुलेशन का तरीका चला आता है कि इतने रुपये लगे तो इतना रिटर्न आये। हल्ला कर देते हैं कि इसको बन्द कर दो और यह कहते हैं कि यह ठीक नहीं हुआ। प्रोजेक्ट का रिटर्न कई फोर्म में मिलता है और मिलना चाहिये। यह बात मैंने इसलिए कही माननीय उपाध्यक्षजी, १६ नाम तो कल जयपुर से आये माननीय सदस्य ने कहे, इस पर गम्भीरता से आप हम सब विचार कर लें। प्रोजेक्ट की सोशियल वेल्यूज़, डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट कितनी ही वेल्यूज़ होती हैं उन सब का हिसाब लगा लें। राजस्थान में पिछले वर्षों में काफी रिसोर्सेज़ के साधन उपलब्ध हुए हैं। राजस्थान सरकार ने क्या किया ? टेन इयर प्लान पूरे किये, डेवलपमेंट हुआ। हम मानते हैं, शिक्षा में भी तरक्की हुई यहां रोशनी भी बढ़ी, रिसोर्सेज़ भी बढ़े, बिजली भी बढ़ी। ये सब बातें वे भी कहते हैं लेकिन कहते हैं जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ? यह अभी जवाब नहीं देता। वे चाहते हैं, राजस्थान के गांव गांव में बिजली पहुंचे। कौन नहीं चाहता है ? हम भी चाहते हैं कि गांव गांव में बिजली पहुंचे। मुझे इस बात की खुशी है कि विरोधी दल के नेता यह मानने लगे हैं कि नेशनलाइज़ेशन होना चाहिये, लेकिन सुचारु रूप से होना चाहिये। वे मानते हैं लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानती।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

महोदय, हमारी पार्टी भी मानती है। नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर इन्डस्ट्रीज हो। लेकिन स्ट्रेटिजेज़ नहीं मानती।

श्री मथुरादास माथुर : यह शब्द सामने नहीं आया। कैमरा में रखा हो तो बाहर निकाल दीजिये।

नेशनलाइजेशन हम भी चाहते हैं। बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ नेशनेलाइज्ड हैं। पॉवर इन्डस्ट्रीज़ ६० प्रतिशत नेशनेलाइज्ड हैं। नेशनेलाइजेशन को बढ़ाने के लिए केपिटल की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ करें। आप खुद कहते हैं कि रिटर्न अधिक मिलता है। हम चाहते हैं कि जितनी सड़कें नेशनलाइज कर दें उतना ही रिटर्न मिलेगा और बजट को बैलेन्स करने में हमारे साधन रहेंगे। लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए कहां से लायें। कोई बड़ा मुल्क देता है तो यह हो सकता है। रूस दे सकता था, लेकिन उसने चीन को भी देना बन्द कर दिया है। सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य एक तरह से प्लेटफॉर्म स्पीच देते हैं या गेलेरीज़ को प्ले करने के लिए भाषण देते हैं। यहां सदन में बैठने वाले आप माननीय सदस्य भी तो राजस्थान को बिगाड़ने और उसको बनाने में उत्तरदायित्व रखते हैं, आपकी भी जवाबदारी है। विरोधी दल के नेता और सदन के नेता दोनों का उतना ही आसान ऊंचा उठे जब कि वैसा क्रिटिसिज्म हो, वैसे ही रिसोर्सेज पैदा करने के साधन उपलब्ध करें। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रस्ताव रिसोर्सेज़ बढ़ाने के लिए दिये। एक प्रस्ताव उनके खिलाफ पड़ता है। आप यह कहते हैं कि राजाओं की प्रिवीपर्सेज़ बन्द कर देनी चाहिये। ठीक है। लेकिन उधर वाले इसको कोई मंजूर नहीं करेगा कि प्रिवीपर्स को बन्द कर देना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप साइडट्रेक क्यों करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, उधर वाले तो इन्टरेस्टेड हैं इसलिए प्रिवीपर्स चाहते होंगे, और इधर वालों ने वोटों के डर से कह दिया होगा, हमें कहते हैं कि वादा किया है भूलना मत। वह तो खुद समझते हैं। साथ साथ यह भी समझते हैं कि वादा किया है, याद दिला रहे हैं क्योंकि वोट लेने हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां तक कांग्रेस का दृष्टिकोण है, हम साफ कह देना चाहते हैं कि प्रिन्सेज़ को जो फैसीलिटीज और जो उनको प्रिवीपर्सेज़ दे दिये हैं, धारणा हो सकती है कि ज्यादा दे दिया हो कांग्रेस सरकार ने, जो उनके साथ कोवेनेन्ट के जरिये से एग्रीमेंट किये हैं उनको तोड़ना नहीं चाहते। वह एग्रीमेंट हमको नहीं तोड़ना है। कॉम्युनिस्ट पार्टी की तरह रोज एग्रीमेंट टूटते हों, ऐसा कांग्रेस के साथ नहीं होने वाला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जनता चाहती है।

श्री मथुरादास माथुर : जनता का आपका ठेका नहीं है । हम तोड़ना नहीं चाहते । इन्डिपेन्डेन्स मूवमेंट की एक हिस्ट्री है; चाहे जागीरदारों से या राजाओं से राज्य लिये हों, ब्रिटिश हुकूमत के हटने के बाद में जो कुछ स्टेप लिये, हमारा एप्रोच कॉम्युनिस्ट पार्टी को पसन्द नहीं आ सकता, रामानन्दजी उस वक्त शामिल थे, अब यह बात नहीं पटी तो उधर चले गये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एप्रोच पसन्द नहीं आया ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो स्वतन्त्र पार्टी से कहता हूँ और प्रिन्सेज़ से अपील करता हूँ और यह कहता हूँ कि आपने अपनी रियासतें देकर पेट्रियोटिज्म का नमूना बताया, जिसकी विरोधी दल भी तारीफ करता है । आपने इतना बड़ा पेट्रियोटिक एक्ट कर डाला, इन सरेन्डरिंग दी स्टेट्स, यह छोटा पेट्रियोटिक एक्ट करने से आपको कौन रोकता है ?

(७ म. प.)

मगर यह होता नहीं । वैसी सूरत में जहां तक कांग्रेसी सरकार का संबन्ध है कोई अपने आप सरेन्डर करता है तो हम लेने के लिये तैयार हैं । हमने भी अपील की है और हमारे प्रधान मंत्रीजी ने भी इस बारे में अपील निकाली है, अगर वे उस अपील के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी उनका स्वागत करेंगे । जब किसी गवर्नमेन्ट ने किसी के साथ एग्रीमेन्ट कर लिया है तो गवर्नमेन्ट का यह फर्ज है कि उस एग्रीमेन्ट को निभावे । निभाना पड़ता है और निभावेंगे । हो सकता है, आगे जाकर इस प्रकार के कॉन्सीक्वेन्सेज़ प्रिवेल करें जिसमें उनको मजबूर होकर ये सुविधायें छोड़नी पड़ें । आज इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अन्दर जहां हम इनके रिहेबीलिटेशन की जिम्मेवारी लेते हैं दूसरी तरफ हमने देखा है कि करोड़ों आदमी इधर से उधर आये, आखिर उन आदमियों को रिहेबीलिटेट किसने किया ? आखिर उनको अपने पैरों पर खड़े होकर रिहेबीलिटेट होना पड़ा । उस वक्त की हालात को देखते हुए हमने कुछ वादे और एग्रीमेन्ट किये हैं उससे हम पीछे हटना नहीं चाहते ।

अभी मैं यह निवेदन कर रहा था प्लानिंग के खिलाफ स्वतंत्र पार्टी है और इसके साथ साथ मौजूदा जो टैक्सशन किया उसके भी खिलाफ है । अगर टैक्सेज़ नहीं लगाये जायं तो डेफीसिट फाइनेन्सिंग होगा । चीन से तो आखिर लड़ना ही पड़ेगा, इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता और चीन से लड़ने के लिये धनराशि की जरूरत होगी, वह धनराशि या तो टैक्सेशन के जरिये आ सकती है या हमारे रिसोर्सेज़ एक्सप्लोइट करें । कुछ हम कम्पलसरी सेविंग के जरिये ले रहे हैं । यह सब इसलिये कि हमें इस समय चीन से लड़ने के लिये धन की आवश्यकता है । यह सब रुपया हम वापिस चुका देंगे । स्वतंत्र पार्टी चाहती है कि टैक्स भी न लगाये जायं, वे इस तरह का प्रचार करके एक प्रकार से चीप पोपुलेरिटी गेन करना चाहते हैं, यह उनका फ्युडल सिस्टम का वे ऑफ थिंकिंग है । एक कहावत चली आ रही है पुराने जमाने से कि 'रावला रो तेल पल्ले में लीजै'', यानि मुफ्त में जो भी मिल जाय चाहे उससे कोट चींगटा भी हो जाय लेकिन वह राज्य से यदि मिलता है, मुफ्त में मिलता है तो उसको ले

(श्री मथुरादास माथुर)

लिया जाना चाहिये। यह प्रवृत्ति इस समय नहीं चल सकती। आज जो टैक्स लागू किये गये हैं वह एक प्रकार से टेम्पोरेरी मेजर के तौर पर लागू किये गये हैं। इस टैक्स को लेकर हमारे विरोधी पार्टी के लोग सभायें करते हैं और उनमें जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि जनता इन टैक्सों के भार से मरी जा रही है। मेरा उनसे निवेदन है कि जनता मरेगी या नहीं, कहीं एक-दो नेताओं का हार्ट फैल न हो जाय, यह मुझे डर है। अगर हम टैक्स नहीं लगाते हैं तो डेफोसिट फाइनेंसिंग होगा, नोट छापे जायेंगे और इससे प्राइस लेवल बढ़ेगा। यदि प्राइस लेवल बढ़ता है तो लोग सब्सिडाइज़ करने के लिये कहेंगे तो आखिर पैसे कहां से आयेंगे ? तो उस समय ऐसी हालत हो जायगी कि चीन का मुकाबला करना तो दूर रहा हम आपस में ही फंस जायेंगे।

मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ विरोधी दल के मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं से कि जब वे इस प्रकार की बातें कहें तो उसके लिये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बतायें। टैक्स हम लगाये ही, यह हम भी नहीं चाहते। कर-लेस (taxless) स्टेट अगर बनती है और बना सकते हैं तो आपसे ज्यादा खुशी हमको होगी ताकि ऐसे स्टेट का राज्य करने में मजा आये, ताकि सब लोग झण्डा लेकर के आयें और फूलमालायें पहनावें।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े दिन के लिये कोटा में जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी बन गई थी। जब हाउस टैक्स लगाने की बात आयी तो मैदान छोड़ कर भाग गये। हमारे साम्यवादियों ने कैरल में हुकूमत बनायी, लेकिन वह १२ महीने से अधिक नहीं चल सकी। १२ महीनों में ही दूर किनारे जा लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वहां पर आपने क्या नेशनलाइज़ किया ? टी एस्टेट को नेशनलाइज़ करने की बात आयी तो वहां चीफ मिनिस्टर बिड़लाजी से कॉम्युनिकेशन करते हैं, टी प्लॉट लेने के लिये। कौन नहीं मिलता मुख्य-मन्त्री होने के नाते ? हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते हैं। इसके अलावा साम्यवादी साथी यह भी कहते हैं कि प्रिन्सेज़ की प्रीवीपर्स को विथड्रा कर लिया जाय। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत ने कैरल में कितने प्रिन्सेज़ की प्रिवीपर्स को विथड्रा कर लिया....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : वहां तो कोई प्रिन्सेज़ थे ही नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : एक नहीं छः स्टेट्स थीं। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान कम है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We will give reply if we get time.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, मैं साम्यवादियों से कहना चाहता हूँ, आपको अभी हिन्दुस्तान की जनता नहीं चाहती। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप हमें तो यहां जरूर कहते हैं कि उन प्रिन्सेज़ के महलों के बिजली के कनेक्शन क्यों नहीं काट देते जिनमें पैसा बाकी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कैरल के अन्दर आपने कितने बंगलों के फ्यूज़ हटाये। आखिर शरीफ आदमियों

(श्री मथुरादास माथुर)

के साथ शरीफाना बर्ताव करना पड़ता है। आपने यह भी फरमाया कि नलों को आप क्यों नहीं निकाल देते जहां से पानी के पैसे नहीं आते? आपने ऐसे कितने नल हटाये जिनसे पैसा नहीं मिला ? आपने कितनी प्रिवी पर्सेज़ को बन्द करके इन्कलाब किया, यह तो पहले बतलाइये ? हमने तो जागीरें खत्म करके किसानों के होने वाले शोषण को रोका है, इसका भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है । कुछ उधर बैठने वाले माननीय सदस्य और ज्यादातर इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने सामन्तवाद से टक्कर ली है, इसका इतिहास साक्षी है। हमने सामन्तवाद को मिटाया और उसके लिये हमने कुछ कम्पेन्सेशन तय किया, पन्तजी का अवार्ड लिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला तय हो गया; उसके बाद हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि वेंकटाचार की रिपोर्ट के आधार पर आपने क्यों नहीं किया? लेकिन जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग हो चुकी थी तो उनको कौन नहीं मानता ? पन्तजी का अवार्ड क्या हमने अपनी मर्जी से थोड़े ही लिया था....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पन्तजी का अवार्ड कम्पेन्सेशन के बारे में था।

श्री मथुरादास माथुर : वह अवार्ड आप पढ़ लें। हमने जब पन्तजी से अवार्ड ले लिया, आपने तो केरल में एक साल तक शासन किया उस समय आप बन्द कर सकते थे। आखिर जो हुकूमतें राज्य चलाती हैं उनके सामने विधान होता है, उनके सामने कानून होते हैं उसमें हर तबके के साथ हर दृष्टिकोण को लेकर चलना पड़ता है। अगर ये सब काम भाषण देने से ही हो जाते तो हम कभी का खत्म कर देते।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है यह अजीबो गरीब प्रस्ताव आया है। मान भी लिया जाय थोड़े दिनों के लिये कि जिस प्रकार से हमारे सुखाड़ियाजी बड़ी कुर्बानी करने पर तुले हुये हैं, हम भी चले जायं और कांग्रेस की विरोधी जो पार्टियां हैं उनको राज्य करने का मौका दें, मुझे डर है कि लों मिनिस्टर मैं न रहूं तो क्या आप तीनों पार्टी वाले तय कर लेंगे कि कौन आपमें कौन क्या रहे !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जितने आप आपस में लड़ रहे हैं उतने तो हम नहीं लड़ेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : आखिर में आपको छोड़कर जाना होगा और ऑल्टर्नेटिव यही पार्टी होगी जो राज्य सत्ता संभाल सकेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता । Alternative to Congress Govt. is an anarchy in the country; पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, ६२ आदमियों ने मिल कर अविश्वास का प्रस्ताव रखा; क्या ६२ आदमी ५०० आमियों को निकाल सकते हैं? लेकिन यह सब हुआ। आखिर यहां भी यह किसलिये रखा गया, यह सभी अपने-अपने मन में समझते होंगे। कुछ तो इसके फ्युडल बैक ग्राउन्ड हैं; कुछ लोग वे हैं जो राजा-राणी से आशीर्वाद प्राप्त करके चुनाव लड़ कर आये हैं । मैं आपसे कहता हूं, यह डेमोक्रेसी है ।

Page No 93

(श्री मथुराप्रसाद माथुर)

एक दिन उपाध्यक्ष महोदय, हनुमान अंगद वार्ता हो रही थी, उस वक्त मैंने सुना था; एक कहते थे तुम तो महारानी के पैर छूकर जीत कर आये हो, कोई कहता तुम चाऊ एन लाई के पिट्ठू हो, कोई कहता तुम माओ के पिट्ठू हो। मैं ये बातें सुन रहा था। यह हमारा प्रजातन्त्र है। हमें न चाऊ चाहिये न माऊ चाहिये, न महारानी चाहिये। हमें तो कोमन मैन की तरह से उठ कर काम करना होगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव लाया गया है अजीबो गरीब है। जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी और कुछ अन्य पार्टी वाले मिल कर सरकार का विरोध करें, जिनका आपसी मतभेद है जिनके प्रिन्सिपल्स मिलते नहीं। कॉम्युनिस्टस आपके साथ खड़े नहीं हुए। यह एक प्रकार से इस तरह से है कि बच्चे जिस प्रकार मिल कर रेलगाड़ी बनाते हैं और उसके लिये एन्जिन जिसको बनाते हैं वह एक दूसरे का कमीज पकड़ कर एक दूसरे के पीछे हो जाते हैं। यह उसी तरह का मामला है।

मुझे इस बात में इतनी खुशी जरूर है कि एन्जिन बना है एक बुजुर्ग आदमी, जो खड्डे में ले जाकर जरूर उनको नहीं गिरावेगा। इतना जरूर है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज के दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मैं अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह प्रस्ताव कोई बजट का, कट मोशन का प्रस्ताव नहीं है। ऐसा लगता है एक पर्टिक्यूलर सरकारी अफसर के खिलाफ, एक डिप्टी एस. पी नारायणसिंह के पीछे कोई अविश्वास का प्रस्ताव हो। अगर कोई नॉन कॉन्फीडेन्स है तो वह सरकार के खिलाफ है, डिप्टी एस. पी. नारायणसिंह के खिलाफ नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : तो क्या वह सरकारी मशीनरी का हिस्सा नहीं है ? उसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है ?

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर : यह तो मैंने मजाक की है। बुरा न समझें आप। सरकार का कोई नौकर अगर गलती करता है तो यह सरकार की जवाबदारी है और इसलिये मैं तो यह परम्परा डालना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी नौकर अगर गलती करे तो आप हमें कहें।

कल जयपुर से आने वाले साथी ने मुख्य सचिव के बारे में बहुत कुछ कह डाला। उनको हक है कहने का, सोचने का। पर वे अपने उस हक का सदुपयोग करें तो अच्छा है। अगर वे कोई गलती करते हैं तो उसके लिये जिम्मेदार मथुरादास माथुर है, मोहनलाल सुखाड़िया है, कैबिनेट है। आप हमें इसके लिये कहिये। आप कहने के अलावा और ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर जो आपकी बात का जवाब यहां नहीं दे सकते उसके बारे में आप क्यों कहते हैं ? हमें कहें। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि गवर्नमेंन्ट की मशीनरी का कोई भी पुर्जा अगर कोई गलती करता है तो उसके

Page No 94

(श्री मथुरादास माथुर)

ओमीशन्स और एरर्स के लिये हम जिम्मेदार हैं। हमें आप फांसी पर चढ़ा सकते हैं। पर उन अफसरों पर, जो यहां आपकी बात का जवाब नहीं दे सकते, उन बातों के तथ्य आप जानते नहीं, कोई आक्षेप करना अच्छी परम्परा नहीं है, परम्परा टूटती है। खैर। यह तो बीच में बात आ गई याद इसलिये कह दिया।

प्रश्न इस समय यह है कि हम सीलिंग की बात भी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सीलिंग होकर रहेगा, होना चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने भी यह कभी नहीं कहा है कि नहीं होना चाहिये, विरोधी दल के नेता अपने को करेक्ट कर लें।

जमीन चाहे कितनी पड़ी हो, केवल जमीन के बंटवारे के दृष्टिकोण से ही सीलिंग नहीं कर रहे हैं। यह भी एक पोइन्ट है जरूर। पर सोशयल जस्टिस के पोइन्ट से भी है। एक के पास हजारों बीघा जमीन है और दूसरे के पास एक बीघा भी नहीं। फेमिली एक पांच आदमियों की गिनी है हमने। वह फेमिली, उसके मेम्बर हजारों बीघा जमीन को खुदकाश्त नहीं कर सकते। परिणाम यह होता है कि वह लैट करते हैं उसे। दूसरे आदमी हल जोतते हैं और वह बैठा बैठा कमाता है, खाता है। हमने एक इन्टरमीजियरी को समाप्त किया, पर यह एक दूसरी इन्टरमीजियरी की शक्ल बन जाती है। तो इसलिये हम सीलिंग लाना चाहते हैं।

हो सकता है कि हमारे गंगानगर के साथी ईमानदार कॉम्यूनिस्ट बन गये हों और यह बात भी ठीक है कि वे कुर्बानी भी करने को तैयार हैं, मुरब्बेदारी छोड़ने को भी तैयार हैं। पर उससे कॉम्युनिज्म नहीं आवेगा। रामानन्दजी तो जानते होंगे, आप भले ही नहीं जानते होंगे। इंग्लैंड में गिब्बिन साहब और और दो-तीन साहब, उन्होंने क्या किया? कॉम्युनिज्म लाने फैलाने के उत्साह में अपनी सम्पति सब मजदूर किसानों को बांट दी और खुद नंगे हो गये, पर वहां कॉम्युनिज्म नहीं आया। तो इससे कोई "इज्म" नहीं आया करता। आपके मुरब्बों के लेने से अगर कॉम्युनिज्म आता हो तो कल ले लें। इसलिये घबराओ नहीं, हम आपके मुरब्बे लेने वाले नहीं हैं। पर फिर भी क्या करें? यह वोट की बीमारी ऐसी ही है कि जहां समाजवाद और कॉम्युनिज्म नीचे डाल दिये जाते हैं। तो यह तो वोट की बीमारी मार रही है। यहां भाई, भतीजावाद और जातिवाद सभी आ जाते हैं। कहते हैं, हम तो सीलिंग चाहते हैं, गंगानगर के लोग नहीं चाहते। अब विरोध भी करें तो मुश्किल और विरोध न करें तो भी मुश्किल। तो तू घबरा नहीं। तेरी मुश्किल है। मुरब्बे तेरे हम लेंगे नहीं। तो मैं कह रहा था यह वोट आपको सब कुछ करने को मजबूर कर देता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मन्त्री महोदय एक दूसरे सदस्य के लिये 'तू' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्या यह उपयुक्त है?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने उसी वक्त 'आप' कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : He has corected himself.

श्री मथुरादास माथुर : I am sorry मैंने उसी वक्त 'आप' कह दिया है। I have corrected myself.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वह तो आपकी गलती नहीं थी, जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गलती थी।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो कुछ उधर बैठने वालों को है। और अगर उसको 'त' कह दूं तो छोटा भाई है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : No discussion on this point.

श्री मथुरादास माथुर : छोटी छोटी बातों को मत पकड़ो।

करप्शन का नामला सदन में बहुत आया; आधे में लोमड़ी और आधे में पूंछ, दो दिन की बहस सुनने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इस करप्शन के बारे में मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं। करप्शन न तो आप चाहते हैं न इधर वाले बैठे हुए हम लोग भी चाहते हैं। फिर भी यह एक ऐसा सोश्यल इविल है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ हद तक ही हल किया जा सकता है। पूरी तरह से इसे इरेडिकेट एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं किया जा सकता। इसके लिये समाज के मोरल स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। बहुत अर्से से हमारा देश गुलाम था, बहुत अर्से के बाद आजाद हुआ है। तो इतने दिनों की यह कमी मिटते मिटते मिटेगी। एक दिन में इन्क्लाब नहीं होने वाला है। फिर इसे कोई नहीं चाहता। मैं इसके लिये बहुत कोशिश करता हूं। मैं आपके सामने आंकड़े रख दूं कि तीन वर्षों में कितने आदमी, कितने गजटेड और नॉन गजटेड डिसमिस किये गये, सस्पेन्ड किये गये, पीनेलाइज़ किये गये। हजारों की तादाद में यह फिगर है और मैंने इसके लिये एक प्रेस रिलीज़ भी किया है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। ये फिगर देखते हुए भी करप्शन मिटाने के लिये हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। इसके लिये सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे। वर्ना एडमिनिस्ट्रेटिवली और करप्शन एक्ट के बनाने से हो करप्शन मिट जावे, न मिटे तो गृहमन्त्री हैं, मुख्य मन्त्री जी हैं इसके जवाबदार। यह बात नहीं है। हम तो एक आना, दो आना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी तो समाज को सोचना होगा। इधर वाले उधर वालों को कहते हैं, उधरवाले इधर वालों को। फिर इधर उधर वालों को ही ले लें, वे कल-परसों बोल रहे थे हम तो देखते रहते हैं। ये सब नाम और बातें सच हो सकती हैं। इसलिये जब तक खुद हम और समाज नहीं बदलेंगे तब तक दिक्कत है। यह तो समाज का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस पर चलते रहेंगे तो मिट सकेगा, वर्ना तो यह नहीं मिट सकता। अब गलती से रोंग अटेस्टेशन हो जाता है, पाकिस्तान का पासपोर्ट हो जाता है, अलॉटमेंट कर दिया किसी का; अब उसमें गलती निकल जावे, कई बार हो जाता है। तो करप्शन को रोकने के लिये तो बहुत ऐसी बात है जिसके लिये हम भी रीज़नेबली सोचते हैं। अगर हरेक को कसने लग तो परेशानी हो जावेगी।

जयपुर से आने वाले साथी शेर की

(श्री मथुरादास माथुर)

तरह करप्शन को मिटाने के लिये गरज रहे थे। आपके उत्साह की हम तारीफ करते हैं। हम भी करप्शन को मिटाना चाहते हैं। इसे कोई रखना नहीं चाहता, मगर इसको मिटाने के लिये आपका सहयोग भी हमें मिलता रहे तो इससे हमें भी आसानी होगी और आपको भी आसानी रहेगी।

मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्षजी, कि सदन की इस बहस के अन्दर और भी कई बातें कही गईं। कांग्रेस राज ने क्या किया और क्या करना चाहती है, उसके बारे में तो मैं आपसे बताऊं कि आप हर सीगे में चले जाइये आपको प्रगति मिलेगी। चाहे औद्योगीकरण की बात हो, चाहे सहकारिता की बात हो, शिक्षा की, दवा-दारू की बात हो, सड़कों की बात हो, खाद्य और इर्रिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, कोई भी बात हो, इन सब के प्रोडक्शन में पिछले दस वर्षों में हम आगे बढ़े हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब एक आदमी बहुत दिनों तक भूख-हड़ताल पर होता है तो उसे भूख लगती नहीं। आपको अनुभव होगा। तो सदियों की गुलामी के दिनों में हमारे यहां सदियों से डेवलपमेन्ट के काम होते नहीं थे। अब वह भूख-हड़ताल कांग्रेस ने तोड़ी और विकास का काम शुरू किया। विकास होने लगा। थोड़ा खाने को धीरे-धीरे मिला।

यह नियम है कि खाने के बाद भूख कुछ तेज लगती है। तो जैसे ही थोड़ा खाना भूख-हड़ताल समाप्त होने के बाद मिला तो भूख तेज लगने लगी। आज जो चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, रफ्तार बहुत धीमी है तो यह भूख कुछ तेज लगने के लक्षण हैं, ऐसा लगता है। भूख तेज लगने का यह सुबूत है, इसलिये कहते हैं कि और विकास होना चाहिये। विकास होना चाहिये और तेजी से होना चाहिये; इस में दो राय नहीं है। हम चाहते हैं विकास हो, तेजी से हो और इसके लिये जितने साधन हैं, जितने हमारे रिसोर्सेज़ हैं, हम भरसक उन सबके साथ अपनी विकास की गति को तेज कर रहे हैं। तेज होनी चाहिये भी, इसमें दो राय नहीं है।

बाकी इधर एक पंचायत की बात पकड़ कर कह दिया जाय कि पंचायत राज्य ही बुरा हो गया तो यह उचित नहीं है। एक-दो विकासकार्यों में बुराई पकड़ कर कह दिया जाय कि यह तो विकास ही बुरा हो गया तो इन खराबियों को ही अगर हम देखते रहे और इन्हीं पर से यह नतीजा निकालते रहे कि सारे काम ही बुरे हो गये, तो न तो इससे हम उन खराबियों को ही दूर कर सकेंगे और न देश का विकास ही कर सकेंगे।

इसलिये हम तीन मूलभूत बातों को अपने सामने रख कर चलते हैं—एक है समाजवाद, दूसरा योजना बद्ध विकास और तीसरा वेलफेयर स्टेट। इनकी कल्पना करके हम चलते हैं। अब यह संयोग है कि कोई साथ में आता है या विरोध में चलता है। हम इसकी परवाह नहीं करते। हम तो इन तीन बातों को सामने रख कर चलते हैं, यह काफिला तो चलता ही रहता है और पीछे लोग आते ही रहेंगे, राज्य आते रहे हैं, मिटते रहे हैं, हुकूमतें आईं, चली गईं, चलती रहेंगी। हम अपने सिद्धान्त, अपनी ये मूल बातें लेकर

(श्री मथुरादास माथुर)

चलते रहेंगे । जिन जिन बातों पर मत-भेद है, ठीक है, वह मतभेद तो रहेगा, मतभेद अगर नहीं रहता तो आप उधर बैठते ही क्यों, मतभेद को लेकर अगर आप अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो मुबारक है यह। सौ बार आप लावें। यह तो सुबूत है कि आप में हममें सिद्धान्त का मतभेद है। पर इस बहस में सिद्धान्तों के मत-भेद की चर्चा कम की गई। व्यक्तिगत कैरेक्टराइजेशन की बातें अधिक कही गई और ये बातें तो हम वैसे भी गवर्नर की स्पीच के वक्त रोज करते हैं और रोज हम सब साथी मिलकर जवाब देते रहे है तथा आगे भी देते रहेंगे। यह तो रोज की समस्या है। जहां हल चलेंगे वहां जानवर मरेंगे, कीड़ी–मकोड़ी मरेंगी। हर बरसात में हल चलेंगे और ये जीव-जन्तु करेंगे। कहां तक उनकी चिन्ता करते रहेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जहां बहिन-बेटियों की इज्जत लुटती हो, सुरक्षित न हो, वह भी चीटियां मरने की बात है ?

श्री मथुरादास माथुर : बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने एक बात कही। उन्होंने म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों के चुनावों के बारे में हम से कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मांगा। जिसका कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मांगा उसका जवाब तो मैं देता हूं; जो मुझसे कन्सर्ड हैं, बाकी दूसरे मंत्री जवाब देंगे। मैं कैटेगोरीकली निवेदन करना चाहता हूं कि हम ६६ म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव जिनके ड्यू हो चुके हैं, उनके चुनाव फरवरी के एन्ड में करवा देंगे।

जहां तक पंचायतों के चुनाव का सवाल है, पंचायतों की मयाद खत्म नहीं हुई है, यह दिसम्बर के अंत तक खत्म होगी। पंचायतों के चुनाव भी हम अप्रैल के महीने में करवा देंगे क्योंकि फरवरी और मार्च में सदन का सैशन होगा और आप सब लोग बिज़ी होंगे, इसलिये अप्रैल रखा है।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह एक धारणा का विषय है। १७वां कॉन्स्टीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल अभी इस सदन में नहीं, पार्लियामेंट में इन्ट्रोड्यूस हुआ है, उस पर पार्लियामेंट विचार कर रही है। स्टेट का डेफीनिशन के बदलने का सवाल है। मैं इस बारे में चर्चा करना नहीं चाहता। जब यह बिल पार्लियामेंट में पास होगा और उसके बाद जब इस सदन में पेश होगा उस वक्त देखेंगे।

गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर पर बड़ा हो-हल्ला हुआ। मैं मानता हूं कि स्वर्णकारों को रीहैबिलेटेट करना चाहिए। कल बड़े जोर-शोर से विरोधी दल के माननीय नेता ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुनार मिनिस्टर के पास गया। वह मिनिस्टर मैं हूं। मैं बालोतरा गया हुआ था। मुख्यमंत्रीजी भी साथ में थे। सुनारों का डैप्यूटेशन नहीं मिला, लेकिन ५–६ आदमी मिलने के लिए आए और उनमें एक सुनार भी था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या हो रहा है ? मैंने कहा कि बच्चों के स्कूल की फीस माफ है, और भी जो कुछ हो कहो। तो उन्होंने कहा कि साहब, फीस के बारे में कोई हुक्म नहीं आया। हमने कहा, हुक्म आ जायगा। अगर स्कूल फीस ली है तो वह

(श्री मथुरादास माथुर)

वापिस मिल जायगी । फिर उसने कहा जमीन चाहिए । किसी ने कहा जमीन लेकर क्या करोगे ? सुनार कस्बों में रहते हैं, वे खेती नहीं कर सकते । तो उस वक्त मैंने कहा, खेती तुम नहीं कर सकते थली के अन्दर । इससे अच्छा होगा कि तुम ५० भेड़ें पालो, उससे तुम्हारी आमदनी हो जायगी । भेड़ पालने के लिए जमीन अलॉट होगी और रुपया खरीदने के लिए मिल जायगा । तो मैं समझता हूँ कि मैंने कोई बुरी बात नहीं कही । ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पाल कर लोग करोड़पति हो गए हैं । लेकिन जनसंघ के नेता के पास चिट्ठी आई है, मेरे पास भी उसकी कॉपी आई है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर को लेकर इस सदन के अन्दर बहुत ही चर्चा हुई । इस संकट की स्थिति में देश में स्मग्लिंग को रोकने के लिए यह कानून लागू किया गया, जो कुछ भी हम करेंगे, उसका विरोध होगा । ये लोग संकट-काल की स्थिति में सहयोग की बात करते हैं ! अगर यह सहयोग है तो मुझे बड़ा खेद है कि हम लोग संकटकाल की स्थिति को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना देना चाहिए ।

डे साहब को लेकर माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हें जमीन दी गई । लन्च हुआ वहां पर उनके लिए दारू की बोतल का जिक्र किया, न मालूम हिसाब कहां से लेकर बताया । प्रधान ने········

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दारू खरीदा गया, यह बात गलत है या सही, बताइये ।

श्री मथुरादास माथुर : स्पीकर महोदय खुद मौजूद थे उस लन्च में, रोटी-भाजी थी । वहां पर दारू की बोतल कहां से पहुंची, उसकी तस्दीक करवाई है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी करना चाहता हूं कि उस खर्चे में दारू भी शामिल थी या नहीं ? वह किसने पी ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रधान ने, जैसा मैंने कहा, subject to correction, वह आपके जनसंघ का प्रेसीडेंट है । वह पीता भी है, मैं जानता हूं । वह डिप्टी प्रेसीडेंट हमारे यहां नागौर का रहने वाला है । उसने देखा १।। साल के बाद........

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि डे साहब पी गए । बच कर निकलने का कारण नहीं है । १३ रुपये की शराब मंगवाई गई । मैं कहूंगा और २० बार कहूंगा । गरीब जनता के पैसे से शराब नहीं पी जा सकती ।

(विराम)

आप कहते हैं जनसंघ वाला पी गया ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर : श्री बलबीरसिंह पी गया ।

श्री भैरोंसिंह : वह प्रधान नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : वह प्रधान है ।

श्री भैरोंसिंह : वह प्रधान है या नहीं, मिनिट्स में लिखा हुआ है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बलबीरसिंह वहां प्रधान है। वह जनसंघ का डिप्टी प्रेसीडेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : जनसंघ का कोई सदस्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Let that argument be not repeated.

श्री मथुरादास माथुर : अगर वह बलबीरसिंह नहीं है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। अगर यह कहते हैं कि डे साहब ने डिनर या लन्च में शराब की बोतल........

श्री भैरोंसिंह : मिनिट्स में लिखा हुआ है, ३१८ रुपये।

श्री मथुरादास माथुर : मिनिट्स में लिखा है तो जांच करवा ली है।

श्री भैरोंसिंह : हिसाब मेरे पास है, जांच कहां से करवाली ?

श्री मथुरादास माथुर : शराब की बोतल खरीदी प्रधान ने। लंच के लिए खरीदी या कहां के लिए खरीदी, यह क्यों हुआ, वह सब डेवलपमेंट कमिश्नर देखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, जो कुछ चंद बातें कही गईं........

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर : समय खत्म होने जा रहा है। एक बात और कह दूं। आपने भी बहुत कह दीं। कल बोरावड़ के सवाल को लेकर कहा गया। यह गत वर्ष हुआ था। वहां दो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, उनका झगड़ा हो गया। एक कॉम्यूनिटी एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। महाजनों और गैर-महाजनों में झगड़ा होगा। पुलिस पहुंची। पुलिस ने गोली चलाई। उसके बाद मैंने पुलिस की चौकी कायम करवाई। १४ महीने तक चौकी रखी। लोगों को समझाया, उसके बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने समझा शांति हो गई, १४–१५ महीने हो गए, चौकी परमानेन्ट नहीं थी। चौकी हटने के बाद, अभी दो महीने हुए या डेढ़ महीना हुआ, मकराना बोरावड़ से दूर जंगल के अन्दर दो-तीन आदमी आ रहे थे। एक के पास तलवार थी वह निकाली, दूसरे के पास लकड़ी थी। झगड़ा हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया। चालान कर दिया गया, केस बन गया। अब बताइये सरकार इसमें क्या करे ?

श्री मुरलीधर व्यास : चालान नहीं किए गए।

श्री मथुरादास माथुर : चालान हो गए ?

श्री मुरलीधर व्यास : कब हुए ?

श्री मथुरादास माथुर : उस केस के अन्दर चालान हो गए। मैं कहता हूं, वह ठीक है। जो जुर्म करेगा वह सजा पाएगा। यह ख्याल नहीं रखा जायगा कि जुर्म करने

(श्री मथुरादास माथुर)

वाला कौन है। अब आप सरकार से क्या चाहते हो ?

गंगापुर इलेक्शन्स के बारे में कल बहुत कुछ कहा गया। मैं निवेदन करूंगा कि गंगापुर इलेक्शन पिटीशन को लेकर, गंगापुर के इलेक्शन सुपरवाइज़र के पास जो रेकॉर्ड था उसके साथ टैम्परिंग किया। इस पर हमने उस आदमी को सस्पैंड किया, अरेस्ट किया। उसके बाद जो जो एवीडैंस में डिस्क्लोज़र्स हुए, उसके लिए स्पेशल डी वाइ. एस. पी. को इस काम पर लगाया गया है। वह कुछ दिनों के अन्दर इन्वेस्टीगेशन करके चालान करेगा।

तो इसलिए सरकार की तरफ से इसमें कोई गफलत नहीं है और इसमें पूरी कार्यवाही की जा रही है और माननीय सदस्य गंगापुर से आने वाले हैं उनको बारबार कॉन्फीडेन्स में मिलते रहते हैं और बताते रहते हैं। हमारी तरफ से किसी को प्रोटेक्शन का सवाल नहीं है।

इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल श्री दौलतसिंहजी मेहता के बारे में एक बात कही गयी और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ उसको जोड़ा गया। जब यह एक बार पहले भी प्रश्न आया था तो जब इस पर चर्चा हुई उस दिन ही मैंने ऑर्डर्स इश्यू कर दिये कि केस रजिस्टर कर लिया जाये और इसका इन्वेस्टीगेशन किया जाये। इन्वेस्टीगेशन में अगर केस बनता है तो चालान कर दो और अगर नहीं बनता है तो एफ० आर० दे दो। वह इन्वेस्टीगेशन चालू है। इसके बारे में मेरे पास अभी लेटेस्ट पोज़ीशन नहीं है। उसको जल्दी ही कम्प्लीट होकर मैं बता दूंगा कि क्या पोज़ीशन है ....

श्री भैरोंसिंह : केस रजिस्टर पहले ही हो गया था।

श्री मथुरादास माथुर . नहीं हुआ था। सदन में कहने के बाद गवर्नमेंन्ट के ऑर्डर्स से हुआ है। यह आप और जांच कर लें, क्योंकि आपके पास मेरे से ज्यादा पुलिस की इत्तला मिलती रहती हैं।

श्री भैरोंसिंह : केस पहले रजिस्टर कर लिया था, चालान कर लिया गया था और कोर्ट में केस भेज दिया गया था और केस रामनारायण क्लर्क के खिलाफ था और दौलतसिंहजी के खिलाफ नहीं था।

श्री मथुरादास माथुर : उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है सेपरेटली।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : हो गया। अब मैं आपको कैसे बताऊं ?

और भी बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं गयी। छोटी मोटी बातें जैसे गाय मारी गयी। तो उसमें आदमी को पकड़ लिया गया, चालान कर दिया गया....

श्री भैरोंसिंह : इन्फोरन्मेंट का क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : वह पाकिस्तान चला गया–अजीमुद्दीन ।

श्री भैरोंसिंह : उसका प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : पासपोर्ट या परमिट लेकर आता है और ज्यादा दिन ठहर जाता है, अगर हम उनका प्रोसीक्यूशन करते हैं और सजा भी दे दें तो आखिर उनको मुनाबाव भिजवाना पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : कानून यह कहता है कि प्रोसीक्यूशन किया जाये ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे मालूम है, कानून क्या कहता है । कानून कहता है प्रोसीक्यूशन भी करो और मुनाबाव भी भेज दो । वह पुलिस का इन्फोर्मेन्ट नहीं था, आपको हो तो पता नहीं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि झूमरमलजी तिवाड़ी के मामले को लेकर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिट्ठी लिखी । इन्होंने एक अजीब टैक्नीक डेवलप कर ली । चिट्ठी लिखी इन्कमटैक्स की चोरी के बारे में । वह हुई और पकड़ ली । अखबार में आई और बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं और उस अखबार में नेताओं और मंत्रियों के नाम हैं और हम कहें कि हमें लेना नहीं, देना नहीं और फिर चिट्ठी लिखी कि आप इसको करो । अगर कोई रेस्पोन्सीबल आदमी कोई बात कहे तो हम जवाब दें । इन्कमटैक्स वाले कहते हैं कि हम नहीं बता सकते हमारे रूल्स के मुताबिक । तो आपके पास इन्फोर्मेशन कहां से आई....

श्री भैरोंसिंह : आप इनसे कह दो कि हमारा नाम नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : हमारा नाम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : सबसे कहलवाओ ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जो कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताऊंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन एक एक पाइन्ट पर इस तरह से बातचीत का तरीका ठीक नहीं है । राइट ऑफ रिप्लाई भी है, उस समय भी कुछ कह सकते हैं । अथवा किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं सकते ।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें किनके नाम हैं, वह नाम तो ऑफिशियली या उस आदमी से पूछ लिया जाये, वह इन्कार करता है । आप नाम बतायेंगे और वह केटेगोरिकल स्टेटमेन्ट देगा ।

करीब करीब मैंने सभी बातों के ऊपर जवाब देने की कोशिश की और हमारे धौलपुर से आये हुए.....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं आया हूं बयाना से ।

श्री मथुरादास माथुर : बयाने से आनेवाले....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : नाम मुकुटबिहारीलाल है ।

श्री मथुरादास माथुर : नाम मुझे मालूम है । और उन्होंने जो कुछ भी कहा और जिस भाषा में कहा और जिस तौर-तरीके से कहा वह सदन की परम्परा के खिलाफ होते हुए भी मैं आपसे इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है डी० एम० पी० नारायणसिंह के बारे में, मैं पुलिस के एक एक आदमी की वकालात करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जहां तक एन्टी डेकॉइटी का सवाल है इनका पोस्टिंग वहां पर सन् ५८ में किया था और आज इनको वहां करीब ५ साल हो गए । कुछ ही दिनों के अन्दर इसने वहां पर १२ एनूकाउन्टर्स बड़े जोरों के लिए और कुल १८ डकैतों को इसने मारा, १२५ डकैतों को अरेस्ट किया और ३०३ की १ राइफल, ६ राइफल्स १२ बोर की और ४ एम० एल० गन की बरामद कीं । अब इस ऑफिसर का जहां तक सवाल है, मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि १८ डाकू जो मरे हैं वे दूसरों ने मारे और इन्होंने उनका श्रेय जबरदस्ती ले लिया है । यह बहुत अर्से की बात है, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में । लेकिन जो पुलिस का रेकॉर्ड है, उसके अनुसार उसका श्रेय इनको है । इसके लिए इनको प्रेसीडेन्ट मैडल मिला है और ये एन्टी डेकॉइटी एरिया को बहुत कन्ट्रोल करते हैं ।

जहां तक दूसरे सवाल रेज़ किये, लड़कियों के व्यापार के बारे में, उसके बारे में हम लोग जागरूक हैं । मैंने पहले ही कह दिया था और ऑर्डर निकाल दिये हैं और एक स्पेशल पार्टी वहां भिजवाई है जो इसकी पूरी तरह छानबीन करेगी ताकि इसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और हमें आशा है कि इसमें सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिलेगा । कई जो केसेज़ हमारे सामने आये उनमें तफ्तीश हुई हैं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नारायणसिंहजी के खिलाफ करप्शन की सैकड़ों इन्क्वायरी पेन्डिंग हैं, उनका क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : सैकड़ों, आप तो अलंकारिक भाषा में बात करते हैं !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सैकड़ों हैं । मैं आपको लिस्ट दे दूंगा ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था कि जिस ऑफिसर के खिलाफ जो इन्क्वायरी होगी उसकी जांच होगी । अगर उनके खिलाफ कोई इन्क्वायरी है तो जांच चल रही होगी ।

उसके बाद में, जहां तक मुझे मालूम है दो केसेज़ का जिक्र किया गया । डॉन को मैं महत्व नहीं देता । सरजूदेवी का सवाल है, मैंने कटिंग के ऊपर ही मार्क करके भेजा कि इसकी फिर से इन्क्वायरी की जाये । उसकी इन्क्वायरी हो रही है । और पार्वतीदेवी हो चाहे या और कोई देवी हो अगर किसी के साथ बलात्कार, अत्याचार या किडनैपिंग या बेचने का मामला हो गया तो इस पर हमारी पूरी नजर है । मुमकिन है । अगले बार जब सदन मिले उस समय तक हम इसके लिए आपको तसल्ली दिला सकेंगे । आपके आशी-

(श्री मथुरादास माथुर)

र्वाद से हम इस काम को करेंगे । इसलिए इन सब बातों का जवाब देते हुए मैं निवेदन करता हूं कि यह न तो कोई अविश्वास का प्रस्ताव है और न कुछ और है, यह तो सदन के अन्दर चर्चा करने का विषय सभी पार्टियों ने मिल कर बनाया है और मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता बहुत सोबर हैं और इतनी चर्चा होने के बाद इसको प्रैस नहीं करेंगे और सरकार ने जो काम किये हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक सूचना का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : आप रिप्लाई दें तब लें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : केवल एक सूचना लेनी है....

श्री उपाध्यक्ष : No please, I will not allow it just now. This is not the procedure.

Shri Bardar.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान के मुख्य मंत्री और मंत्री–परिषद् के विरुद्ध इस सदन में प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मेरे पास कारण हैं, मेरे पास तथ्य हैं, और बड़े खेद के साथ मुझे सदन के सामने यह निवेदन करना पड़ रहा है कि आज से १६ साल पहले इसी अगस्त के महीने में हिंदुस्तान की सारी जनता ने इस हुकूमत करने वाली पार्टी पर, जो हमारे पर शासन कर रही है, उसके ऊपर विश्वास रखा था, उसके ऊपर विश्वास का ताज रहा था, क्या कारण हो गया या ऐसे कारण हैं कि जिन कारणों के सबब से आज वही जनता, कि जिन्होंने १६ वर्ष पहले इस कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया था, आज अविश्वास का प्रस्ताव सामने ला रही है ? इसके कुछ तथ्य इन लोगों के विरुद्ध लगाये थे, और उन तथ्यों का जिनको कि उनको उत्तर देना चाहिए था कोई उत्तर हमारे सामने उपलब्ध नहीं हुआ । इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन विरोधी पक्ष के लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि जिस प्रकार के शासन करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से एक प्रकार का समर्थन प्राप्त होता है । उस समर्थन प्राप्त होने के कारण मैं यह निवेदन करता है कि आपने इनकी सब्स्टेन्स की बातों को, तथ्य की बातों को सदन के सामने प्रस्तुत करूँगा तो मैं यहां तक कहूँगा कि मंत्री महोदय की तरफ से उत्तर देने की चेष्टा की तो कोई उत्तर नहीं दिया जाता,उन तथ्यों का निराकरण नहीं किया जाता, बल्कि एक बात कही जाती है कि आप हमको चोर बताते हो तो उसका जवाब यह है कि तुम भी चोर हो। हम अपराध कोइस लिए कम करना चाहते हैं कि हम अपराध को छिपाना चाहते हैं और हमको अपराधी करार देते हैं, यह कोई कारण नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। आप अपने दोषां को छिपाने के लिए किसी दूसरे के दोषों का प्रकटीकरण कर दें, यह वास्तविक बात नहीं है ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ओर से कुछ व्यक्तियों ने अगर उत्तर देने की

Page No 104

(श्री दुर्गालाल बाहदार)

चेष्टा की तो मैं यह कहूंगा कि वे कहते हैं कि व्यक्तिगत लांछन लगाने की चेष्टा की। उन्होंने यह कहा कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता हो सकते हैं कि उनके बारे में यह बात मैं आज कहने के लिए तैयार हूं कि कुछ माननीय सदस्य सदन के ऐसे हो सकते हैं कि जिनका व्यक्तिगत राग-द्वेष किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, उनके कारण अगर किसी पार्टी पर लांछन लगाया जाय, पार्टी पर आरोप लगाया जाय तो कोई कारण नहीं हो सकता है कि इसके कारण जो अविश्वास के तथ्य राज्य सरकार के प्रतिकूल लगाये गये हैं उनका निराकरण मान लिया जायगा यानो यह कह दिया जायगा कि जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा है सदन के समक्ष, उस प्रस्ताव को लाने के लिए कोई कारण चाहिए।

मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मानित माननीय सदस्यों के सामने कि जैसा कि ये कहते हैं कि १६ वर्ष के पश्चात् जिन रीतियों और नीतियों को लेकर यह राज्य सरकार अपनी शासन-व्यवस्था का संचालन करती है–उस शासन-व्यवस्था के संचालन में कहां तक वह कामयाब हुई है, कहां तक अपनी स्कीम को, अपनी पॉलिसीज़ में या अपने शासन के करने का जो ढंग है उसमें कामयाब रही है और शासन करते हुए जनता की सद्भावनाएं जुटाने की चेष्टा की है! मैं यह कहूँगा कि उत्तर देते समय जब कुछ व्यक्तियों ने यह भावना व्यक्त करने की चेष्टा की और यह बताया कि इन १६ सालों में कुछ तरक्की भी की है, तो मैं यह कहूँगा कि १६ साल से हुकूमत आपके हाथों में चली आ रही है और इन १६ सालों के अर्से में कुछ किया भी कि जिनको आज गिनाने जा रहे हो, जिससे आज राजस्थान में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में जनता आपको निकम्मी सरकार कहने का साहस कर रही है? यह निकम्मी और भ्रष्ट सरकार ही नहीं बल्कि एक मृतप्राय: सरकार है जिसमें इतनी शक्ति नहीं, दौलत प्राप्त करने के बाद भी कि वह थोड़ा सा भी काम कर सके।

मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि जहां तक इस अविश्वास के प्रस्ताव का प्रश्न है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे मसले हैं कि मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस समय आजादी हमको मिली, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ तो हमने अपने हृदय में बहुत बड़ी भावना रखी थी, हमारे हृदय में इस प्रकार के विचार हुए १५ अगस्त, सन् ४७ को जब कि यूनियन जैक हिन्दुस्तान पर से उतारा गया और तिरंगा झन्डा लहराया, तो राष्ट्र के नागरिकों के हृदय में यह हर्ष और उल्लास हो रहा था कि जो हमारी हुकूमत कायम हो रही है, आज शासन-सत्ता इनके हाथों में आ रही है, आज जनता के अन्दर से हम स्वयं, खुद हुकूमत करने वाले हैं, हमारी शासन-सत्ता चलेगी, हमारा राज्य चलेगा, लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जिन नेताओं पर हमने विश्वास किया, जिनकी पॉलिसीज़ पर हमने विश्वास किया, उन नेताओं से हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वे आस्तीन का सांप निकलेंगे। उन नेताओं से जिनके ऊपर हमने सबसे पहले विश्वास किया यह उम्मीद थी कि वे अपने भाई हैं, हमने उनके ऊपर विश्वास किया,

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

लेकिन आज उनके ही विरुद्ध बड़े दुःख और क्षोभ के साथ हमें अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। इस बात से हम राजी नहीं हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। जनता ने उनके हाथ में शासन-सत्ता सौंपी थी, यह शासन-सत्ता या यों कहें कि यह आजादी किसी पार्टी विशेष की बापौती नहीं है। प्रत्येक पार्टी ने, हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक ने बलिदान किया, त्याग किया और ऐसा करने के पश्चात् इस देश को यह आजादी प्राप्त हुई थी, जिसके लिए कोई पार्टी विशेष, कोई नेता विशेष या कोई व्यक्ति विशेष इस बात का दावा करे कि इस आजादी को प्राप्त करने का अधिकार हमारी पार्टी को है, हमारे व्यक्ति विशेष को है। यह उनका समझना भूल होगी, यह उनका समझना निस्सन्देह मैं यहां तक कहूँगा कि एक प्रकार की भ्रान्ति होगी, एक प्रकार का धोखा होगा।

जहां तक अविश्वास के प्रस्ताव का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव हम नहीं ला रहे हैं। यह अविश्वास आप ही अपने आप पैदा कर रहे हैं। वह जनता कि जिसने आप पर अविश्वास किया, वह जनता जिसने विश्वास का ताज आपके सिर पर रखा, उसी जनता के हृदय ने आपको सोच-समझ लिया और उसी ने यह अविश्वास का प्रस्ताव आपके प्रति यहां सदन में प्रस्तुत किया? विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने खड़े होकर इसका समर्थन किया और आज डिस्कशन के लिए, आज बहस के लिए यह सदन में आ रहा है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता के कितने प्रतिनिधि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर आपके विरुद्ध बोलने के लिए तैयार हैं। जनता की कितनी बड़ी आवाज है जिसको आप नहीं पहिचानते या समझते, जो समझने की चेष्टा करें, इसी चुनाव के निर्णय पर विचार करें, जो मत प्राप्त हुए हैं उसको देखें। हो सकता है कि कांग्रेस का बहुमत आ गया हो, लेकिन जो मत जनता ने प्रदान किये हैं उन मतों का प्रतिशत रेश्यो निकालें, जो उनको प्राप्त वोट हैं उसका रेश्यो निकालें तो निश्चय ही यह आपको प्रतीत हो जायगा कि जो मत जनता ने दिया है वह मत आपको इतना कम प्राप्त हुआ है उसके क्या कारण हैं? आज से १६ साल पहले १५ अगस्त, ४७ के अन्दर जिसको जनता ने बड़ी सद्भावना के साथ, बड़े प्रेम के साथ सिंहासनासीन किया था, सत्ता आपके हाथों में सौंपी थी, क्या कारण है कि वही जनता आपको मतदान नहीं करे? क्या कारण है कि आपने जनता का विश्वास खो दिया, क्या कारण है कि अविश्वास का प्रस्ताव इस राजस्थान में नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के विभिन्न स्थानों में आपके खिलाफ आ रहे हैं? हिन्दुस्तान के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है कि जब कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया है। इसका कोई कारण होना चाहिए। यह नहीं समझें कि कि कुछ मनचले व्यक्ति अपने हृदय की भावनाओं को लेकर इस प्रकार के अविश्वास के प्रस्तावों को लेकर आये हों। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, निस्सन्देह यह हो सकता है कि इस सदन के अन्दर बहुमत आपका हो और इस अविश्वास के प्रस्ताव का निर्णायक यह सदन है,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

और यह हो सकता है कि बहुमत के कारण आप इस अविश्वास के प्रस्ताव को गिरा दें। यह हो सकता है कि इस बहुमत के कारण आप यह कह दें कि हमको जनता का बहुमत चाहता है । कांग्रेस फिर भी शासन करती रहे। हो सकता है कि बहुमत के कारण शासन–सत्ता को अपने हाथ में रखें, लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मकसद यह नहीं होता है कि हम शासन–सत्ता को बदलना चाहते हैं, हम हुकूमत को बदलना चाहते हैं, लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव से हम आपकी दृष्टियों को खोलना चाहते हैं, आपको यह दिखाना चाहते हैं कि मन्त्रि–गण अपनी अपनी पॉलिसी के द्वारा जनता के साथ जो धांधली और अत्याचार कर रहे हैं, जनता ने जिस सद्भावना के साथ विश्वास का ताज आपके सिर पर रखा था उसके साथ विश्वासघात किया है। उनके विश्वास के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसे आपको दृष्टिगत कराना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, आपको दिग्दर्शन कराना चाहते हैं ताकि आप यह समझ लें कि आपको अपनी पॉलिसी बदलनी है, आपको उस रास्ते पर जाना है, जिसको जनता पसन्द करे। उस सच्चे रास्ते को दिखाने के लिए यह अविश्वास का प्रस्ताव आपके ऊपर लाया जा रहा है। यह कोई इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि जैसा कि मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि श्री मोहनलाल सुखाड़िया यदि राजस्थान की शासनसत्ता को छोड़ देते हैं, या आज श्री मथुरादास माथुर शासन–सत्ता को छोड़ देते हैं तो हमारे विरोधी पक्ष में कोई ऐसा नजर नहीं आता है कि इस हुकुमत को सम्हाल सके।

अविश्वास का प्रस्ताव आपके ऊपर इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि आपके मुंह में से रोटी का टुकड़ा छीनना चाहते हों। हमारी यह भावना कभी नहीं रही है। जिस रोटी के टुकड़े को आप खा रहे हैं उसको बखूबी खाते रहें, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि रोटी का टुकड़ा खाने के पश्चात् उस जनता को भूल जायं जिन्होंने रोटी का टुकड़ा आपको दिया है। रोटी का टुकड़ा ही आपको नहीं दिया, बल्कि मैं तो यहां तक कहूं कि सिर पर रखने के लिए ताज भी दिया है। जिस संस्था को लेकर आप चलते जा रहे हैं यह नहीं भूल जायं कि जनता के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, ये जनता के द्वारा दिये गये अधिकार हैं। जो जनता अधिकार दे सकती है उस जनता के हाथों में ये भी अधिकार हैं कि वह जब चाहे आपको उन अधिकारों से निरस्त कर सकती है, आपको शासन से दूर कर सकती है, आपको शासन से हटाया जा सकता है और यह अविश्वास का प्रस्ताव उस हुकूमत को बदलने के लिए, चाहे पर्याप्त न हो, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस सदन के अन्दर कम्युनिस्ट नेताओं ने यह बताया कि यदि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर कोई मतदान का प्रश्न आया तो कॉम्युनिस्ट पार्टी हमेशा अगर मान लिया जाय कि हुकूमत करने वाली पार्टी का साथ नहीं देते है तो वे तटस्थ रहेंगे और पार्टीबन्दी से दूर रहेंगे! हो सकता है कि यह राजनैतिक चाल है। उनके बारे में मैं कोई दृष्टिपात नहीं करना चाहता। हुकूमत करने वाले देवाली-लेवाली, एक दूसरे को मिलाना जोड़-तोड़ बैठाना, सब कुछ किया ही करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनकी मैं आलोचना नहीं करता। यह तो वे लोग जानें जो हुकूमत करते हैं। किस तरह की

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जोड़-तोड़ बैठाते हैं, किस तरह की कोशिश करते रहते हैं, में इन छोटी बातों की आलो- नहीं करना चाहता और न इन बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि इस १६ साल की आजादी के बाद हमने यह आशा की थी कि हमको शिक्षा मिलेगी और शिक्षा ऐसी मिलेगी कि भारत का प्रत्येक नागरिक सुशिक्षित होगा, हमको आराम मिलेगा, खाने को रोटी मिलेगी, पीने को शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध मेडिसिन्स मिलेंगी, सस्ता न्याय मिलेगा; इन सारी भावनाओं को लेकर हमने आप पर विश्वास किया था, यह विश्वास का ताज आपके सिर पर रखा था। यह निर्मल टोपी, सफेद टोपी जिसको महात्मा गांधी ने पवित्र ताज मान कर आपके सिर पर रखी थी, आपने उस पर कलंक लगाने की कोशिश की। आपने इस पर इस तरह का कलंक लगाया कि आपसे पहले राज्य करने वाले, अंग्रेजी कोष का निर्माण करने वालों ने सफेद टोपी का इस तरह का अर्थ-पता नहीं क्यों रख दिया। आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं; आह देख लीजिये चैम्बर्स ट्वेन्टियथ सेन्चुरी डिक्शनेरी में, इस व्हाइट केप का अर्थ क्या लिखा है। मैं इसके बारे में अपनी दलील नहीं रखता, अपनी ओर से टीका-टिप्पणी नहीं करता। डिक्शनेरी का निर्माण करने वाले ने लिखा है, यह आप स्वयं पढ़ सकते हैं। "वाइट केप" का अर्थ डिक्शनेरी का निर्माण करने वाले ने यह लिखा है :

"White Cap' : The name given to a self-constituted committee of persons who generally commit outrageous acts under the guise of serving the community."

यह है व्हाइट केप का अर्थ। क्यों लिखा गया ? किसलिये लिखा गया ? क्या कारण है कि ये शब्द दिये हैं चैम्बर्स ट्वेन्टियथ सेन्चुअरी डिक्शनेरी के निर्माताओं ने, क्यों इस शब्द की व्याख्या इस तरह से की गई, उस व्हाइट केप की जिसको अकलंक ताज मानकर महात्मा गांधी ने आपके सिर पर रखा था ? इसलिये कि आप इसको निश्कलंक नहीं रख सके, इसकी उज्ज्वलता को नहीं निभा सके, यही कारण होगा कि डिक्शनेरी की परिभाषा में इस प्रकार के शब्द मिलते हैं।

मैंने जैसा कि निवेदन किया था, अविश्वास के प्रस्तावों पर की गई आलोचना का उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिया गया, उसमें सिवाय इस बात के सबसे बड़ी बात यह कही गई कि हम स्वतंत्र पार्टी का इस कारण विरोध करते हैं कि इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था चुनाव से पहले, कोई व्यक्तित्व नहीं था और जनसंघ आदि पार्टियों का परसेन्टेज नगण्य में आता है। यह कोई जवाब नहीं हुआ। इस जवाब के द्वारा जो आरोप आपकी सरकार पर लगाये हैं उनका निराकरण नहीं होता। माना कि स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व नहीं था, गोकि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि आप जो प्रश्न उठाते हैं, आप जिन दलीलों को मान कर चलते हैं उनमें कुछ सच्चाई है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर के लिये यह भी मान लिया जाय, स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ और दूसरी पार्टियां अस्तित्व नहीं रखती थीं, लेकिन इसके कारण यह नहीं है कि जो सारगर्भित बातें हकूमत करने वालों के

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

खिलाफ कही गई हैं और जो इल्जाम आप पर लगाये गये हैं उनका जवाब इससे मिल जायगा। यह तो ऐसी बात हुई कि एक आदमी का नाक कट जाता है और दूसरा आदमी पूछता है कि तुम्हारा नाक कैसे कट गया, वह अपनी तुष्टीकरण के लिये उससे कहता है, कि नाक मेरा ही नहीं तेरा भी कटा हुआ है इसलिये मैं भी नकटा हूं और तू भी नकटा है, दोनों मिल कर हुकूमत करेंगे।

सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से तीन चार आदमियों ने अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर दिया, लेकिन कोई माकूल उत्तर हमारे सामने नहीं आया। एक-दो बातें इस तरह की बताई गईं कि हम कुछ विकास भी कर चुके हैं जनता के लिये, जनता की उन्नति के लिये कुछ कार्य किये हैं, कुछ विकास-कार्य किये हैं और विरोधी पक्ष वाले उसका भी विरोध करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत का कोई भी नागरिक जब राष्ट्र की उन्नति करने का प्रश्न आता है तो उसका कोई विरोध करने को तैयार नहीं होगा। यह आपके मन के विचार हैं। यह आपका आलोचना करने का तरीका हो सकता है जिसके द्वारा आप किसी पार्टी पर लांछन लगा सकते हैं, अपनी पार्टी को उत्तम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि न मैं किसी पार्टी की आलोचना करता हूँ, न व्यक्ति विशेष की; लेकिन सदन की परम्पराओं को निभाता हुआ आपकी पौलिसीज़ और हुकूमत की पोलिसीज़ का विरोध करता हूं और विरोध करने के लिये मेरे पास तथ्य हैं, सब्स्टेन्स है, प्रमाण है जिनको मैं अभी थोड़ी देर में सदन के सामने रखने वाला हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक इन तथ्यों का, प्रमाणित तथ्यों का सवाल है, जिनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं उनके द्वारा प्रूव करने की चेष्टा करूंगा। मैं यह कह दूं कि इसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे मेरे भाइयो! आप यह देखें कि जिस अविश्वास प्रस्ताव को हम लाये है और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं आप भी उनके बारे में अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें और सोचें, अपनी पार्टी की नीतियों पर विचार करके देखें कि आप उनका विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं।

आप कहते हैं कि पांच आदमियों ने अविश्वास के प्रस्ताव रखे हैं। लेकिन यह पंचों का मिक्श्चर है। मैं कहूंगा कि यह पंचामृत है, लेकिन आपके भाग्य में इसका रसास्वादन करना नहीं लिखा है। यह आपका दुर्भाग्य है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि आप कुर्सी प्राप्त करने के लिये एक दूसरे से लड़ते हैं। इस कुर्सी का मोह इतना है कि आप एक दूसरे का विरोध करते है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। राजस्थान को छोड़ दीजिये, हिन्दुस्तान के प्रत्येक स्थान पर आपको यह मिलेगा कि किस प्रकार एक दूसरे का विरोध चल रहा है। यदि आज यह बात नहीं होती तो हमें और हमारे दोस्तों को अविश्वास का प्रस्ताव रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप स्वयं अपनी पार्टी में एक दूसरे का विरोध करते चले जा रहे है देश के प्रत्येक स्थान पर। विचार कर लीजिये, जिस प्रकार आप आपस में एक दूसरे से लड़ रहे है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास कर रहे हैं, झूठे आरोप और लांछन लगाते हैं; यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनता का अविश्वास आपके प्रति है या नहीं। सदन के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सदस्यों का अविश्वास का प्रस्ताव आपके खिलाफ आवे या न आवे, लेकिन मेरे भाइयो आप स्वयं आप पर विश्वास नहीं करते, अपने भाई बन्धुओं पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे का विरोध करते चले आ रहे हैं। आपके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाले एक नहीं हैं, यदि वे एक होते तो आपको दिखा देते....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! सदन का समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक कल दिन के २.३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक ८ बजे रात्रि को दिनांक २८ अगस्त, १९६३ के म. प. २.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २७ अगस्त, १९६३)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१	ग्राम सीदड़ा में आयुर्वेद औषधालय।	
जयपुर-सांभर रूट पर प्राइवेट बस मालिकों को परमिट।		सिविल डिफेन्स।	
राजगढ़-सांखू (जिला चूरू) सड़क की मरम्मत।		सरहद पर डकैतियां।	
राजस्थान में विद्युत् की आवश्यकता।		पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क निर्माण।	
निरीक्षक कार्यालयों का आयुर्वेदिक संचालक द्वारा निरीक्षण।		जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव का पृथक्करण।	
सांगोद तहसील में सोइल कन्ज़र्वेशन कार्य।		गुड़गांव केनाल।	
राजस्थान के कारागारों से निर्मित वस्तुओं की बिक्री।		श्रम विभाग के कर्मचारियों के वार्षिक बढ़ोत्तरी तथा वेतन बकाया के मामले।	
अजमेर की राजमहल जल प्रदाय योजना।		चिकित्सा भत्ते के झूठे बिल।	
निम्बाहेड़ा व चित्तौड़गढ़ तहसीलों के ग्रामों को चम्बल विद्युत्।		समेल प्रोजेक्ट-ग्राम राजकोट, तहसील देवली।	
बसों के मोडल।		भरतपुर जिले के पुलिस अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले।	
रेवदर तहसील में दहेज से आमदनी।		करौली-सपोटरा रोड पर पुल।	
राजस्थान शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, १९५८ के तहत छूट।		पुलिस कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले।	
		ब्यावर नगर व मगरा क्षेत्र में जल-कष्ट।	

नगर परिषद् जयपुर द्वारा बस सर्विस चलाने के प्रश्न पर निर्णय।

तहसील तालेड़ा में लेफ्ट केनाल टूट जाने से किसानों को हानि।

पुलिस थानों में यातायात के साधन।

चम्बल विद्युत्।

स्टेट रोडवेज के ड्राइवरों व कन्ड–क्टरों को सुविधाएं।

बिजली के मीटर।

स्थगित प्रश्न

(२०–८–६३)

डामर रोड बनाने का ठेका।

अधिक अनुदानों की मांगों के विवरण का उपस्थापन ६५

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त–मन्त्री, ने अधिक अनुदानों की मांगों, १९५९–६० के विवरण का उपस्थापन किया।

विधायी कार्य।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक ६६

निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किये गये :—

(१) राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरण) विधेयक १९६३।

[The Rajasthan Police (Incitement to Disaffection) Bill, 1963],

(२) इण्डियन सोल्जर्स (लिटि–गेशन) (जागीर सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विस्तार) विधे–यक, १९६३।

[The Indian Soldiers (Litigation) (Extension to Jagir Proceedings) Bill, 1963].

(३) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १९६३।

[The Ajmer Shamlat Committees (Dissolution) Bill, 1963].

(४) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३।

[The Rajasthan Primary Education Bill, 1963.]

स्कम्भ स्कम्भ

मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर विचार ६८

मंत्रिमण्डल के प्रति प्रस्तुत किये गये अविश्वास के प्रस्तावों पर आज भी बहस जारी रही, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल ।

(२) श्री ज्वालाप्रसाद ।

(३) श्री हरदेव जोशी ।

(४) श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(५) श्री मथुरादास माथुर (गृह-मंत्री)।

(६) श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

सदन की बैठक रात्रि के ८ बजे, बुधवार, दिनांक २८ अगस्त, १९६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिए स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक २८ अगस्त, १९६३ की कार्य-सूची

मंत्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर विचार ।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०५ का उत्तर देखिये)

कार्यालय संचालक आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान, अजमेर

निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक ४-६-६२ को निरीक्षक कार्यालय आयुर्वेदिक विभाग जयपुर का आकस्मिक संक्षिप्त निरीक्षण किया गया।

भवन—किराये के भवन में पूर्ववत् कार्यालय चल रहा है। कार्यालय की सफाई, बैठने की सुव्यवस्था आदि पर किसी प्रकार का ध्यान दिया जाना नहीं पाया जाता। निरीक्षक महोदय कार्यालय को व्यवस्थित कर आकर्षक बनाने का प्रयत्न करें।

स्टाफ—वैद्य एवं उपवैद्य निम्नांकित रूप से यहां पर डेपुटेशन पर कार्य करते हुए पाये गये :

(१) खंडेल के उप-वैद्य से कार्यालय में कार्य लिया जा रहा है और खंडेल में केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य करता है।

(२) वैद्य रविशंकर शास्त्री खंडेल, वैद्य जगदीशचन्द्र दूदू, वैद्य कुशलानन्द जयपुर तथा वैद्य श्री जगदीशचन्द्र पापड़दा वाले भी कार्यालय में डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं; इसी तरह उप-वैद्य श्री रामचन्द्र शर्मा प्रवास भवन जयपुर, श्री गणपतिलाल खंडेल, श्री शम्भुलाल मुहाना तथा श्री बद्रीनारायण दानुपुर (डूंगरपुर) वाले भी डेपुटेशन पर इस कार्यालय में कार्य कर रहे हैं।

निरीक्षक महोदय, उपरोक्त वैद्य एवं उप-वैद्य के उपयोगिता के बारे में शीघ्र प्रकाश डालें कि बिना प्रधान कार्यालय की स्वीकृति के यह स्टाफ डेपुटेशन पर किस प्रकार लगाया गया ?

श्री निरीक्षण महोदय, आज दिन के १।। बजे कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले जिसके लिए स्पष्टीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

दुबूवो औषधालय के वैद्य राधेश्याम जो कि इस कार्यालय में उपस्थित थे, उनसे विदित हुआ कि गत अगस्त के बाद से औषधालय दुबूवो में कोई औषधियां नहीं पहुँचीं तथा फर्नीचर आदि भी जिला बोर्ड के समय का ही काम में आ रहा है। यह भी विदित हुआ कि अप्रेल सन् १९६१ का वैद्यजी का वेतन भी प्राप्त नहीं हुआ है। एवं गत अगस्त से इनको इन्क्रीमेंट नहीं मिला है। निरीक्षक के आने पर विदित हुआ कि वैद्य राधेश्यामजी का ए. इ. आर. व्यवस्थित नहीं होने से अभी तक ग्रेड इन्क्रीमेंट नहीं दिया जा सका।

जनरल रिमार्क—इस कार्यालय के ग्राधीन १५५ औषधालय चल रहे हैं। इसी कारण से पत्र-व्यवहार अनावश्यक विलम्ब होना पाया जाता है। इसकी सुव्यवस्था हेतु जिले के समस्त औषधालयों को दो भागों में बांटा जाकर रिलीविंग वैद्य श्री रामदास तथा श्री हरिनारायण शर्मा के चार्ज में पृथक दिया जाकर व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा। निरीक्षक महोदय प्रतिदिन कार्य का प्रगति के सम्बन्ध में अपना पूर्ण सुपरवज़न रखेंगे।

निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक २३-१-६३ को निरीक्षण कार्यालय आयुर्वेदिक विभाग कोटा का निरीक्षण किया गया।

भवन—एक किराये के मकान जिसके १६०) रुपया माहवार पो.डब्ल्यू.डी. के एसेसमेंट के अनुसार किराया इस कार्यालय का चुकाया जा रहा है। भवन किराये की स्वीकृति प्रधान कार्लालय में पैन्डिग होने के कारण मकान मालिक को किराये की रकम प्राप्त नहीं हुई है। एक १ प्रधान कार्यालय इसकी स्वीकृति शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।

स्टाफ—श्री जानकीलाल त्रिपाठी निरीक्षक हैं। श्री राधावल्लभ शर्मा उच्चलिपिक श्री गिरजाशंकर तथा श्री रामधर बाजपेई कनिष्ट लिपिक कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। उप-वैद्य श्री केदारलाल, श्री गणेशलाल भी डेपुटेशन पर कार्यालय में कार्याधिक के कारण कार्य करते हैं तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। वैद्य, उप-वैद्य तथा अन्य कर्मचारियों के फिक्सेशन सम्बन्धी कुल १७६ केसेज़ में से ४० का नवीन वेतन श्रृंखला में फिक्सेशन हो चुका है। १३ कर्मचारियों की फिक्सेशन पंजिकायें प्रधान कार्यालय में भेजी गई हैं। एक ६ प्रधान कार्यालय इनको शीघ्र भिजाने की व्यवस्था करें। आर. पी. एस. के ३० केसेज़ सन् ५६ का एरियर उठाकर बून्दी निरीक्षणालय में भिजवाये जा रहे हैं ताकि उनका अग्रिम एरियर उठाया जा सके। इसके लिए निरीक्षक शीघ्र किसी लेखक को वहां भिजाने की व्यवस्था करें। स्टाफ का वेतन प्रतिमाह ५ तारीख के पहिले पहिले वितरित कर दिया जाता है। सुरक्षा के लिये भी वैद्यों के द्वारा घोषणायें समय समय पर की जाकर धन प्राप्त हो रहा है, जिसके लिये निरीक्षक कोटा निरन्तर प्रयत्नशील हैं एवं धन्यवाद के पात्र हैं।

कैश बुक—कैश बुक देखने पर १११६) रु० ६० नये पैसे का बैलेन्स बताया गया है। एव जांच करने पर रकम दुरुस्त पाई गई। निरीक्षक कोटा के द्वारा पिछले वर्ष में करीब ४० औषधालयों का भी निरीक्षण किया जा चुका है। अन्य व्यवस्थायें सन्तोषजनक पाई गईं।

पाराशष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २११ का उत्तर देखिये)

नकशा वेजेज वसूलात सिरोडी रेंज (रेवदार तहसील) सिरोही डिवीजन १९५४–५५ से १९६२–६३

क्रम सं०	नाम हैड	१९५४–५५	१९५५–५६	५६–५७	५७–५८	५८–५९	५९–६०	६०–६१	६१–६२	६२–६३	वि० वि०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	खालसा	२९७६–९३	२६२३–४३	३२७४–६१	१५८३–०१	२०८०–०२	१८८५–२५	१९४५–४३	२२४६–१७	२५२८–४०	— —
						खालसा	खालसा	खालसा	खालसा	खालसा	
२	जागीर	३११२–४७	३७७५–७३	४३०५–०७	४०५१–९६	७४४०–५६	५९८१–४६	७१३५–१३	६१६६–९३	७१६०–५८	
	योग	६०८९–४०	६३९९–१५	७५७९–६८	५६३४–९७	९५२०–५८	७८६६–७१	९०८०–५६	८४१६–१०	९६८८–९८	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२४ का उत्तर देखिये)

नाम मुलजिमान	तादाद रकम
१. श्री छाजूराम दफतरी, सचिवालय, जयपुर।	६०–६७ न०पै०
२. श्री बी० एस० शर्मा, स्टेनोग्राफर, सचिवालय, जयपुर।	४–५० न०पै०
३. श्री अब्दुल अली क्लर्क, कृषि कॉलेज, उदयपुर।	४४–०० न०पै०
४. श्री टी०पी० भारद्वाज, पैथोलोजी, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर।	७७–०० न०पै०
५. (१) डा० सालिगराम (२) श्री दयाल कम्पाउन्डर। (३) श्री बालचन्द जैन, क्लर्क जवाहर हायर सैकेन्ड्री स्कूल, अजमेर।	ये राज्यकर्मचारियों को झूठे मेडिकल चार्जेज के बिल बनाने में इमदाद देते रहे हैं।
६. (१) श्री बालू लालगुप्ता क्लर्क।	७४–२६– न०पै०
(२) श्री पूरनमल अग्रवाल, एसिस्टेन्ट अध्यापक, हायर सकेन्ड्री स्कूल, अलवर।	४५८–८६ न०पै०
७. श्री के० के० गुप्ता, यू० डी० सी०, होम सी डिपार्टमेंट, जयपुर।	२७६–५१ न०पै०
८. श्री टी० एस० महोदेवान, प्रा० सेकेट्री इर्रिगेशन मिनिस्टर, राजस्थान, जयपुर।	२०६–८० न०पै०
९. श्री जगन्नाथ एल०डी०सी०, गवर्नमेंट सक्रेटेरियेट, राजस्थान, जयपुर।	३२४–२५ न०पै०
१०. श्री वी० के० जैन, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर सर्वे एन्ड इन्वेस्टीगेशन इर्रिगेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान, जयपुर।	२२०४–७७ न०पै०

Page No 117

११.	श्री रामेश्वरप्रसाद, अध्यापक, पंचायत समिति कुचामन।	१७१–५० न०पै०
१२.	एस०डी०ओ० डारडा, नवलगढ़, डि० सीकर	१५०-०० न०पै०
१३.	श्री राधेश्याम, एल०डी०सी०, पंचायत समिति, रानी, डि० पाली।	२०४–०० न०पै०
१४.	श्री मंगतराम, रीडर, बी० डी० ओ० कोर्ट, कोटपूतली।	६६१–४० न० पै०
१५.	श्री दीपचन्द, कॉन्सटेबल ऑफ डी० कम्पनी, फोर्थ बटालियन आर० ए० सी०।	४१–१२ न०पै०
१६.	श्री बालस्वरूप, ए०एस० आई० वायरलैस, झालावाड़।	२००–०० न०पै०

परिशिष्ट ४

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

करौली—सपोटरा रोड पर पुल

२२८. श्री हरफूल (खन्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि करौली से सपोटरा जाने वाली रोड पर लूलोंच और तुसंगपुरा नदी के पुलों की सर्वे हो चुकी है ?

(२) यदि हां, तो पुलों का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले

२२९. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में इतने कितने पुलिस कर्मचारी हैं जिनका फिक्सेशन Rationalised pay scale के आधार पर अभी तक नहीं हुआ है ?

(२) इन फिक्सेशन के केसेज़ में सबसे पुराना कितने वर्ष से पेन्डिंग है तथा किसका ?

(३) फिक्सेशन नहीं होने से अन्दाजन कितना रुपया इन कर्मचारियों का रुका हुआ है ?

(४) भविष्य में सरकार कब तक ये निर्णीत कर देगी ?

उत्तर

(१) कुल २०४ हैं।

(२) ये सभी लगभग सात साल पुराने हैं।

(३) रु० १,७५,०००)

इन केसेज़ को इस वित्तीय वर्ष में तय करने का प्रयत्न किया जावेगा।

ब्यावर नगर व मगरा क्षेत्र में जल कष्ट

२३०. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ब्यावर नगर तथा ब्यावर से लगे मगरा क्षेत्र में सदा जल-कष्ट की शिकायत रही है ?

(२) क्या यह सच है कि मगरे में जितने तालाब हैं वे अधिकतर सूखे पड़े रहते हैं ?

(३) क्या यह सच है कि सिंचाई के साधनों के अभाव में मगरे में सदा अकाल की स्थिति बनी रहती है ?

(४) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में अकाल के कारण सरकार को हर तीसरे वर्ष ६ लाख रुपये की भारी धन-राशि खर्च करनी पड़ती है ?

(५) क्या यह सही है कि पिछले २० सालों से (स्वतंत्रता के पूर्व व पश्चात् भी) इस क्षेत्र की जनता की यह मांग रही है कि शेरों के नाले पर पानी रोक कर वहां से जालिया तक सिंचाई की व्यवस्था की जाय तथा अतिरिक्त पानी से जालिया तालाब द्वारा ब्यावर शहर में पीने के पानी की कमी को पूरा किया जाय ?

(६) क्या यह सच है कि शेरों के नाले में हमेशा २६ फुट पानी रहता है ?

(७) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय व एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों शेरों के नाले का स्वयं निरीक्षण कर इस परिणाम पर पहुंचे कि इस पानी से जालिया तक सिंचाई करने के अतिरिक्त ब्यावर शहर के पेय जल कष्ट को भी दूर किया जा सकता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी हां ।

(३) जिस वर्ष बरसात कम होती है उसी वर्ष अकाल की स्थिति रहती है ।

(४) सिंचाई विभाग को इस विषय में पूरी जानकारी नहीं हैं ।

(५) जी हां ।

(६) जी नहीं ।

(७) निरीक्षण के समय ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था । और न ही पानी इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि ब्यावर तक पहुंचाया जा सके ।

नगर परिषद् जयपुर द्वारा बस सर्विस चलाने के प्रश्न पर निर्णय

२३१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या दिनांक २०–९–६० व १३–१०–६० को हुई मन्त्रि-मण्डल की बैठक में जयपुर नगर परिषद् द्वारा उसकी बस चलाने के बारे में विचार हुआ था ?

(२) यदि हां, तो क्या इस बारे में स्वायत्त शासन सचिव से सुझाव मांगे गए थे ? यदि हां, तो उन्होंने क्या सुझाव दिए ?

(३) क्या उन सुझावों पर कोई निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

१. जी हां । इस विषय में मन्त्रीमण्डल की बैठक में दो सुझावों पर विचार हुआ था : (१) नगर बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तथा (२) जयपुर नगर परिषद् द्वारा ये बसें चलाई जायं ।

२. इन सुझावों का परीक्षण करने के लिये एक समिति गठित की गई जिसमें स्वायत्त शासन सचिव भी सम्मिलित थे । समिति ने सुझाव दिया कि जयपुर नगर के ट्रैफिक का सिंहावलोकन । (survey) किया जाय तथा यह पता लगाया जाय कि यदि ये सेवायें नगर परिषद् को दी दे जायं तो उसे कितनी आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ।

३. जयपुर नगर परिषद् के अनुसार नगर परिषद् द्वारा बस सर्विस लेने के लिये २० लाख रुपये की आवश्यकता थी। किन्तु धनाभाव के कारण इतने रुपये का ऋण नगर परिषद् को देने की स्थिति में सरकार नहीं थी अतः इस सुझाव से वह सहमत नहीं हुई।

तहसील तालेड़ा में लेफ्ट केनाल टूट जाने से किसानों को हानि

२३२. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील तालेड़ा में लेफ्ट केनाल खटकड़ के पास टूट जाने से हजारों बीघा जमीन में पानी पहुंच जाने से किसानों ने जो बीज बोया था वह नष्ट हो गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस नहर के पानी को तुरन्त बन्द करने की प्रार्थना संबंधित इन्जीनियर से की गई थी परन्तु इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकी ?

(३) यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार जिन लोगों का बीज नष्ट हो गया है उसको मुआवजा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, बूंदी ब्रांच चैन १६६५ के Aqueduct के पास टूटी थी। अधिकतर पानी नाले में बह गया था और थोड़ा बहुत पानी आस-पास के रकबे में फैला था; कुछ खेतों में जिनमें ताजा ही बीज बोया गया था नष्ट हो गया था, बाकी दूसरे खेतों को इससे लाभ ही हुआ था।

(२) जी नहीं, सम्बन्धित इन्जीनियर ने नहर के ऊपरी हिस्से में रिलीफ कट करके इस ब्रीच को कम से कम सम्भव समय में बन्द कर दिया था।

(३) जिन लोगों का बीज नष्ट हो गया था उनको मुआवजा देने की कार्यवाही पहले से ही जारी है।

पुलिस थानों में यातायात के साधन

२३३. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया** (चौमू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य के थानों के क्षेत्र और उनमें रहने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से उनके पास यातायात के साधन पर्याप्त हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ साधन जीप गाड़ियों से अधिक खर्चीले हैं और उनसे आने-जाने में समय भी अधिक लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन खर्चीले साधनों को हटाकर प्रत्येक थाने में एक एक जीप देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं । जो भी यातायात के साधन थानों में हैं वे सब जीप की तुलना में बहुत ही कम खर्चीले हैं, अतः प्रत्येक थाने में जीप उपलब्ध करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

चम्बल विद्युत्

२३४. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चम्बल से उपलब्ध बिजली की लाइन जो जयपुर तक आई है उससे उन कस्बों को जो उस लाइन के पास पड़ते हैं और जिनकी आबादी ८००० के करीब है बिजली कब तक दी जायेगी ?

उत्तर

चम्बल योजना की १३२ के. वी. लाइन जो गांधीसागर से जयपुर आ रही है उसको बीच में ही टेप करके पास पड़ने वाले कस्बों को बिजली नहीं दी जा सकती है ।

स्टेट रोडवेज़ के ड्राइवरों व कन्डक्टरों को सुविधाएं

२३५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान रोडवेज़ की कितनी गाड़ियां किस किस रूट पर चल रही हैं ?

(२) राजस्थान स्टेट रोडवेज़ में कितने ड्राइवर और कण्डक्टर हैं ? इनको सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं ?

उत्तर

१. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२. ३५६ ड्राइवर तथा २६६ कन्डक्टर हैं, अभी हाल में ही २७-४-६३ से ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों पर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स रूल्स लागू हो गये हैं और उन्हीं के तहत में सभी सुविधायें प्रदान की जाती हैं। विभाग द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने पर ड्राइवरों व कन्डक्टरों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दी जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

———

सूची

नाम स्टेट रोडवेज् की चलने वाली गाड़ियों के रूटों की सूची मय चलने वाली गाड़ियों के निम्नलिखित हैं :

मार्ग	चलने वाली गाड़ियों की संख्या	मार्ग	चलने वाली गाड़ियों की संख्या
१. जयपुर–देहली	५	२८. अजमेर–केकड़ी	१
२. जयपुर–अलवर	११	२९. अजमेर–देवली	४
३. जयपुर–मेड	१	३०. अजमेर–ब्यावर	४
४. जयपुर–कोटपुतली	४	३१. अजमेर–जेतारण ३२. ब्यावर–जेतारण	१
५. जयपुर–शाहपुरा	४	३३. अजमेर–भीलवाड़ा	१
६. जयपुर–आगरा	१०	३४. कोटा–देवली	४
७. जयपुर–भरतपुर ८. जयपुर–महुआ ९. महुआ–भरतपुर	६	३५. कोटा–बूंदी	८
१०. जयपुर–दौसा	२	३६. जोधपुर–अजमेर	१६
११. जयपुर–कोटा	१५	३७. जोधपुर–जेतारण	३
१२. जयपुर–देवली	४	३८. जोधपुर–सिरोही	३
१३. जयपुर–वनस्थली	३	३९. आबूरोड–माउन्टआबू ४०. आबूरोड–देलवाडा ४१. आबूरोड–दांता ४२. आबूरोड–अम्बाजी	१३
१४. जयपुर–टौंक १५. निवाई–टौंक १६. टौंक–देवली	६	४३. आबूरोड–भंडार ४४. आबूरोड–अनादरा भंडार ४५. आबूरोड–पटाना	७
१७. जयपुर–अजमेर	१३	४६. आबूरोड–बाडा	२
१८. जयपुर–किशनगढ़	१	४७. आबूरोड–चौसीमा	१
१९. जयपुर–जोधपुर	८	४८. देलवाडा–नवलगढ़ ४९. आबूरोड–नवलगढ़	३
२०. अलवर–थानागावी	१	५०. सिरोही–जोधपुर	३
२१. अलवर–देहली	३	५१. सिरोही–सिरोहीरोड	३
२२. अलवर–मुबारिकपुर	७	५२. सिरोही–आबूरोड	४
२३. अजमेर–जयपुर	१२	५३. सिरोही–सुमेरपुर	५
२४. अजमेर–किशनगढ़	७	५४. स्वरूपगंज–वासा	१
२५. अजमेर–घरमारा	१		
२६. अजमेर–कोटा	२२		
२७. अजमेर–नसीराबाद	५		

बिजली के मीटर

२३६. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) :** क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में कितने बिजली के मीटर हैं, आंकड़े जिलेवार दें ? इन पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

(२) इनमें से कितनी राशि के पुर्जे विदेश से मंगाये जाते हैं ?

(३) क्या सरकार राजस्थान में उपरोक्त पुर्जों के निर्माण का कारखाना लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) भरतपुर के अलावा अन्य पॉवर हाउस वाइज़ सूची साथ में संलग्न है। इन पर भरतपुर के अलावा ६५,१४,१३६ रुपये व्यय हुए हैं।

(२) ऐसे पुर्जे विद्युत् बोर्ड द्वारा नहीं मंगाये जाते हैं।

(३) जी नहीं।

———

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF METERS INSTALLED AT VARIOUS PLACES.

S.No. 1	Name of the Power House. 2	Total number of energy meters. 3
1.	Jaipur (Including rural electrification)	33,990
2.	Alwar (Including rural Electrification)	5,208
3.	Tonk. -do-	2,245
4.	Chomu. -do-	1,270
5.	Jodhpur.	1,8121
6.	Pali.	3,570
7.	Jaisalmer.	1,8121
8.	Nagaur.	1,173
9.	Sirohi.	1,974
10.	Jalore.	629
11.	Bikaner.	15,500
12.	Churu.	1,385
13.	Jhunjhnnu.	1,780
14.	Sikar.	1,963
15.	Ganganagar Division Electrical.	5,025
16.	Ratangarh	4,000
17.	Kota.	4,353
18.	Jhalawar.	2,461
19.	Baran.	:82
20.	Bundi.	1,865
21.	Sawai Madhopur.	865

1	2	3
22.	Bhilwara.	
23.	Shahpura.	
24.	Manda.	
25.	Pur.	3,041
26.	Sanganer.	
27.	Suwana.	
28.	Gulabpura.	
29.	Hurda.	
30.	Chittor.	1,099
31.	Kapasin.	
32.	Kishangarh	
33.	Kekri	
34.	Bijaynagar.	2,350
35.	Hatandi.	
36.	Makhupura.	
37.	Udaipur.	4,483
38.	Dungarpur.	
39.	Sagwara.	
4.	Galiako0	
41.	Kankroli	
42.	Nathdwara.	Total. 1,19,197 (Except Bharatpur Division of R.S.E. Board).

स्थगित प्रश्न

(२०-८-६३)

डामर रोड बनाने का ठेका

४२. श्री भिट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

जिला बांसवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा में बांसवाड़ा से रतलाम रोड पर ग्राम दानपुर के पास में डामर रोड बनाने का ठेका कितने महीने की शर्त पर दिया गया था और क्या यह सड़क बन चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ग्राम दानपुर के निकट डेढ़ मील का ठेका ४ मास की अवधि में पूर्ण करने को दिया था। ५ फर्लांग सड़क बन चुकी है। बाकी कार्य प्रगति पर है।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २७ अगस्त, १९६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३	१	श्री राव्रतराम	श्री रावतराम
४	२	निणय	निर्णय
५	१	अयश्यकता	आवश्यकता
६	१६	अनडिस्टब्ड	अनडिसबर्स्ड
७–८	शीर्षक	–२७ शगस्त, ६३–	–२७ अगस्त, ६३–
७	अन्तिम से ७	Governmen	Government
११–१२	शीर्षक	–२६ अगस्त, ६३–	–२७ अगस्त, ६३ –
१२–१३	३–४	प्रथम—जवाब	प्रथम प्रश्न के उत्तर में जवाब
१४	७	एंम्पोर्यिम	एम्पोरियम
२१	१४	श्री रघुनाथ बिशनोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
२२	अन्तिम	खत्म कर	खत्म कर दें।
२६	१	महदोय	महोदय
३१–३२	शीर्षक	–२७ सितम्बर, ६३–	–२७ अगस्त, ६३–
३८	१	एग्ज़ीक्यूटिघ	एग्ज़ीक्यूटिव
,,	१३	मदरेणा	मदेरणा
३९	अन्तिम से ५	जहाजियुर	जहाजपुर
४४	,, ,, २	पानी	पानी
४६	,, ,, ६	स्थानानतरण	स्थानान्तरण
४८	४	डिपाटमेन्ट	डिपार्टमेन्ट
५०	५	सची	सूची
,,	१०,१४व१६	श्रीमती सुमित्रादेवी	श्रीमती सुमित्रा
५३	१६	सस्प्रेन्शन	सस्पेन्शन
५४	१५	स्पप्ट	स्पष्ट
५६	१५	शिड्य्ल्ड	शिड्यूल्ड
६३	६	शुस	शुरू
६५	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
,,	१६	अनपूरक	अनुपूरक
६६	५	(Incitement to dissffection)	(Incitement of Disaffection)
६७	अन्तिम	अघ्यच्च	अध्यक्ष

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६८	१०	निधीरित	निर्धारित
६९	अन्तिम	बदस्तर	बदस्तूर
७३-७४	शीर्षक	-२७ अगरत, ६३-	-२७ अगस्त, ६३-
७३	१६	नवाबासिंह	नवाबसिंह
७५	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
७६	१७	(समय-समाप्ति सूचक । टी)	(समय-समाप्ति सूचक घंटी)
७७	शीर्षक	अयिश्वास	अविश्वास
७८	२१	जाट	जाट की
,,	३१	नहीं	नहीं
८०	११	जिम्भेदारी	जिम्मेदारी
,,	अन्तिम	अ द आइ जा द्वा ।	आदमियों को हमारे डी.आई.जी.द्वारा
८१	२०	बड़े वड़े	वड़े बड़े
८२	अन्तिम	अध्यक्ष पीठ-के	अध्यक्ष-पीठ के
८४	१८	प्रोसीडिग्ज्	प्रोसीडिंग्ज़
८६	१	अपका	आपका
,,	१६	सर	सरकार
८७	१७	मैजारिटी	मेजोरिटी
८९	अन्तिम से ८	जीवित है विश्वास	जीवित विश्वास
९९	शीर्षक	अविश्वान	अविश्वास
१०१	शीर्ष	(श्री ज्वालानसाद शम)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१०३	शीर्ष	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१०४	२४	कआदमी	आदम
,,	३०	एएड होलो है"	एएड होलो हैड"
१०५	३	(घाटोल)	(घाटोल)
११२	११	रखिते	रखिये
,,	२०	तथ यों	तथ्यों
११५	अन्तिम से ४	मै	मैं
१२०	३	न झाड़	न झाड़ू
,,	अन्तिम से ५	जनसघ	जनसंघ
१२५-२६	शीर्षक	-२६ अगस्त, ६३- के प्रस्ताबों पर	-२७ अगस्त, ६३- प्रस्तावों पर
१२९	१४	अध्यक्ष महोदय,	अध्यक्ष महोदय
,,	१५	प्रोसीडिग्ज्	प्रोसीडिंग्ज्
१३१	शीर्षक	मंवि-मंडल	मंत्रि-मण्डल

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३४	२	नह	नहीं
१३७	शीर्षक	अबिश्वास	अविश्वास
१४०	३	indiract	indirect
,,	२०	बदकिस्मती	बदकिस्मती से
१४२	शीर्षक	प्रस्ताबों	प्रस्तावों
,,	अन्तिम से ५	इस	इस
१४७	शीर्षक	प्रवि	प्रति
,,	७	कि य –	कि यह सदन
१४६	शीर्षक	अबिश्बास	अविश्वास
,,	१४	एक्स लेन	एक्सप्लेन
१५३	५	राजस्थला	राजस्थान
१५७	५	य ह	यह
१६३	११–१२	समझता मैं हूं	मैं समझता हूं
,,	२२	ग्ुरेज	गुरेज
१६४	१५	नीतिय	नीतियां
१६६	अन्तिम से ८	ढल	दल
१७०	१	प्रेडक्शन	प्रोडक्शन
१७२	अन्तिम से ७	o der	Order
१७५	शीर्षक	– २६ अगस्त,	–२७ अगस्त,
,,	१३	कितनाा रुपय	कितना रुपया
१८१	१२	डेफोसिट	डेफीसिट
१८२	२५	का	को
,,	२४	श्र थुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
१८३	शीर्ष	(श्री भथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
१८५	,,	(श्री मथुराप्रसाद माथुर	(श्री मथुरादास माथुर)
१८६	११	' त '	'तू'
१६१	१६	इरि–	इरि–
,,	१७	काई	कोई
१६३	१६	करेंगे	मरेंगे
२०२	अन्तिम से ८	केटेगोरिवल	केटेगोरिकल
,,	,, ,, ७	मेंने	मैंने
,,	,, ,, ४	श्री मुकबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
२०३	१	,, ,, ,,	,, ,, ,,
,,	२१	सलाल	सवाल

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२०६	१२	उ ालब्ध	उपलब्ध
२११	१०	बदसना	बदलना
२१५	११	प्रस्ताब	प्रस्ताव
,,	अन्तिम से २	में	मैं
२१७	२	भाइयो	भाइयों
२१६	अन्तिम से ६	मोढल	मोडल
२२३	अन्तिम से २	श्री हुरदेव जोशी	श्री हुरिदेव जोशी
२३६	१४	Hatandi	Hatundi